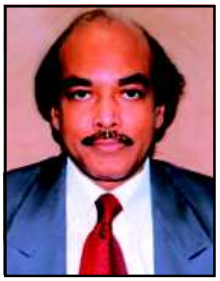

शुक्रवार 29 जून, 2012 को 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता - 700 071 में संपन्न 105वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी के सदस्यों के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक का अभिभाषण

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के अंश धारकों की 105वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर निदेशक मण्डल, प्रबंधन एवं नेशनल के कार्मिकों की ओर से आप सदस्यों का स्वागत करते हुए तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

विश्व अर्थव्यवस्था एक संकटकालीन दौर से गुजर रही है तथा 2012 में केवल 3.5% वृद्धि की संभावना है। यूएस में आशा से अधिक रिकवरी के वावजूद उन्नत आर्थिक व्यवस्था में 1.4% की वृद्धि का प्रमुख कारण यूरोजोन में कर्ज की समस्या, राजकोषीय समेकन तथा लगातार बैंक डेलिवरेजिंग रही। विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि दर में कमी होकर 5.7% की भविष्यवाणी की गई है जो मुख्य रूप से चीन, भारत, ब्राजील एवं रूस की अर्थव्यवस्था के साथ है। सभी देशों में निम्नतर वृद्धि दर की संभावना है।

मूलत: भारत एक आयातकर्ता देश है अत: ऑयल एवं गोल्ड तथा अन्य आयात के भुगतान के लिए और अधिक डालर की आवश्यकता होती है। भारत अपनी आवश्यकता का 83% ऑयल आयात करता है (पिछले वर्ष $150 बिलियन का बिल था)। इस संदर्भ में मासिक मांग ($12 बिलियन) तथा तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने रूपये पर काफी असर डाला है। तेल के अतिरिक्त सोने का भी आयात किया जाता है जिसके लिए देश ने पिछले वर्ष $60 बिलियन का भुगतान किया। भारत ने $180 बिलियन डालर के सामानों का आयात किया जब कि इससे कम का निर्यात किया गया (पिछले वर्ष कुल आयात $480 बिलियन डालर तथा निर्यात 300 बिलियन डालर रहा)।

2010-11 दशक की आशाजनक शुरूआत, जिसमें वृद्धि दर को 8.4% बनाये रखना, राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी.आई का 4.8% तक कम करना तथा वर्तमान राजकोषीय कमी 2.6% रखने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2011-12 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। वर्ष की शुरूआत एक प्रभावशाली वृद्धि तथा उच्चस्तरीय विदेशी विनिमय अंतर्वृद्धि से हुई परन्तु पूरे वर्ष अदम्य मुद्रास्फीति के दवाब के कारण मुद्रा की स्थिति प्रतिकूल बनी रही। वर्ष 2008 की वैश्विक आर्थिक संकट के पश्चात प्रथम बार भारत में वर्ष 2011-12 में जी.डी.पी.आई वृद्धि दर 7% से गिरकर 6.5% रह गई।

वर्तमान एकाउंट में बढ़ता घाटा तथा दूसरी तरफ नेट कैपिटल इन्फलो में सामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण वैलेंस आफ पेमेंट की स्थिति प्रतिकूल हो गई जो वर्ष 2008-09 को छोड़कर पिछले 16 वर्षों में पहली बार हुआ। अन्य कारणों में से एक इसके कारण भारतीय रूपये के मूल्य में काफी कमी आई। पिछले वर्ष रूपये में डालर के मुकाबले 26% का अवमूल्यन रहा था। वर्ष 2008 के संकट के दौरान भी इतने कम समय में इतना अधिक अवमूल्यन नहीं हुआ था। अधिकतर कंपनियों विशेष रूप से आयातकर्ता, ने इस अस्थिरता को अपनी क्षमता के अनुसार दूर करने का प्रयास किया।

ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के विरोध में यूरोप आधारित इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी क्लब ने कार्गो ले जाने वाली जहाजों का बीमा करने से इन्कार कर दिया। विश्व की लगभग 90% समुद्री जहाजों का बीमा 13 इंटरनेशनल पी एण्ड आई क्लब द्वारा किया जाता था। युरोपियन युनियन को इस संबंध में स्वीकृति 1 जुलाई से प्रभावी होने की संभावना है।

भारत जो ईरान से 12% क्रुड आयल का आयात करता था, यूएस एवं इयू स्वीकृति के पश्चात इसमें कमी कर 9% कर दिया लेकिन भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह ईरान से आयात जारी

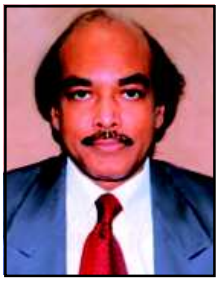

Chairman's communiqué to the Members of National Insurance Company Limited at the 105th Annual General Meeting held on Friday, 29th June 2012 at 3, Middleton Street, Kolkata -700 071.

On behalf of the Board of Directors, Management & Staff of National Insurance Company Limited, I have great pleasure in welcoming you to the 105th Annual General Meeting of the Shareholders of the Company and present the Company's Annual Report along with Financial Statements for the year ended 31st March 2012.

Macro-Economic Scenario

The world economy is passing through a very difficult phase and is expected to grow by only 3.5% in 2012. Despite, a better than expected recovery shaping in the US, the key reasons for the subdued growth forecast of 1.4% in the Advanced Economies remain the sovereign debt crisis in the euro zone, focus on fiscal consolidation and continued bank deleveraging. Growth in the developing world is forecast to slow down further to 5.7% with the key economies of China, India, Brazil and Russia - all expected to record lower rates of growth.

On the fundamentals side, India is a net importer and therefore needs more dollars to pay for oil and gold (its two main imports) as well as other imports. India imports 83% of its oil requirements (last year's bill was $150 billion). The monthly demand (of $12 billion) on this account as well as rising oil prices has usually kept the rupee under pressure. Apart from oil; there are gold imports for which the country paid nearly $60 billion last year. India imported $180 billion more of goods than it exported (last year's total imports were $480 billion while exports were $300 billion).

After a promising start to the decade in 2010-11, with achievements like maintaining GDP growth rate 8.4%, bringing down fiscal deficit to 4.8% of GDP as well as containing current account deficit to 2.6%, the fiscal 2011-12 has been challenging for the Indian Economy. The year started on a note of optimism through impressive growth in exports and high levels of foreign exchange inflows, only to moderate as the year progressed through continued monetary tightening in response to the untamed inflationary pressures. For the first time since the global crisis of 2008, GDP growth rates in India has declined below 7% to reach 6.5% in 2011-12.

With a burgeoning current account deficit on one hand and only a small increase in net capital inflows on the other, the overall balance of payments situation turned negative - the first time in 16 years excluding 2008-09. This, amongst other factors, led to a sharp depreciation of the Indian rupee which fell to record lows. Over the past year, the rupee has dropped nearly 26% against the dollar. Even during the crisis of 2008, there was not so much depreciation in such a short time. Most companies, especially importers, have found their capacity for tolerance of such volatility stretched.

One important global factor related to insurance sector is that the International Protection and Indemnity (P&I) clubs based in Europe decided to deny insurance cover to ships carrying Iranian cargo, following the European Union's sanctions against Iran over its nuclear program. Nearly 90% of the world's ocean-going fleet are covered by 13 international P&I clubs. The sanctions are expected to come into force on July 1.

India, which used to import around 12% of its crude oil needs from Iran, has cut the import to below 9% after the US and EU sanctions. But India has made

रखेगा भारतीय जहाज मालिक ईरान से इस संबंध में गारंटी की मांग कर रहे है। उन्होने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से प्रति टैंकर 50 मिलियन डालर के सीमित आवरण हेतु भी पहल किया है।

भारतीय साधारण बीमा व्यवसाय परिदृश्य

वर्ष 2011-12 में भारत में साधारण बीमा उद्योग ने ₹10953.23 करोड़ अभिवृद्धि तथा 23.12% की वृद्धि के साथ ₹58325.48 करोड़ का प्रीमियम व्यवसाय किया। व्यवसाय की पर्याप्त वृद्धि की संभावनाओं के कारण भारत को बीमा विकास की संभावनाओं हेतु सोने की खान माना जाता है। भारत की नौजवान जनसंख्या भारत को परिकल्पित निवेश मार्केट बनाने में सहायक है क्योंकि इस पीढ़ी को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार की समुचित जानकारी है।

वर्तमान में बीमा क्षेत्र विभिन्न प्रकार की चुनौतियां का सामना कर रहा है जैसे बीमालेखन, जोखिम प्रबन्धन, पॉलिसियों में वृद्धि तथा व्यवसाय में अस्थिरता तथा निवेश आय जैसे कुछ महत्वपूर्ण विन्दु है जिनसे मार्केट में अस्थिरता पैदा हो रही है। बीमा मार्केट परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए प्राथमिकता के आधार पर इन मुद्दों का हल निकालना होगा।

विनियामक द्वारा लिये गये एक प्रमुख निर्णय के अनुसार इंडियन मोटर थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स को समाप्त करना तथा इसके स्थान पर डिक्लाईन्ड पूल को बनाया गया जो 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी हुआ तथा इस प्रक्रिया में बीमा कम्पनियों ने वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 तक (आईएटीपीआईसी की समाप्ति) के लिए यू.के. की सरकारी एक्चुअरी विभाग की एक्चुरियल रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त रिजर्व प्रदान किया।

इस निर्देश के अनुसरण में आईआरडीए ने पूल शेष के एकाउण्टिग एवं लेखा शेष के लिए आदेश जारी किया तथा साल्वेंसी मार्जिन में आंशिक रूप से संशोधन किया जो 31 मार्च 2014 से प्रभावी होगा।

वित्तीय एवं प्रचालन निष्पादन :

5 दिसम्बर, 1906 को स्थापित हमारी कंपनी भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय पूर्वी भारत (कोलकाता) में स्थित है।

यह लगातार दूसरा वर्ष रहा जब हमारी कंपनी ने वैश्विक प्रत्यक्ष प्रीमियम के रूप में 25% अधिक की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2011-12 के दौरान हमारी कंपनी का ग्लोबल डायरेक्ट सकल प्रीमियम ₹7815.69 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹6245.17 करोड़ था। कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय पिछले वर्ष ₹5389.71 करोड़ की तुलना में ₹6952.85 करोड़ रही तथा नेट रिटेंशन अनुपात वर्ष 2011-12 के दौरान 88.96% था जो पिछले वर्ष 86.30% रहा। भारत के चार क्षेत्रों में से हम दो क्षेत्रों में लगातार आगे रहे (पूर्व व उत्तर)।

शुद्ध अर्जित प्रीमियम पर कुल शुद्ध उपगत दावा अनुपात कम होकर वर्ष 2011-12 में 87.50% रहा जो वर्ष 2010-11 में 97.05% था। पिछले कुछ वर्षो में पहली बार हम बीमा अधिनियम के नियम 17-ई के साथ पठित अनुभाग 40-सी का अनुपालन करने में सफल हुए है।

31 मार्च, 2012 को भारत में कुल निवेश ₹10730.17 करोड़ था जो 31 मार्च, 2011 को ₹8386.66 करोड़ रहा। 31 मार्च, 2012 को कंपनी का कुल निवेश मूल्य ₹17528.51 करोड़ था। वर्ष के दौरान कुल निवेश आय ₹1711.68 करोड़ रही जो पिछले वर्ष ₹1820.13 करोड़ थी।

वर्ष 2011-12 में कम्पनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹324.76 करोड़ रहा।

शोधन क्षमता : कंपनी की शोधन क्षमता 31 मार्च, 2012 को 1.37 थी जो वांछित मार्जिन 1.30 से अधिक है।

क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्तीय शक्ति रेटिंग के लिए कंपनी को 'एएए/स्टेबल' रेटिंग दी गई जिससे पॉलिसी धारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने की सर्वोच्च वित्तीय समर्थता प्रदर्शित होती है।

कंपनी के लिए यह वर्ष महान उपलब्धियों का वर्ष रहा। हमारी कम्पनी के प्रयास की सराहना विश्व स्तर पर की गई। हमारी कंपनी ने विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार/सम्मान जीता, जिनमें साधारण बीमा क्षेत्र में 'एनडीटीवी विजनेस लीडरशीप अवार्ड 2011' तथा

it clear that it will continue to import from Iran. Indian ship owners have been asking for sovereign guarantee for ships' Iranian voyages. They have also approached public sector insurance companies for a limited cover of $50 million for each tanker.

Indian General Insurance Business Scenario

The Non-Life Insurance Industry in India earned a total premium of ₹58325.48 crore with an accretion of ₹10953.23 crore, recording a growth of 23.12% during 2011-12. Due to substantial growth prospect, Non-Life Insurance Sector in India is considered as a 'gold mine of growth potential'. India's youth population makes it a lucrative market for investors as this generation is aware of the need for adequate health care and improvement in standard of living.

At present this sector is facing the unprecedented challenges relating to underwriting discipline, risk management, growth policies and unsustainable business model of relying on investment income which is vulnerable to market volatility. It is, therefore, necessary that these issues are addressed on a priority basis to ensure sustainability in the competitive insurance market scenario.

A major decision taken by the Regulator is abolition of Indian Motor Third Party Insurance Pool ("IMTPIP") and creation of declined pool in its place effective from 1st April 2012 and in the process insurance companies who are to provide additional reserves from the financial year 2007-08 & upto financial year 2011-12 (till the abolition of "IMTPIP") based on the Actuarial Report of Government Actuary's Department (GAD), UK.

Further to this instruction, IRDA has also issued orders for accounting & settlement of the pool balances and the partial modification of solvency margin requirements to be effective upto 31st March 2014.

Financial & Operational Performances

Established in 5th December 1906, our Company today is the oldest insurance company in India and the only insurance company headquartered in Eastern India (Kolkata).

This was the second successive year in which our Company registered more than 25 % growth in the Global Gross Direct Premium. During the year 2011-12, Global Gross Direct Premium of our Company was ₹7815.69 crore as against ₹6245.17 crore in the previous year. The Net Premium Income of the Company was ₹6952.85 crore as against ₹5389.71 crore in the previous year with a net retention ratio of 88.96% in the year 2011-12 as against previous year ratio of 86.30%. We are the consistent leader in two out of the four zones in India (east and north).

The overall Net Incurred Claim Ratio on Net Earned Premium had come down to 87.50% in the year 2011-12 from 97.05% in 2010-11. For the first time in the recent past we have been able to comply with Section 40C of the Insurance Act read with Rule 17E.

The total Investments in India as on 31st March 2012 was ₹10730.17 crore as against ₹8386.66 crore as on 31st March 2011. The market value of total investment of the Company stood at ₹17528.51 crore as on 31st March 2012. The total investment Income (inclusive of profit on sale / redemption) during the year was ₹1711.68 crore as against ₹1820.13 crore in the previous year.

The Company has recorded a Net Profit After Tax of ₹324.76 crore for the financial year 2011-12.

Solvency Margin: The Solvency Margin of the Company is 1.37 as on 31st March 2012 which is well above the required margin at 1.30.

The Company continued to enjoy "AAA/STABLE" rating by CRISIL which indicates the highest financial strength of the Company to meet the obligations of policyholders at any point of time.

This year has been a year of great achievements for the Company. The Company's effort were recognized and acknowledged by the corporate world. Our Company has won various prestigious

अंडर सर्व्ड मार्केट पेनिट्रेशन अवार्ड 2012 तथा साधारण बीमा व श्रेष्ठ सामाजिक योगदानकर्ता 2012 प्रमुख रहे।

ग्राहक संबंध प्रबन्धन :

वर्ष 2011-12 के दौरान 2,17,77,418 दस्तावेज जारी किये गये जो भारत में साधारण बीमा कंपनियों द्वारा जारी दस्तावेजों में सर्वाधिक थे, जिनमें से 1,65,38,468 मोटर पॉलिसियां थी जो सभी बीमाकर्ताओं से अधिक थी।

ग्राहकों को स्तरीय सेवाओं के माध्यम से शिकायतों को कम करने का हमारा लगातार प्रयास रहा। वर्ष 2011-12 के शिकायत निवारण अनुपात 92% रहा। वर्ष 2011-12 में नान सूट तथा सूट दावों का निस्तारण अनुपात 85.67% व 27.35% रहा। वर्ष 2011-12 में 11,00,000 नॉन सूट से अधिक दावों का निस्तारण किया गया।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत, जिसे सम्मान का नाम दिया गया है कि सुविधा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक पदनामित अधिकारी प्रश्नों को प्राथमिकता के आधार पर देखकर उनका तत्काल निवारण करने का प्रयास करता है।

वर्ष के दौरान हमारी कंपनी ने आईआरडीए के आन लाइन समन्वित शिकायत प्रबंधन सिस्टम के साथ कंपनी का आन लाइन ग्राहक शिकायत प्रबन्धन सिस्टम तैयार करने में सफलता प्राप्त की। ग्राहकों की शिकायतों को आन लाइन जानकर उनकी सहायता करने के उद्देश्य से उनकी शिकायतों की निवारण प्रक्रिया को आईटी इनेबिल्ड किया गया।

वर्ष के दौरान हमारी कंपनी ने आन लाइन पॉलिसियों को जारी करने के लिए ग्राहक पोर्टल प्रारंभ किया जिसके माध्यम से दुपहिया वाहन, प्राइवेट कार, व्यक्तिगत एवं परिवार मेडिक्लेम की पॉलिसियों को कही भी/किसी भी समय डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करके नई एवं नवीकरण पॉलिसियां प्राप्त की जा सकती है। अन्य खुदरा उत्पादों जिनमें ओवरसीज मेडिक्लेम भी सम्मिलित है, को ग्राहक पोर्टल पर लांच करने का कार्य अंतिम चरण में है।

कंपनी बिजनेस प्रोसेस रि इंजीनियरिंग के अनुपूरक में एक महत्वाकांक्षी एवं व्यापक आईटी इनेबिल्ड सोल्यूशन की शुरूआत की गई है। कंपनी संबंध स्थापित करते हुए तथा लाभ कमाते हुए साधारण बीमा क्षेत्र के ग्राहकों की सर्वाधिक पसंदीदा कंपनी के प्रति प्रतिबद्ध है। डेबिट/क्रेडिट कार्य से भुगतान के लिए हमारे दिल्ली कार्यालय में कार्ड स्वाइप (swipe) सुविधा उपलब्ध है।

कंपनी ने आनगोइंग बिजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग के एक भाग के रूप में दावा प्रासेसिंग हब एसएमईएस (SMEs) के लिए कार्यालय, प्रभावी ब्रोकर प्रबंधन, कार्पोरेट कार्यालय तथा व्यवसाय प्रचालन खंडों का समेकन इत्यादि जैसे कार्य प्रारंभ किये है।

ई-पेमेंट:

सभी कर्मचारियों को आन लाइन भुगतान किया जा रहा है। दावा भुगतान, सूट क्लेम के अलावा, ई पेमेंट के माध्यम से करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना दी गई है तथा इस दिशा में आशातीत प्रगति हो रही है।

कार्यालय नेटवर्क:

1340 कार्यालयों तथा 15,000 समर्पित कार्मिकों के साथ हमारी कंपनी देश के कोने-कोने में फैली हुई है।

हाल ही में हमारी कंपनी ने बीमा व सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीण इलाकों में अपने कार्यालय स्थापित करना प्रारंभ किया है। वर्ष के दौरान 122 नये व्यवसाय केन्द्र खोले गये। पिछले तीन वर्षो में कुल 373 व्यवसाय केन्द्र खोले गये। वर्ष 2011-12 के दौरान दो क्षेत्रीय कार्यालय वाइजाग एवं हुबली ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तथा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-III ने अप्रैल 2012 से कार्य प्रारंभ कर दिया है।

चतुर्थ श्रेणी तक के उन कस्बों में 120 कार्यालय खोलने हेतु आइआरडीए के अनुमोदन हेतु प्रक्रिया जारी है, जहाँ बीमा संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, जिनमें से 72 पूर्वी भारत में है (2 मिजोरम, 4 आसाम तथा 1 मेघालय)।

हाल ही में कंपनी ने साधारण बीमा सेवाओं को घर-घर पहुँचाने के उद्देश्य से आईटी सुविधाओं से युक्त एक एअरकंडीशन वाहन, जिसका नाम 'आफिस आन व्हील' है, लांच किया है। यह बीमा

awards including 'NDTV Profit Business Leadership Award 2011' in the Insurance - Non-Life category and Under-served Market Penetration Award 2012-General Insurance and Outstanding Social Contributor of the Year 2012.

Customer Relationship Management

During 2011-12, 2,17,77,418 documents were issued which is the largest number amongst all non-life Insurance Companies in India, out of which 1,65,38,468 were Motor Policies which is highest among all insurers.

It has been our endeavor to minimize the grievances by rendering quality services at the operating levels, grievance settlement ratio being 92% during the year 2011-12. Further, the claim settlement ratio for non-suit claims and suit claims was 85.67% & 27.35% respectively and more than 11,00,000 non-suit claims were settled during the year 2011-12.

Recently, a single window facility for senior citizen called 'Samman' has been introduced and is available on the Company's website. A designated officer attends to the queries/complaints etc. on priority basis and resolve the same immediately.

During the year, your Company has achieved synchronization of the online Company's Customer Grievance Management System (CGMS) with that of online IRDA's Integrated Grievance Management System (IGMS). Customer service towards redressal of their grievances has been IT enabled to help the customers track status online.

During the year, your Company has started Customer Portal for online sale of policies such as Two wheeler, Private car, Individual and Parivar Mediclaim with full integration through credit/debit card payment providing anywhere/anytime sale of selected policies for new and renewal policies. Development of launching other retail products including Overseas Mediclaim is in the final stages for Customer Portal.

The Company has embarked on an ambitious and comprehensive IT enabled solution to complement the business process re-engineering. The Company has committed itself to be the most preferred choice of customers for general insurance by building relationships and by growing profitably. Facility for payment through swipe card has been installed at our Delhi offices for payment by credit/ debit cards.

The Company has also implemented Strategic Initiatives such as Claims Processing hubs, Dedicated Offices for SMEs, Efficient Broker Management, dedicated Corporate Offices and consolidation of segmented business operation etc. as a part of ongoing Business Process Re-engineering.

E-payments

All the employees' payments are being made online. Regarding e-payments of claims settlements barring Suit Claims, intimation have gone to all Regional Offices and considerable progress has been achieved in this direction.

Office Network

With 1340 offices and a team of more than 15,000 committed NICians, the Company is spread across the length and breadth of the country.

In the recent past, your Company has spread its wings further into rural and semi-urban heartland of India in pursuit of the social objectives of achieving last mile insurance connectivity and insurance inclusion. During the year, 122 new business centres have been opened. Total 373 Business Centres have been opened during the last three years. Two new Regional Offices namely Vizag and Hubli, have already started working during the year 2011-12 and Delhi Regional Office III has started working in the month of April 2012.

We have also taken up with IRDA for necessary approval for opening 120 offices in unrepresented towns upto Class IV category, of which 72 are from Eastern India (incl. 2 in Mizoram, 4 in Assam, and 1 in Meghalya).

संबंधी ज्ञान एवं जागरूकता का प्रयास प्रचार करने का एक माध्यम भी होगा। यह समुदाय आधारित बीमा सोल्यूशन तथा जटिल मुद्दों के समाधान के लिए कंपनी का एक अभिनव माडल है।

बीमा विस्तार

हमारी कंपनी भारत के सुदूर स्थानों पर बीमा सम्बन्धी सेवाए उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रयासरत है। पिछले वित्तीय वर्ष में कम्पनी सुदूर क्षेत्रों में 6.5 लाख ग्राहकों को, जो मुख्यतया उत्तर एवं पूर्व क्षेत्रों के हैं, अपने साथ जोड़ा (15 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश आईआरडीए के डाटा पर आधारित इंडिया इन्श्योरेन्स रिव्यू)। इस भौगोलिक क्षेत्र के आवरण के लिए हमारी कंपनी को "अंडर सर्व्ड मार्केट पेनिट्रेशन इंडियन इन्श्योरेन्स अवार्ड 2012" से सम्मानित किया गया।

विदेशी प्रचालन

वर्तमान में कम्पनी दो संयुक्त उपक्रमों केनिडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, केन्या तथा इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेन्स प्रा. लि. सिंगापुर में भाग ले रही है। इनके अतिरिक्त हमारे पास केवल एक विदेशी प्रचालन नेपाल में है। यहाँ के व्यवसाय में लगातार पिछले छः वर्षो से ₹25 करोड़ के प्रीमियम के साथ लाभ हो रहा है।

पुनर्बीमा

बीमित विनाशकारी आपदाओं से 105 विलियन डालर से अधिक की हुई क्षति के कारण वर्ष 2011 सबसे मंहगा वर्ष साबित हुआ जिसमें प्रकृति की तबाही के कारण इनकी संख्या दुगनी हो गई तथा 2005 में 101 विलियन डालर की हानि को भी पार कर दिया। पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण रहा कि अधिकतर विनाशकारी हानियों से हुए दावे अनमाडल्ड या अपर्याप्त माडल्ड आपदाओं या आतंकवाद से उत्पन्न हुए।

एशिया में 2011 में 70% की असंभावित हानि हुई। एशिया पैसिफिक प्राकृतिक आपदा के कारण माडलिंग एवं बढ़ी हुई संचय आवश्यकताओं ने रि इंश्योरेन्स प्राइसिंग के दवाब को बढ़ाया। वर्ष 2011 में थाईलैंड में हुई बाढ़ ने पुनर्बीमा की क्षमता को उच्च दरों एवं कड़ी शर्तो के साथ अनुबंधित किया। इन चुनौतियों के दौर में पुनर्बीमाकर्ता थाईलैंड जैसी बाढ़ से हुई हानियो को नियंत्रित करने तथा उन्हें सीमित करने के लिए आँकड़ों की पारदर्शिता की मांग करने लगे।

ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र दायित्व

कम्पनी सत्तर के दशक के प्रारंभ से ही विभिन्न सामाजिक एवं ग्रामीण बिन्दुओं तक पहँच बनाये हुए है। ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों का निर्माण किया गया। ये पॉलिसियां मूल रूप से दुर्घटना, बीमारी या अन्य आपदाओं से सम्पत्ति, जीवन-दोनों मानव एवं जानवर को आवरित करती है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने छः राज्यों आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा, बिहार व पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा को लागू किया। कंपनी ने आईआरडीए (ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) विनियम 2002 एवं संशोधित 2004 के द्वारा पाँच वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया है।

सामाजिक क्षेत्र में कम्पनी ने 6.23 लाख ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान कर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है। चूँकि भारत की दो तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है अतः समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों के लिए ग्राहकों को माइक्रो इन्श्योरेन्स के माध्यम से सहायता पहुँचाई जा सकती है। बीमा के बारे में अज्ञानता तथा जागरूकता का न होना, उच्च लेन देन लागत तथा ग्राहकों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं ने माइक्रो इन्श्योरेन्स के उत्पाद की मांग को बढ़ा दिया है। तथापि मार्केट में ग्राहकों के एक विशाल समूह की उपलब्धता ने इस बीमा के विकास के अवसर को बढ़ाया है जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को इस समूह में शामिल किया जा सकता है।

आपकी कंपनी आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्तमान आर्थिक परिवेश में चालू वित्तीय वर्ष में एक नये आयाम के साथ बेहतर परिणाम देने में सफल होगी।

मैं अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कंपनी में अपना विश्वास बनाये रखा। मैं अपने प्रबन्धन वर्ग एवं कार्मिकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वर्ष के दौरान कम्पनी को अपनी समर्पित सेवाएं दी। मैं कंपनी के निदेशक मंडल, हमारे सभी

Your Company has recently launched the first of its kind air conditioned vehicle equipped with IT connectivity called 'Office on Wheels' which is aimed at providing general insurance products at the doorstep of the common man. It will also serve as a medium for promoting insurance literacy and awareness. This is an innovative model by your Company for implementing community based insurance solutions and solving outreach issues.

Insurance penetration

Your Company has demonstrated continued focus towards reaching the length and breadth of the Country and has out reached more than 6.5 lac customers in the lowest penetrated areas (15 States and Union Territories defined by India Insurance Review based on IRDA data) in last fiscal especially in Northern and Eastern Regions of India. For this far-reaching geographical coverage the Company has been honoured with "Under-served Market Penetration Indian Insurance Award 2012".

Foreign Operations

Presently, The Company is participating in two joint ventures at Kenindia Assurance Company Limited, Kenya and India International Insurance Pte. Ltd., Singapore. Besides these, we have only one Foreign operation in Nepal. The business has shown consistent profit for the last six years with a premium base of around ₹25 crore.

Reinsurance

With insured catastrophe losses in excess of $105 billion, 2011 was one of the costliest years on record with double the natural disaster figure of 2010 and surpassing the record of $101 billion in 2005. The greatest concern for reinsurers was that the majority of the catastrophe claims arose from either un-modeled or inadequately modeled perils or territories.

The distribution of regional losses in 2011 was also unusual with 70% losses occurring in Asia. The Asia-Pacific natural catastrophe events exerted "pressure in reinsurance pricing" both from modeling and an increased margin expectation regardless of the global trend. The severe 'static' flood that took place in Thailand in 2011 led to sharply contracted reinsurance capacity, higher pricing and tighter terms for coverage. In the face of these challenges, reinsurers were taking stronger actions to control and/or limit their exposure to "surprise" losses, such as the Thailand Flood, by either demanding far greater transparency of data, or alternatively, by sub-limiting their exposures to manageable levels.

Rural & Social Sector Obligations

The Company has been reaching out to the rural and different social segments since early seventies. It has an array of products to cater to almost all insurance needs of the rural customers. These policies basically cover loss or damage to different types of property and lives - both human and animals due to accident, diseases and other perils. The Company implemented Rashtriya Swasthya Bima in 6 States in Assam, Mizoram, Tripura, Haryana, Bihar and West Bengal during the year. Your Company has achieved the targets laid down by IRDA (Obligation of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2002 and Amendment Regulations 2004 for the last five years.

In the social sector, the Company underscored its commitment by reaching out to more than 6.23 lakh customers. Since more than two-thirds of India's population lives in rural areas, micro insurance is seen as the most suitable model to reach the poor and weaker sections of the society. Poor insurance literacy and awareness, high transaction costs and inadequate understanding of client needs and expectations has restricted the demand for micro-insurance products. However, the market remains significantly underserved, creating a vast opportunity to reach a large number of customers with good value insurance.

Your Company is optimistic in their outlook about the vast potential within the given economic set up

कार्यालय के सहयोगियों बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, वित्त मत्रालय, भारत सरकार, भारत के महालेखाकार तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा कम्पनी के विकास के लिए दी गई महत्वपूर्ण सलाह एवं दिशानिर्देश के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर मैं अपने अभिकर्ताओं, ब्रोकर्स एवं व्यवसाय सहयोगियों को कंपनी के प्रति उनके समर्पण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। परंपरानुसार हम सम्मान की संस्कृति एवं पारस्परिकता का विकास करते हैं जिनमें हमारे कर्मचारी ग्राहक एवं स्टक होल्डर्स नेशनल इन्श्योरेन्स की आकांक्षाओं से करीब से परिचित होते है तथा सभी की सुविधाओं के लिए एक विजेता के रूप में उभरने का प्रयास करते है।

(एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

and will endeavor to scale new heights by way of better results in the fiscal we have already stepped into.

I would thank our valued Customers for their continued confidence in the Company. I also congratulate and thank the Management and Staff of my Company for their dedicated service throughout the year. I express my sincere thanks to my esteemed Directors on the Board of the Company, my colleagues at all our offices, Insurance Regulatory and Development Authority, Ministry of Finance, Government of India, Comptroller & Auditor General of India and the Statutory Auditors for their valuable advice and guidance for the growth and development of the Company. I would also like to take this opportunity to express my thanks to our Agents, Brokers and all our Partners for their commitment and support to our Company. Based on our tradition, we cultivate a culture of respect and mutuality by which our employees, customers and stakeholders closely identify with the aspirations of "National Insurance" - your Company strive to emerge as winner for the benefit of all concerned.

(N. S. R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

सदस्यों को निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन :

निदेशकगण को एतद्द्वारा अपना 105वाँ वार्षिक प्रतिवेदन और उसके साथ 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लेखा का लेखा परीक्षित विवरण पेश करते हुए हर्ष है :

वित्तीय परिणाम

31 मार्च 2012 तक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण			अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय	- भारत में	CY	**678.34**	**349.59**	**6762.76**	**7790.69**
		PY	570.79	304.57	5345.36	6220.72
	(% वृद्धि)	CY	**18.84**	**14.78**	**26.52**	**25.24**
		PY	33.82	27.45	34.99	34.50
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय	- भारत के बाहर	CY	**6.46**	**2.20**	**16.34**	**25.00**
		PY	6.46	3.07	14.92	24.45
	(% वृद्धि)	CY	**0.00**	**-28.34**	**9.52**	**2.25**
		PY	-0.31	-18.78	41.56	17.55
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय	- कुल	CY	***684.80***	***351.79***	***6779.10***	***7815.69***
		PY	577.25	307.64	5360.28	6245.17
	(% वृद्धि)	CY	**18.63**	**14.35**	**26.47**	**25.15**
		PY	33.31	26.73	35.01	34.42
स्वीकृत रि-इंश्योरेन्स प्रीमियम	- भारत में	CY	**122.98**	**14.85**	**1043.44**	**1181.27**
		PY	108.14	19.23	557.21	684.58
	भारत के बाहर	CY	**0.01**	**0**	**0.00**	**0.01**
		PY	0.04	0	0.01	0.05
	कुल	CY	***122.99***	***14.85***	***1043.44***	***1181.28***
		PY	108.18	19.23	557.22	684.63
अर्पित रि-इंश्योरेन्स प्रीमियम	- भारत में	CY	**229.92**	**165.31**	**1641.54**	**2036.77**
		PY	205.51	157.70	1169.63	1532.84
	भारत के बाहर	CY	**2.56**	**0**	**4.79**	**7.35**
		PY	3.10	0	4.15	7.25
	कुल	CY	***232.48***	***165.31***	***1646.33***	***2044.12***
		PY	208.61	157.70	1173.78	1540.09
शुद्ध प्रीमियम	- भारत में	CY	**571.40**	**199.13**	**6164.66**	**6935.19**
		PY	473.42	166.10	4732.94	5372.46
	(% वृद्धि)	CY	**20.70**	**19.89**	**30.25**	**29.09**
		PY	26.52	28.49	36.82	35.58
	(सकल प्रीमियम का %)	CY	**84.24**	**56.96**	**91.16**	**89.02**
		PY	82.94	54.54	88.54	86.36

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

Your Directors take immense pleasure in submitting their 105th Annual Report and the Audited Statement of Accounts for the financial year ended 31st March 2012.

FINANCIAL RESULTS

SUMMARISED FINANCIAL RESULTS AS ON 31ST MARCH 2012

(₹ in crore)

Particulars			Fire	Marine	Misc	Total
Gross Direct Premium Income	**- India**	**CY**	**678.34**	**349.59**	**6762.76**	**7790.69**
		PY	570.79	304.57	5345.36	6220.72
	(% Growth)	**CY**	**18.84**	**14.78**	**26.52**	**25.24**
		PY	33.82	27.45	34.99	34.50
Gross Direct Premium Income	**- Outside India**	**CY**	**6.46**	**2.20**	**16.34**	**25.00**
		PY	6.46	3.07	14.92	24.45
	(% Growth)	**CY**	**0.00**	**-28.34**	**9.52**	**2.25**
		PY	-0.31	-18.78	41.56	17.55
Gross Direct Premium Income	**- Total**	**CY**	***684.80***	***351.79***	***6779.10***	***7815.69***
		PY	577.25	307.64	5360.28	6245.17
	(% Growth)	**CY**	**18.63**	**14.35**	**26.47**	**25.15**
		PY	33.31	26.73	35.01	34.42
Reinsurance Premium Accepted	**- India**	**CY**	**122.98**	**14.85**	**1043.44**	**1181.27**
		PY	108.14	19.23	557.21	684.58
	Outside India	**CY**	**0.01**	**0**	**0.00**	**0.01**
		PY	0.04	0	0.01	0.05
	Total	**CY**	***122.99***	***14.85***	***1043.44***	***1181.28***
		PY	108.18	19.23	557.22	684.63
Reinsurance Premium Ceded	**- India**	**CY**	**229.92**	**165.31**	**1641.54**	**2036.77**
		PY	205.51	157.70	1169.63	1532.84
	Outside India	**CY**	**2.56**	**0**	**4.79**	**7.35**
		PY	3.10	0	4.15	7.25
	Total	**CY**	***232.48***	***165.31***	***1646.33***	***2044.12***
		PY	208.61	157.70	1173.78	1540.09
Net Premium	**- India**	**CY**	**571.40**	**199.13**	**6164.66**	**6935.19**
		PY	473.42	166.10	4732.94	5372.46
	(% Growth)	**CY**	**20.70**	**19.89**	**30.25**	**29.09**
		PY	26.52	28.49	36.82	35.58
	(% to Gross Premium)	**CY**	**84.24**	**56.96**	**91.16**	**89.02**
		PY	82.94	54.54	88.54	86.36

शुद्ध प्रीमियम	भारत के बाहर	CY	3.91	2.20	11.55	17.66
		PY	3.40	3.07	10.78	17.25
	(% वृद्धि)	CY	15.00	-28.34	7.14	2.38
		PY	29.77	-18.78	25.06	14.85
	(सकल प्रीमियम का %)	CY	60.53	100.00	70.69	70.64
		PY	52.63	100.00	72.25	70.55
कुल शुद्ध प्रीमियम		CY	575.31	201.33	6176.21	6952.85
		PY	476.82	169.17	4743.72	5389.71
	(% वृद्धि)	CY	20.66	19.01	30.20	29.00
		PY	26.54	27.15	36.79	35.50
	(सकल प्रीमियम का %)	CY	84.01	57.23	91.11	88.96
		PY	82.60	54.99	88.50	86.30
आरक्षित असमाप्त जोखिम में वृद्धि/कमी		CY	49.25	24.78	805.29	879.32
		PY	50.00	26.84	548.92	625.76
	(शुद्ध प्रीमियम का %)	CY	8.56	12.31	13.04	12.65
		PY	10.49	15.87	11.57	11.61
अर्जित प्रीमियम		CY	526.06	176.55	5370.92	6073.53
		PY	426.82	142.33	4194.80	4763.95
शुद्ध उपगत दावा		CY	431.75	136.41	4745.91	5314.07
		PY	241.76	112.66	4268.85	4623.27
	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	82.07	77.26	88.36	87.50
		PY	56.64	79.15	101.77	97.05
शुद्ध कमीशन		CY	34.70	12.42	314.26	361.38
		PY	14.21	11.90	229.33	255.44
	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	6.60	7.03	5.85	5.95
		PY	3.33	8.36	5.47	5.36
प्रबन्धन व्यय		CY	141.52	48.15	1594.17	1783.84
		PY	144.24	51.54	1406.53	1602.31
	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	26.90	27.27	29.68	29.37
		PY	33.79	36.21	33.53	33.63
अन्य आय (-)/जावक (+)		C/Y	-0.11	-0.06	-4.49	-4.66
		P/Y	1.06	0.61	1.66	3.33
बीमा लेखन परिणाम		CY	-81.80	-20.37	-1278.93	-1381.10
		PY	25.55	-34.38	-1711.57	-1720.40
	(अजित प्रीमियम का %)	CY	-15.55	-11.54	-23.81	-22.74
		PY	5.99	-24.16	-40.80	-36.11
निवेश आय - पालिसीधारक		CY	110.16	49.84	1259.76	1419.76
		PY	131.68	51.85	1265.97	1449.50
पालिसीधारक खाता (राजस्व)		CY	28.36	29.47	-19.17	38.66
		PY	157.23	17.47	-445.60	-270.90
निवेश आय - शेयर होल्डर्स		CY				291.93
		PY				370.63

Net Premium	**Outside India**	**CY**	**3.91**	**2.20**	**11.55**	**17.66**
		PY	3.40	3.07	10.78	17.25
	(% Growth)	**CY**	**15.00**	**-28.34**	**7.14**	**2.38**
		PY	29.77	-18.78	25.06	14.85
	(% to Gross Premium)	**CY**	**60.53**	**100.00**	**70.69**	**70.64**
		PY	52.63	100.00	72.25	70.55
Total Net Premium		**CY**	***575.31***	***201.33***	***6176.21***	***6952.85***
		PY	476.82	169.17	4743.72	5389.71
	(% Growth)	**CY**	**20.66**	**19.01**	**30.20**	**29.00**
		PY	26.54	27.15	36.79	35.50
	(% to Gross Premium)	**CY**	**84.01**	**57.23**	**91.11**	**88.96**
		PY	82.60	54.99	88.50	86.30
Addition/Reduction in Un-expired Risk Reserve		**CY**	***49.25***	***24.78***	***805.29***	**879.32**
		PY	50.00	26.84	548.92	625.76
	(% to Net Premium)	**CY**	**8.56**	**12.31**	**13.04**	**12.65**
		PY	10.49	15.87	11.57	11.61
Earned Premium		**CY**	***526.06***	***176.55***	***5370.92***	***6073.53***
		PY	426.82	142.33	4194.80	4763.95
Incurred Claims Net		**CY**	***431.75***	***136.41***	***4745.91***	***5314.07***
		PY	241.76	112.66	4268.85	4623.27
	(% to Earned Premium)	**CY**	**82.07**	**77.26**	**88.36**	**87.50**
		PY	56.64	79.15	101.77	97.05
Commission Net		**CY**	***34.70***	***12.42***	***314.26***	**361.38**
		PY	14.21	11.90	229.33	255.44
	(% to Earned Premium)	**CY**	**6.60**	**7.03**	**5.85**	**5.95**
		PY	3.33	8.36	5.47	5.36
Expenses of Management		**CY**	***141.52***	***48.15***	***1594.17***	***1783.84***
		PY	144.24	51.54	1406.53	1602.31
	(% to Earned Premium)	**CY**	***26.90***	***27.27***	***29.68***	***29.37***
		PY	33.79	36.21	33.53	33.63
Other Income(-)/Outgo(+)		**CY**	***-0.11***	***-0.06***	***-4.49***	***-4.66***
		PY	1.06	0.61	1.66	3.33
Underwriting Results		**CY**	***-81.80***	***-20.37***	***-1278.93***	***-1381.10***
		PY	25.55	-34.38	-1711.57	-1720.40
	(% to Earned Premium)	**CY**	**-15.55**	**-11.54**	**-23.81**	**-22.74**
		PY	5.99	-24.16	-40.80	-36.11
Investment Income - Policyholders		**CY**	***110.16***	***49.84***	***1259.76***	***1419.76***
		PY	131.68	51.85	1265.97	1449.50
Revenue Policyholders' Account		**CY**	***28.36***	***29.47***	***-19.17***	***38.66***
		PY	157.23	17.47	-445.60	-270.90
Investment Income - Shareholders		**CY**				***291.93***
		PY				370.63

कुल निवेश आय	CY PY				*1711.69* 1820.13
संदिग्ध ऋण का प्रावधान	CY PY				*-128.00* 22.53
जावक घटाकर अन्य आय	CY PY				*-127.53* -1.80
कर पूर्व लाभ	CY PY				*331.06* 75.40
कर हेतु प्रावधान	CY PY				*6.30* 0.75
कर पश्चात लाभ	CY PY				*324.76* 74.65
प्रस्तावित लाभांश	CY PY				*0* 0
लाभांश संवितरण कर	CY PY				*0* 0
पूर्व वर्षों का समायोजित कर	CY PY				*0.45* 0.24
सामान्य आरक्षित में स्थानान्तरित/आकस्मिक आरक्षित	CY PY				*325.21* 74.89

पूँजी तथा निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2010-11	
शेयरधारकों का कोष :				
प्रदत्त पूँजी	100.00		100 00	
सामान्य आरक्षित	1881.56	1981.56	1481 46	1581 46
(आरक्षित आस्थगित कर सहित)				
पालिसीधारकों का कोष:				
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित	3502.02		2622.71	
वर्ष के अन्त में बकाया दावों के लिए प्राक्कलित देयता	4850.29	8352.31	5068.53	7691.24
		10333.87		9272.70

विगत वर्ष में ₹1061.17 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान ₹1506.34 करोड़ कुल निधियों की अभिवृद्धि रही । कम्पनी की कुल सम्पत्तियों ₹19908.26 करोड़ रही जो वर्ष 2010-11 में ₹19365.22 करोड़ थीं।

Total Investment Income	**CY** PY				***1711.69*** 1820.13
Provision for Doubtful Debts	**CY** PY				***-128.00*** 22.53
Other Income less outgo	**CY** PY				***-127.53*** -1.80
Profit Before Tax	**CY** PY				***331.06*** 75.40
Provision for Tax	**CY** PY				***6.30*** 0.75
Profit After Tax	**CY** PY				***324.76*** 74.65
Proposed Dividend	**CY** PY				**0** 0
Dividend Distribution Tax	**CY** PY				**0** 0
Tax Adjustment for earlier years	**CY** PY				**0.45** 0.24
Transfer to General Reserve/Contingency Reserve	**CY** PY				***325.21*** 74.89

CAPITAL & FUNDS

(₹ in crore)

Particulars	**2011-12**		2010-11	
Shareholders' Fund :				
Paid-up Share Capital	**100.00**		100.00	
General Reserve	**1881.56**	**1981.56**	1481.46	1581.46
(including Deferred Tax Reserve)				
Policyholders' Fund :				
Reserve for Unexpired Risks	**3502.02**		2622.71	
Estimated Liability for Outstanding Claims at the end of the year	**4850.29**	**8352.31**	5068.53	7691.24
		10333.87		9272.70

The accretion in total funds in 2011-12 has been ₹1061.17 crore as against ₹1506.34 crore in the previous year. The total assets of the Company amounted to ₹19908.26 crore as against ₹19365.22 crore in 2010-11.

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

शुद्ध उपगत दावा :

कुल शुद्ध उपगत दावा में कमी आई। उपगत दावा 2010-11 में 97.05% से घटकर 2011-12 में 87.50% रह गया। शुद्ध प्रतिधारण में वृद्धि हुई जो पिछले वित्तीय वर्ष में 86.30% से बढ़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 88.96% हो गया।

प्रबन्धन व्यय :

वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रबन्धन व्यय ₹1783.84 करोड़ रहा जो वर्ष 2010-11 में ₹1602.31 करोड़ था जब कि व्यय अनुपात (कुल अर्जित प्रीमियम पर) घटकर 4.26% रह गया। कम्पनी बीमा अधिनियम के अनुसार निर्धारित मान्य सीमा में इसे लाने हेतु प्रयासरत है।

धारा 40सी का अनुपालन :

	2011-12	2010-11
अधिनियम में निर्धारित कमीशन सहित व्यय प्रतिशत	29.12	29.05
अधिनियम में निर्धारित कमीशन सहित वास्तविक व्यय प्रतिशत।	28.66	31.98

उक्त प्रतिशत की गणना कम्पनी की जी.डी.पी.आई (भारत) के आधार पर की जाती है।

यह संतुष्टि का विषय है कि कम्पनी ने बीमा अधिनियम 1938 जो बीमा नियम 1939 के नियम 17-ई के पढ़ा जायेगा, की धारा 40-सी का अनुपालन किया।

कम्पनी ने वर्तमान वर्ष कर पूर्व शुद्ध लाभ ₹331.06 करोड़ दर्ज किया जबकि पिछले वर्ष कर पूर्व शुद्ध लाभ ₹75.40 करोड़ था।

अग्नि एवं मरीन पोर्टफोलियों में आधिक्य के रूप में क्रमश: ₹28.36 करोड़ व ₹29.47 करोड़ का लाभ रहा विविध बीमा पोर्टफोलियों के बीमालेखन निष्पादन में ₹19.17 करोड़ की हानि रही।

लाभांश:

बोर्ड ने ₹324.76 करोड़ के प्राफिट पर लाभांश की अनुशंसा नहीं की है क्योंकि यह आईआरडीए के दिशानिर्देश दिनांक 3 जनवरी 2012 के अनुसार वितरण हेतु उपलब्ध नहीं है।

शोधन क्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन:

कम्पनी की शोधन क्षमता 31 मार्च, 2012 को 1.37 है जब कि 31 मार्च, 2011 को यह 1.34 थी।

(₹ करोड़ मे)

आईआरडीए के नियमानुसार वांछित शोधन क्षमता।	1453.46
उपलब्ध/वर्तमान शोधन क्षमता।	1985.42

उक्त के अनुसार उपलब्ध शोधन क्षमता को प्राप्त करने के लिए निवेश की बुक बैल्यू को लिया गया है। अन्य शब्दों में ₹7162.14 करोड़ के परिवर्तित मूल्य को शोधन क्षमता की गणना में नहीं लिया गया है।

क्रिसिल रेटिंग:

क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्तीय शक्ति रेटिंग के लिए कम्पनी को एएए/स्टेबल रेटिंग प्रदान की गई है जिससे पालिसीधारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने की सर्वाधिक वित्तीय शक्ति प्रदर्शित होती है।

विदेशी विनिमय आय तथा व्यय:

विदेशी मुद्रा में कुल आय तथा व्यय क्रमश: ₹127.87 करोड़ और ₹88.47 करोड़ था। आय में आवक पुनर्बीमा अर्पण पर दावा वसूली तथा निधियों एवं निवेशों की आवक जमा शामिल है, जबकि व्यय में जावक पुनर्बीमा अर्पण आवक पुनर्बीमा स्वीकृति पर दावा निष्पादन आदि शामिल है।

निवेश:

31 मार्च, 2012 को भारत में कुल निवेश ₹10730.17 करोड़ हुआ जो पिछले 31 मार्च, 2011 को ₹8386.66 करोड़ था।

NET INCURRED CLAIMS:

The overall Net Incurred Claim has gone down from 97.05% in 2010-11 to 87.50% in 2011-12 with increase in Net Retention from 86.30% in the last fiscal to 88.96% in the current fiscal.

EXPENSES OF MANAGEMENT:

Total expenses of management for the fiscal 2011-12 were ₹1783.84 crore as against ₹1602.31 crore in 2010-11 while expense ratio (on net earned premium) has come down by 4.26%. The Company has been making determined efforts to bringing it within the permissible limit as per Insurance Act.

COMPLIANCE WITH SECTION 40C

	2011-12	2010-11
Percentage of expenses including commission prescribed under the Act	29.12	29.05
Company's actual percentage of expenses including commission	28.66	31.98

The above percentages are calculated on GDPI (India) of the Company.

It is a matter of satisfaction that the Company has compliance with Sec. 40C of the Insurance Act, 1938, read with Rule 17E of the Insurance Rules, 1939.

The Company has recorded a Net Profit Before Tax of ₹331.06 crore in the current year as against Net Profit Before Tax of ₹75.40 crore in the previous year.

Fire and Marine portfolio has shown to be profitable resulting in a surplus of ₹28.36 crore and ₹29.47 crore respectively. The underwriting performance of Miscellaneous portfolio continues to show losses of ₹19.17 crore.

DIVIDEND:

The Board is not recommending dividend on the profit after tax made of ₹324.76 crore as the same is not available for distribution as per guidelines of IRDA dated 3rd January 2012.

COMPLIANCE OF SOLVENCY MARGIN REQUIREMENTS:

The Company has the solvency margin of 1.37 as at 31st March 2012 as against 1.34 as at 31st March 2011.

(₹ in crore)

Required Solvency Margin under IRDA Regulation	1453.46
Available Solvency Margin	1985.42

For the purpose of arriving at available solvency margin as above, book value of Investment has been considered as prescribed. In other words Fair Value Change of ₹7162.14 crore is not considered for the calculation of solvency margin.

CRISIL RATING:

The Company continues to enjoy the 'AAA/STABLE' rating by CRISIL, which reflects the highest financial strength to meet the policyholders' obligations.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

The income and outgo in foreign exchange aggregated to ₹127.87 crore and ₹88.47 crore respectively. The income was on account of inward reinsurance acceptances, claims recovery on outward reinsurance cessions, inward remittances of funds and investments, while outgo was due to outward reinsurance cessions, claim settlement on inward reinsurance acceptances.

INVESTMENT:

The total Investments in India as on 31st March 2012 was ₹10730.17 crore as against ₹8386.66 crore as on 31st March 2011. Out of this, investments in Socially-oriented Sectors which include Central and State Government Securities, Government Guaranteed Bonds, Infrastructure Bonds,

इसमें से समाजोन्मुख क्षेत्रों, जिसमें शामिल है केन्द्रीय व राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, सरकारी गारंटीयुक्त बंध-पत्र, ढाँचागत बंध-पत्र, आवास और अग्नि शमन उपकरणों के लिए हुडको और विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों में 31 मार्च 2012 को ₹5268.61 करोड़ का निवेश हुआ जो पिछले वर्ष 31 मार्च, 2011 को ₹4324.06 करोड़ था।

कम्पनी ने सेकंडरी मार्केट में प्रचालन जारी रखा और कम्पनी की प्रतिभूतियों की बिक्री से अर्जित लाभ वर्तमान वर्ष में ₹822.32 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹1148.72 करोड़ था। वर्ष के दौरान कुल निवेश आय (बिक्री/विमोचन पर लाभ सहित) ₹1711.69 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹1820.13 करोड़ था। वर्ष 2011-12 में निवेश से (लाभ सहित) 17.90% प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष 24.66% था।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने निवेश कार्पस में ₹2343.51 करोड़ संचय किया जो पिछले वर्ष ₹2021.26 करोड़ था।

कम्पनी ने ऋण तथा ऋणपत्र को वर्गीकरण और निष्क्रिय सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थानों पर लागू प्रावधान से संबंधित आईआरडीए के नियमों का पालन किया। सकल निष्क्रिय सम्पत्ति के लिए प्रावधान घटकर ₹14.91 करोड़ हुआ और निष्क्रिय सम्पत्ति का शुद्ध प्रतिशत घटकर वर्तमान वर्ष में 0.06% रहा जो पिछले वर्ष 0.38% था। कम्पनी ने वर्ष के दौरान निष्क्रिय सम्पत्ति से ₹21.58 करोड़ की प्रतिपूर्ति की।

वर्ष के दौरान अपलिखित निवेश ₹2.23 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹0.46 करोड़ था।

31 मार्च, 2012 को भारत में इक्विटी निवेश का कुल बही मूल्य ₹2953.94 करोड़ था। इन निवेशो का अद्यतन फेयर वेल्यू ₹10115.71 करोड़ था जो बही मूल्य के 342.45% को प्रदर्शित करता है।

पुनर्बीमा:

बीमित विनाशकारी आपदाओं से 105 विलियन डालर से अधिक की हुई क्षति के कारण वर्ष 2011 सबसे मँहगा वर्ष साबित हुआ जिसने प्रकृति की तबाही के कारण 2005 में हुई 101 विलियन डालर की हानि को भी पार कर गया। पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण रहा कि अधिकतर विनाशकारी हानियों से हुए दावे अनमाडल्ड, अपर्याप्त माडल्ड आपदा या आतंकवाद से उत्पन्न हुए थे। जोखिम प्रबन्धन पर बढ़ते प्रभाव के अंतर्गत 2011 के परिणाम प्राकृतिक आपदाओं को विशेष रूप से जानने के लिए एक अनुस्मारक था। पहली तिमाही में न्यूजीलैंड में भूकम्प, आस्ट्रेलिया में बाढ़, जापान में भूकम्प, सुनामी एवं परमाणु आपदा के प्रभाव तथा 2011 की द्वितीय तिमाही में हुए अत्यधिक प्राकृतिक विनाशकारी आपदाएं जिनमें युनाइटेड स्टेट में हुए तूफान, टारनेडो तथा न्यूजीलैंड में आये झटकों से हुई विशाल हानियों सम्मिलित है। 2011 में थाईलैंड में हुई बाढ़ ने पुनर्बीमा की क्षमता को उच्च दरों एवं कड़ी शर्तो के साथ अनुबंधित किया इन हानि की घटनाओं ने विनाशकारी आपदा हेतु दावा रिजर्व को समाप्त कर दिया तथा एक स्तरीय पूँजी के बावजूद भी पुनर्बीमाकर्ताओं की निवेश आय को लगातार प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

वर्ष 2011 में क्षेत्रीय हानियों के वितरण में एशिया में 70% की हानि हुई। एशिया पैसिफिक प्राकृतिक आपदा के कारण माडलिंग एवं बढ़ी हुई संचय आवश्यकताओं ने रि-इन्श्योरेन्स प्राइसिंग के दबाव को बढ़ाया। इन चुनौतियों के दौर में पुनर्बीमा थाईलैंड जैसी बाढ़ से हुई क्षति की हानियों को नियंत्रित/सीमित करने के लिए कठोर कदम उठाये तथा संभावित प्रबन्धन स्तर पर डाटा पारदर्शिता की मांग की। वर्ष 2011 में नवीकरण की दरों में वृद्धि हुई जिससे क्लाइंट, रीजन एवं पोर्टफोलियों में भिन्नता उत्पन्न हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से अधिक बढ़ोत्तरी हुई। ऐसा कहा गया कि भारत विश्व स्तर पर तात्कालिक रिकवरी साइकिल में एक कुशल निष्पादक है जो 2012 तक और भी महत्वपूर्ण हो जायेगा। वर्ल्ड एकोनामिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 एवं 2012 में विश्व अर्थव्यवस्था की गति धीमी रही लेकिन वृद्धि बरकरार रही। भारत और चीन का विश्व की कुल वृद्धि में आधा हिस्सा रहा। भारत की अर्थव्यवस्था को, मजबूत निवेश, बढ़ी हुई कैपिटल इन्फलो, मजबूत औद्योगिक उत्पादन तथा उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग ने, पूरा सहयोग दिया। संशोधित लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के साथ

Loans to HUDCO and various State Governments for Housing and Fire Fighting Equipments amounted to ₹5268.61 crore as on 31st March 2012 as against ₹4324.06 crore as on 31st March 2011.

The Company continued to operate actively in the Secondary Market. The profit earned on sale and redemption of securities during the year was ₹822.32 crore as against last year's figure of ₹1148.72 crore. The total investment Income (inclusive profit on sale / redemption) during the year was ₹1711.69 crore as against ₹1820.13 crore in the previous year. The yield on investment (with profit) for 2011-12 was 17.90% as against 24.66% in the previous year.

During the year the Company added ₹2343.51crore to its investment corpus as against ₹2021.26 crore in the previous year.

The Company has followed the norms prescribed by IRDA relating to classification of Loans and Debentures and provision for Non Performing Assets (NPA). The total provision for NPA has decreased by ₹14.91 crore and the net NPA percentage has come down to 0.06% in the current year as compared to 0.38% in previous year. The Company has recovered ₹21.58 crore from NPA during the year.

Investment written off / down during the year was ₹2.23 crore as against the last year's figure of ₹0.46 crore.

The aggregate book value of Equity Investments in India as on 31st March 2012 amounted to ₹2953.94 crore The fair value of these investments as on that date was ₹10115.71 crore, representing 342.45% of book value.

REINSURANCE:

With insured catastrophe losses in excess of $105 billion, 2011 was one of the costliest years on record with double the natural-disaster figure of 2010 and surpassing the record of $101 billion in 2005. The greatest concern for reinsurers was that the majority of the catastrophe claims arose from either un-modeled or inadequately modeled perils or territories. With ever growing emphasis on risk management, the results of 2011 was a reminder of the limitations of understanding of natural catastrophes. Following the first quarter's earthquake in New Zealand, floods in Australia, and earthquake, tsunami and nuclear disaster in Japan, the second quarter of 2011 brought more devastating natural catastrophes, including storms and tornadoes across the United States and damaging aftershocks in New Zealand. The severe 'static' flooding that took place in Thailand over 2011 led to sharply contracted reinsurance capacity, higher pricing and tighter terms for coverage. These loss events depleted reinsurers catastrophe claims reserves and despite the reasonable levels of capitalization, the investment income outlook for all reinsurers continued to be bleak.

The distribution of regional losses in 2011 was also unusual with 70% of losses occurring in Asia. The Asia-Pacific natural catastrophe events exerted 'pressure in reinsurance pricing" both from modeling and an increased margin expectation regardless of the global trend. In the face of these challenges, reinsurers were taking stronger actions to control and/or limit their exposure to "surprise" losses, such as the Thailand Flood, by either demanding far greater transparency of data, or alternatively, by sub limiting their exposures to manageable levels. 2011 renewals thus saw rates moving up but with increased differentiation by client, region and portfolio.

The performance of the Indian economy during 2011-12, greatly exceeded expectations. The outturn endorses the long-held view that India would be a global growth outperformer in the recent recovery cycle and the outperformance will likely become even more marked in 2012. World Economic Outlook report suggest that in 2011 and 2012, the global economy is shifting into a phase of slower but solid growth, with India and China contributing towards almost half of the global growth. India's economic growth is being supported by robust investment, increased capital inflows, and stronger industrial output, buoyed by rising consumer demand. Strong economic growth

मजबूत आर्थिक वृद्धि, उदारीकरण तथा निवेश नियमों में सुगमता ने घरेलू एवं विदेशी बीमाकर्ताओं के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया।

वर्ष 2011-12 के दौरान दो प्रमुख हानियां, भेल की पैकेज पॉलिसी में मरीन ट्रॉंजिट हानि तथा सिक्किम में भूकम्प, दर्ज की गई। भूकम्प की हानि से पर्याप्त रिकवरी हुई तथा यह घटना जापान/ न्यूजीलैंड में हुई हानियों के तुरंत पश्चात की घटना थी जो पुनर्बीमाकर्ताओं के मस्तिष्क पर ताजा थी तथा अपने नवीकरण को प्राप्त करने में एक चुनौतीपूर्ण थी।

1 अप्रैल 2011 को पिछले 12 से 18 महीनों में विश्वस्तर पर हुए विनाशकारी हानियों के पश्चात हमारे नवीकरण को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय नवीकरण जो एशिया पैसिफिक रीजन के व्यवसायों पर आधारित है। मार्च 2011 में जापान के टोहोकू में आये भुकम्प के कुछ सप्ताह पश्चात ही हुआ था। सौपी गई हानियों एवं उच्चस्तरीय भूकम्प की प्रक्रिया के प्रभाव के परिणामस्वरूप प्राइसिंग के साथ जोखिम की पुन:समीक्षा, संलग्नता, पुर्नस्थापन एवं क्षमता की पुन: जाँच की आवश्यकता महसूस हुई। प्रतिधारण स्तर पर दबाव लागू किया गया, हानि प्रभावित स्तर पर प्राइसिंग तथा अपर लेयर पर आन लाइन निम्नतम चार्ज को लागू किया गया। पुर्नस्थापन शर्त पर दबाब बनाया गया तथा पूर्व भुगतानित पुर्नस्थापन प्रोग्राम ने इस सुविधा को समाप्त कर दिया। प्रोपोशनल ट्रीटीज में विनाशकारी जोखिम इवेंट लिमिट इस्केलेसन की मांग के साथ दबाव में था।

वर्ष 2011-12 की हमारी अनुपातिक ट्रीटीज को समाप्ति कमीशन स्तर सहित अंतराष्ट्रीय मार्केट में, प्रापर्टी को छोड़कर लाया गया। प्रतिकूल हानि अनुभव के कारण हमने प्रापर्टी सरप्लसट्रीटी के कमीशन में 4% कमी की। अन्य ट्रीटीज का कमीशन स्तर समाप्ति स्तर पर बनाये रखा गया। नई इंजीनियरिंग को सेकंड सरप्लस ट्रीटी के साथ आंका गया। अग्नि, इंजीनियरिंग, विविध एवं मरीन कार्गो की ट्रीटी सीमा में मार्केट की आवश्यकताओं एवं पुनर्बीमा क्षमता के परिप्रेक्ष्य में बढ़ाया गया। मार्केट की स्थिति के अनुसार ऐसी स्थिति में हम अपने पूरे प्रोपोशनल ट्रीटी को प्लेस करने में सफल हुए।

हमारे गैर आनुपातिक प्रोग्राम के संबंध में विनाशकारी हानियों के लगातार दूसरे वर्ष में मौसम में परिवर्तन के विषय में पुनर्बीमाकर्ता तथा व्यवसायिक माडलर्स अपने विचारों की समीक्षा कर रहे थे। कोटिंग मार्केट सकल एग्रीगेट के लिए अनुरोध कर रहा था तथा अंडरराइटिंग के लिए अधिकाधिक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण हानि से होने वाली क्षमता का आंकलन पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा किया जा सके। जब कि हम लोग कैटास्ट्राफी एग्रीगेट के आंकड़े तथा पोर्टफोलियों का अनुभव देने में सफल हुए है फिर भी पुनर्बीमाकर्ताओं का रेट वैश्विक ट्रेंड के साथ कठिन होता जा रहा है। कैटास्ट्राफी एक्सेस आफ लॉस प्रोग्राम, लायबिलिटी एक्सेस आफ लॉस प्रोग्राम आयल एण्ड एनर्जी एक्सेस आफ लॉस प्रोग्राम एवं फारेन इन्वर्ड एक्सेस आफ लास प्रोग्राम में अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के बावजूद जीएनपीआई लागत तथा अन्य आवरण को समाप्ति की सीमा पर नवीकरण करने में आंशिक रूप से वृद्धि हुई। हमें सूचित करते हुए हर्ष है कि सुरक्षित कीमतें एवं शर्तें एक्सपोजर तथा हानि अनुभव के अनुरूप हैं।

हमने वर्ष 2011-12 में अपनी प्रापर्टी, इंजीनियरिंग, विविध एवं मरीन एक्सेप्टेंस (विदेशी इन्वर्ड) सीमा को बढ़ाया है। यह इन्वर्ड रि इन्श्योरेन्स व्यवसाय का चयन जोखिम गुणवत्ता तथा हानि अनुभव के आंकलन के पश्चात स्वीकार करता है। कम्पनी ने रिट्रासेसन एकाउन्ट में भागीदारी से इन्कार किया, केवल उनमें भागीदारी की जो पहले से बुक्स में है। कम्पनी के पास किसी भी घटना या गैर अनुमानित घटना से निपटने के लिए उपयुक्त रि इन्श्योरेन्स कवर है। वर्तमान एकाउन्टस में नये एक्सेप्टेंस एवं इन्क्रीज्ड ट्रीटी शेयर के कारण हम अपने पोर्टफोलियों को विस्तार देने में सफल हुए तथा एशिया सबकांटिनेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके।

वर्ष 2011-12 के दौरान हम कुछ प्रमुख एकाउन्टस को वापस पाने में सफल हुए है। तथा रि इन्श्योरेन्स मार्केट से फैकल्टेटिव रि इन्श्योरेन्स दरों एवं शर्तो पर कुछ नये बड़े एकाउन्ट्स को सुरक्षित रखने में सफल हुए है।

कम्पनी के पास उच्च गुणवत्ता वाले पुनर्बीमाकर्ता है जिन्हे स्टेडर्ड एवं पुअर्स या अन्य एजेंसियों द्वारा बी बी बी की रेटिंग दी गई है।

combined with an improving legislative framework, ongoing liberalization and easing of investment rules provided scope for growth for both domestic and foreign insurers.

During the year 2011-12, two major losses were reported i.e. Marine transit loss of BHEL's package policy and Sikkim Earthquake loss. The EQ loss entailed substantial recovery and its immediate recurrence after the Japan/NZ loss was fresh on the reinsurers' mind and proved to be a challenge as we strived to obtain competitive renewal terms.

Following significant worldwide catastrophe loss activity over the past 12 to 18 months, our renewals faced a hardening market at 1st April 2011. The Indian renewals, which is dominated by business in the Asia-Pacific region, followed just a few weeks after the devastating Tohoku earthquake struck off Japan on March 2011. The effects of the ceded losses and heightened seismic activity resulted in a significant re-appraisal of the risk with pricing, attachment, reinstatements, capacity being scrutinized and subject to change(s). Significant pressure was applied to retention levels, pricing on loss-affected layers and minimum rates on line charged on upper layers. Pressure was also applied to reinstatement conditions, and programmes with prepaid reinstatements saw withdrawal of this facility. Catastrophe exposure was under pressure in proportional treaties with demands for event limits escalating.

The slips of our Proportional Treaties for 2011-12 were floated in the International market with expiring commission levels except in Property. We had reduced the commission by 4% in Property surplus treaty due to adverse loss experience. Commission levels of other treaties were maintained at expiring levels. For the new Engineering Second Surplus Treaty commission levels were pegged in line with the Property second surplus treaty. The treaty limits were increased in Fire, Engineering, Miscellaneous and Marine Cargo in tandem with market requirements and to augment automatic reinsurance capacity. Notwithstanding the reinsurance market pressures, we were able to complete full placement of our Proportional treaties.

In case of our Non-Proportional programme, reinsurers and commercial modellers were reviewing their approach to catastrophe risk in view of the climate changes as a market concern following a second successive year of unprecedented losses. Quoting markets were requesting for gross aggregates and the trend for enhanced underwriting information continued to escalate with greater pressure being applied by the reinsurers given the constraints on capacity due to losses. Though, we were able to furnish catastrophe aggregate figures and portfolio experience, reinsurers' rates saw signs of hardening in consonance with global trends. Despite procuring additional capacity in our Catastrophe Excess of loss programme, Liability excess of loss progarmme, Oil & Energy excess of loss programme and Foreign Inward excess of loss programme and renewing the other covers on expiring limits, the cost vis-a-vis GNPI increased albeit marginally. We are pleased to report that the secured prices and conditions were commensurate with the exposures and loss experience.

We have increased our acceptance (Foreign Inward) limits under our Property, Engineering, Miscellaneous and Marine in 2011-12. The Company has a policy of limited inward acceptance from foreign countries. It selectively accepts inward reinsurance business after assessing the quality of risk, exposure and experience. The Company avoids participation in retrocession account, except those which are already in the books. The Company has sufficient reinsurance covers to withstand any occurrence or unexpected event(s). Due to new acceptances and increased treaty shares under existing accounts we have been able to enlarge our portfolio and initiate our presence in the Asian sub-continent.

We have also been able to win back some of the major accounts and also secure new mega/large accounts by being able to obtain competitive Facultative Reinsurance rates and terms from the overseas market during 2011-12.

नेटवर्थ में बढ़ोत्तरी तथा परिणामस्वरूप प्रतिधारण एवं मानिटरी कैप्स के प्रभावी होने के पश्चात साधारण बीमा निगम (जीआइसी) के नेशनल इन्श्योरेन्स का प्रतिधारण अनुपात (सकल प्रीमियम का शुद्ध प्रीमियम) वर्ष 2011-12 में 88.96% बढ़ा जो वर्ष 2010-11 में 86.30% था।

टेक्नो मार्केटिंग:

पिछले कुछ वर्षों से हम विभिन्न प्रकार के प्रोजक्ट्स जैसे रोड, ब्रिज, पावर प्लांट एवं हाइड्रो प्रोजक्ट्स इत्यादि में काफी उछाल देख रहे है। हमारे देश में विशाल प्रोजक्ट्स की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है जिन्हें रि इन्श्योरेन्स सपोर्ट की आवश्यकता होती है।

कम्पनी के इंजीनियरिंग बीमा में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है जो 2009-10 में ₹186.92 करोड़, 2010-11 में ₹246.28 करोड़ तथा 2011-12 में ₹301.99 करोड़ थी। प्रधान कार्यालय स्तर पर टेक्नोमार्केटिंग विभाग आर आई विभाग के साथ मिलकर वृहत जोखिम एवं विशाल प्रोजेक्ट की बीमा पॉलिसियों पर कार्य कर रहा है जो कम्पनी की क्षमता में स्वत: नहीं आती। टेक्नोमार्केटिंग विभाग निम्नलिखित गतिविधियों पर कार्य कर रहा है:

अ) क्षेत्रीय कार्यालयों को नये आने वाले प्रोजेक्ट की सूचना तथा उनके बारे में प्रारंभ से ही दिशानिर्देश देना।

ब) ब्रोकर्स/बिडर्स/प्रिंसिपल/फाइनेंसर से संपर्क बनाये रखना।

स) अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों पर कोट करना।

द) ग्राहकों के लिए सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन करना एवं

य) आवश्यक रि-इन्श्योरेन्स प्लेसमेंट के लिए रि-इन्श्योरेन्स विभाग की सहायता करना।

इंजीनियारिंग बीमा व्यवसाय एक लाभकारी बीमा होने के कारण इस क्षेत्र में काफी रणनीति एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। विशाल प्रोजेक्ट इन्श्योरेन्स का आधार तैयार करने हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उद्योग में हुए कुछ विशाल दावों के संदर्भ में बेहतर मार्केटिंग एवं विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अत: प्रत्येक स्तर पर विवेकपूर्ण एवं आक्रामक मार्केटिंग पर बल दिया जा रहा है।

मोटर टीपी दावा:

मोटर टीपी प्रकरणों के कामन मेकेनिज्म फार कम्प्रोमाइज सेटेलमेंट योजना, जो उड़ीसा राज्य के कटक में 26 मार्च, 2011 को लागू किया गया, लगातार सफल रहा। कटक के पायलट सेंटर ने 14 बैठकें आयोजित की जिनमें 637 केसों का ₹8.94 करोड़ पर समझौता हुआ। कटक के पायलट सेंटर की सफलता के पश्चात मार्च 2012 में हमारी कंपनी द्वारा चार अतिरिक्त केन्द्रों कोलकाता, पटना, गुवाहाटी एवं राउरकेला की स्थापना की गई जिनमें 245 केसों का ₹6.76 करोड़ पर निस्तारण किया गया। वर्ष 2012-13 में चार अन्य केन्द्रों सिल्चर, अगरतला, मिदनापुर एवं हल्दिया में खोलने की योजना है।

वर्ष 2011-12 में मोटर टी.पी. केसों में उनकी समीक्षा निस्तारण एवं पुराने केसों की भौतिक जाँच पर प्रबन्धन द्वारा विशेष बल दिया गया। टीपी उपगत दावा अनुपात (आईबीएनआर के बिना) इस वर्ष 81% तथा दावा निस्तारण अनुपात 27.35% रहा।

दावा निपटान (केवल एमएसीटी)

01.04.2011 को लम्बित दावों की संख्या	2011-12 में सूचित दावों की संख्या	2011-12 में निपटान किए गए दावों की संख्या	31.03.2012 को लम्बित दावों की संख्या	2011-12 में दावा निपटान का अनुपात (%)	2010-11 में दावा निपटान का अनुपात (%)
1,88,701	53,118	66,131	1,75,688	27.35	28.96

The Company has an adequate exposure to high credit quality re-insurers, with most of them being rated 'BBB' and above by Standard & Poor's or equivalent rating agencies. With increase in net worth and consequently retentions and introduction of monetary caps in obligatory cessions to General Insurance Corporation (GIC) National Insurance's retention ratio (net premium to gross premium) has increased to 88.96% in 2011-12 from 86.30% in 2010-11.

TECHNO-MARKETING

Over the last few years we have been witnessing a tremendous spurt in the number of projects – mostly in roads, bridges, power plants and hydro projects etc. of various sizes. Also, there is a good increase in number of large projects in our country which require Re-Insurance support.

Steady growth can be seen in the Company's Engineering segment registering ₹186.92 crore in 2009-10,₹246.28 crore in 2010-11 and ₹301.99 crore in the year 2011-12. Techno-Marketing department at HO is handling all operational large risks policies & Large Project Insurance policies which are beyond Company's automatic capacity in consultation with RI Underwriting department. Techno Marketing department is carrying out multi-various functions like:

(a) guiding the regional offices with the upcoming projects information for keeping tabs on these projects right from the day they are announced,

(b) by keeping in touch with the reputed brokers/ prospective bidders / principals / financiers,

(c) by obtaining most competitive terms/quotes from the international market,

(d) conducting seminars/workshops for the clients and

(e) helping the re-insurance department for necessary re-insurance placements.

Engineering business results being very profitable, aggressiveness with strategic planning is the need of the hour. Vigorous efforts are being taken in building large project insurance base. Towards achieving this goal, aggressive marketing with prudence in underwriting is followed in view of serious concerns with regard to a few large claims recently occurred in the Industry. Therefore, emphasis at all levels is given to adopt both aggressiveness and prudence together in their approach.

MOTOR TP CLAIMS:

The success of "Common Mechanism for Compromise Settlement of Motor TP Cases" (CMCSTPC) scheme, which was launched at Cuttack in the state of Orissa on 26th March 2011 continued. The Pilot centre at Cuttack has completed 14 sittings so far resulting in compromise settlement of 637 number of cases for a sum of ₹8.94 crore. With the success of Cuttack Pilot centre, four additional centres in Kolkata, Patna, Guwahati & Rourkela were opened in the month of March 2012 under the administrative control of our Company and 245 cases for a sum of ₹6.76 crore have been settled through this mechanism. It has further been planned to open four more centres during the year 2012-13 at Silchar, Agartala, Midnapur & Haldia.

Claim Settlement Suit (MACT only)

Number of claims outstanding as on 01/04/2011	Number of claims reported during 2011-12	Number of claims settled during 2011-12	Number of claims outstanding as on 31/03/2012	Claim settlement ratio 2011-12 (%)	Claim settlement ratio 2010-11 (%)
1,88,701	53,118	66,131	1,75,688	27.35	28.96

31 मार्च 2012 को बकाया एमएसीटी वाद मामलों का विश्लेषण

(₹ हजार में)

कब से लंबित	संख्या	राशि
3 माह से कम	9242	2079975
6 माह या कम किन्तु 3 माह से अधिक	7567	1230398
1 वर्ष या कम किन्तु 6 माह से अधिक	14167	2500564
3 वर्ष या कम किन्तु 1 माह से अधिक	45784	6698286
5 वर्ष या कम किन्तु 3 वर्ष से अधिक	39000	4292670
5 वर्ष से अधिक	59928	8128561
योग	**175688**	**24930454**

हमारे कार्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर एन सी आई एल. कोलकाता में प्रचालन कार्यालय स्तर पर ट्रिब्यूनल केसों को देख रहे अधिकारियों के लिए एक तीन दिवसीय मोटर टी.पी. क्लेम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के 186 अधिकारियों को उनकी कार्यक्षमता में कुशलता का विकास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। शेष 16 क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को वर्ष 2012-13 में प्रशिक्षित किये जाने की योजना है।

वर्ष के दौरान 5 मोटर टी.पी. क्लेम हब मुम्बई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा एवं चैन्नई में खोले गये। वर्ष 2012-13 में और अधिक क्लेम हब खोले जाने की योजना है तथा वर्तमान में कार्य कर रहे क्लेम हबों की कार्य पद्धति में सुधार करने की भी योजना है।

वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न समझौते, मंचों के माध्यम से केस के निस्तारण को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी जिसमें विशेष रूप से मंडल कार्यालय स्तर पर लंबित 1500 से अधिक केसों को प्रमुखता दी जायेगी।

स्वास्थ बीमा प्रबन्धन:

स्वास्थ बीमा विभाग देश के स्वास्थ बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी अग्रता बनाये रखने के लिए सतत प्रयासरत है। हानि को कम करते हुए वृद्धि करने तथा एक स्वस्थ हेल्थ पोर्टफोलियों बनाने को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

प्रीमियम वृद्धि:

वर्ष 2011-12 के दौरान हेल्थ बीमा में 23.69% की वृद्धि के साथ ₹2079.60 करोड़ का व्यवसाय हुआ जब कि उद्योग की विकास दर 18.50% रही। हेल्थ प्रीमियम ने कम्पनी की जीडीपी आई में 26.69% का योगदान किया तथा पिछले वर्ष के समान ही बना रहा।

बीमालेखन सावधानियां:

समूह पॉलिसियों के बीमालेखन के समय वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की सावधानियों पर ध्यान दिया गया। समूह हेल्थ पॉलिसियों के अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को इसकी प्रक्रिया से संबंधित एक परिपत्र दिनांक 20.04.2011 जारी किया गया। इस परिपत्र के द्वारा लाभ एवं मार्केट प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर जोखिम स्वीकार करने पर बल दिया गया था। समूह नवीकरण पॉलिसियों के संदर्भ में सभी कार्यों जैसे टी.पी.ए. ब्रोकरेज, प्रबंधन व्यय एवं लाभ के बिन्दु के परिपेक्ष्य में "अंडर राइटिंग क्लेम" को लागू करने का प्रयास किया गया।

एक से अधिक पॉलिसियों की स्वीकृति बीमित राशि में वृद्धि, एक लाख से अधिक की नई पॉलिसी, बढ़े हुए चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए उच्च बीमित राशि की पॉलिसी लेने वाले बीमा धारकों के साथ विचार विमर्श सम्बन्धी रिटेल स्वास्थ्य पॉलिसियों को सरल बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये।

Age-wise analysis of Outstanding Suit (MACT only) cases as at 31st March 2012

(Amount ₹ in '000)

Period of pendency	Nos.	Amount
Cases pending for less than 3 months	9242	2079975
Cases pending over 3 months up to 6 months	7567	1230398
Cases pending over 6 months up to 1 year	14167	2500564
Cases pending over 1 year up to 3 years	45784	6698286
Cases pending over 3 years up to 5 years	39000	4292670
Cases pending for more than 5 years	59928	8128561
Total	**175688**	**24930454**

The management of Motor TP Claims continued to remain focus area in the year 2011-12 with emphasis on review, settlement and physical verification of old cases. TP incurred claims ratio (without IBNR) is **81%** this year with claims disposal ratio at **27.35%.**

An in-house three days training programme on "Motor TP Claims Management" for the officers dealing with tribunal cases at the operating offices started in our corporate training centre NCIL, Kolkata. 186 officers from 10 ROs were trained during the year to enhance their skill and efficiency in handling of the Motor TP claims. It has been planned to complete the training of officers concerned of the remaining 16 ROs during the financial year 2012-13.

Five more Motor TP Claim Hubs were opened during the year at Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Vijayawada & Chennai. Plan has been drawn to open more number of such claims Hubs in the financial year 2012-13 as well as to improve the functioning of the existing ones.

During the financial year 2012-13, high priority will be accorded for higher disposal rate of settlement of cases through various alternative conciliatory forums with special attention on Divisional Offices dealing with claims pending over 1500.

HEALTH INSURANCE MANAGEMENT

The Health Insurance department continued to pursue the goal of becoming a lead player in the health insurance business in the country. Emphasis was put on growth with loss reduction for having a self sustainable portfolio over a period of time.

Premium Growth

The Health Insurance business grew at a healthy rate of 23.69% to reach ₹2079.60 crore during the year 2011-12 as against the industry growth rate of 18.50%. The health premium contributed 26.69% to the total GDPI of the Company and remained almost same like the previous year.

Underwriting Measures

A number of initiatives were taken during the year to bring in discipline in underwriting of group policies. A circular dated 20.4.2011 was issued to all ROs detailing the procedures to be followed for approval and acceptance of group health policies. The circular emphasized on accepting proposals as per risk exposures without losing sight of profitability and market competition. Endeavors were made to implement "underwriting claims" principles in group renewal policies by factoring in all expenses like TPA, brokerage, management expenses, and element of profit on projected outgo.

During the year guidelines for retail health policies were simplified to deal with acceptance of more than one policies, enhancement of sum insured, solicitation of new policies above one lac, counseling existing policy holders for availing higher

पोर्टबिलिटी के कारण पॉलिसियों की हुई हानि से निपटने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशानिर्देश जारी किये गये।

इसके अतिरिक्त 70% के कम हानि वाली समूह स्वास्थ्य पॉलिसियों के सम्बंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रतिस्पर्धा से सम्बंधित कार्यवाही का निर्देश दिया गया।

दावा नियंत्रण एवं टीपीए प्रबन्धन:

दिनांक 11.04.2011 को सभी टी.पी.ए को एक परिपत्र जारी करते हुए उसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी गई जिसमें आई.सी.आर को 10% का कम करने जो संशोधित होकर 15% हो गया तथा समूह पॉलिसियों में 80% आई सी आर एवं रिटेल पॉलिसियों में 60% आई सी आर तथा कुल 70% आई सी आर प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त टी.पी.ए के लिए 90% दावों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया विभाग को मासिक आधार पर सूचित क्लेम निस्तारित, इन्वेस्टिगेटेड एवं आउटस्टैंडिंग दावों की सूचना उनकी सूचना एवं सुधार तथा संशोधन हेतु प्राप्त हुई।

हेल्थ सेल के कार्मिकों का प्रशिक्षण:

स्वास्थ विभाग के दावा एवं अंडरराइटिंग के उच्च स्तरीय प्रबन्धन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के कार्मिकों के लिए एक छः दिवसीय एनआईए में दो बैच में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एन आई ए में 92 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया प्रशिक्षण सत्र को सीएमडी द्वारा संबोधित किया गया जिसमें स्वास्थ बीमा की संभावनाओं एक समस्यों पर विचार किया गया तथा पोर्टफोलियों के प्रबन्ध में हेल्प सेल की भूमिका पर भी चर्चा हुई। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों के उप महाप्रबन्धक जो स्वास्थ बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रहे है ने भी इस सत्र में भाग लिया। प्रतिभागियों के लिए अधिक उपयोगी बनाने हेतु इस प्रशिक्षण सत्र में आंतरिक एवं बाह्य विषय विशेषज्ञों की सेवाऐं ली गई।

कोलकाता में पी.पी.एन की भूमिका:

विभाग में हो रही हानियों को कम करने के लिए तथा चिकित्सा को युक्ति संगत बनाने के लिए प्रोवाइडर को रखने पर विचार किया गया। वर्ष के दौरान प्रमुख 37 प्रक्रियाओं के संदर्भ में कोलकाता में प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क को लागू किया गया।

ग्राहक सेवा:

स्वास्थ बीमा एक व्यक्तिगत उत्पाद होने के कारण ग्राहक अधिक संवेदनशील हो जाता है तथा दावा के मामले में कम्पनी से उसकी अपेक्षाएँ बढ़ जाती है। शिकायत विभाग में सीधे दर्ज की गई शिकायतों के अलावा विभाग में इस प्रकार की अनेक शिकायतें प्राप्त होती है। वर्ष के दौरान 400 से अधिक शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई।

राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा:

वर्ष के दौरान कंपनी ने 06 राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना लागू किया जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के 1,54,96,416 व्यक्तियों को आवरित किया गया।

स्वास्थ पॉलिसियों मे आवरण:

वर्ष के दौरान 40.05 लाख व्यक्तियों को आवरित कर 15.14 लाख रिटेल स्वास्थ पॉलिसियां जारी की गई। उक्त के अतिरिक्त वर्ष के दौरान 12991 समूह टेलर्ड स्वास्थ पॉलिसिया जारी की गई।

डिटैरिफिंग:

सम्पत्ति बीमा में कंपनी का कुल ₹980 करोड़ है।

अग्नि एवं इंजीनियरिंग बीमा में लगातार वृद्धि हुई। अग्नि में वर्ष 2011-12 में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम लगभग ₹570.79 करोड़ की तुलना में ₹678.34 करोड़ रहा तथा वृद्धि 18.84% थी। इंजीनियरिंग में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम ₹246.28 करोड़ की तुलना में लगभग ₹301.99 करोड़ रहा। वृद्धि दर 22.62% रही।

हमारा हानि अनुपात उचित रहा अग्नि बीमा का उपगत दावा अनुपात लगभग 62% है। इंजीनियरिंग श्रेणी के व्यवसाय में प्रीमियम पर उपगत दावा अनुपात 46.33% है जो पिछले वर्ष के आई सी आर 57% में सुधार को प्रदर्शित करता है।

हमारे विवेकपूर्ण एवं संतुलित बीमालेखन का परिणाम रहा। हम नये व्यवसाय के संबंध में अधिक सचेत रहते हुए उनकी गुणवत्ता पर

sum insured policies to meet the increased cost of treatment.

Guidelines to ROs on how to deal with loss of policies due to portability issued.

In addition, guidelines for group health policies with loss ratio below 70% reworked to facilitate ROs to be more competitive in the market.

Claims control & TPA management

A circular dated 11.4.2011 was issued to all TPAs with copies to all ROs setting targets for TPAs to reduce ICR by 10% which was subsequently revised to 15% and achieve a ICR of 80% for group policies and 60% for retail policies to have an overall ratio of 70%. In addition target of 90% claims disposal was set for TPAs. The department obtained monthly MIS of claims reported, settled, investigated and outstanding for review and suggestions for improvements.

Training of health cell officials

A six day training programme for identified health cell officials of ROs was organized in National Insurance Academy (NIA) in two batches to uplevel their knowledge in managing underwriting and claims of the health department. Ninety two officers were trained in NIA. The trainees were jointly addressed by the CMD wherein the potentialities and problems of health insurance was discussed and the role of health cells to manage the portfolio outlined. The DGMs of major ROs doing health business attended the joint session .The training sessions were taken by internal and mostly external Subject Matter Experts to make it more useful for the participants.

Introduction of PPN in Kolkata

All efforts are being made to rationalize the cost of treatment by engaging the providers in dialogue with the Company to reduce losses for the department. The Preferred Provider Network in Kolkata was implemented in Kolkata in respect of major 37 procedures during the year.

Customer Services

Health insurance being a very personal product, the customers are very sensitive and have high expectations from the Company in case of a claim. A large number of grievances pour in to the department in addition to what is reported to the grievance department directly. More than 400 grievances were reported during the year to the department.

Rashtriya Swasthya Bima

The Company implemented Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) in 6 states of West Bengal, Bihar, Assam, Tripura, Mizoram and Haryana during the year and covered 1,54,96,416 BPL persons .

Coverage under Health Policies

During the year, 15.14 lac retail health policies were issued covering 40.05 lac persons. In addition 12,991 group /tailored health policies were issued during the year.

DETARIFFING

The Company had a total of ₹980 crore in the property segment.

There has been growth in both fire and engineering segments. In Fire, the gross direct premium during 2011-12 is about ₹678.34 crore as compared to ₹570.79 crore a growth of about 18.84%. In Engineering, the gross direct premium is about ₹301.99 crore as compared to ₹246.28 crore in 2010-11 translating into a growth rate of about 22.62%.

Our loss ratios have been reasonable .The incurred claim to direct fire premium ratio is about 62%. In the Engineering class of business the ratio of incurred claim to direct premium is about 46.33% which is an improvement upon the last years ICR of 57%.

These results have been mainly due to our underwriting philosophy of balancing prudence and aggression. We have been selectively aggressive in case of new business depending on the quality of business on offer and imposing appropriate

विशेष ध्यान देते हैं तथा जोखिम के लिए आवश्यक पृष्ठांकन/ वारंटी लगाते हैं। हमने हमारे अधिकतर नवीकरण व्यवसायों को अपने पास बनाये रखा है।

हमने रेगुलेटर्स से कुछ निश्चित एड आन कवर/क्लाज के लिए अनुमोदन मांगा है जिससे बेहतर जोखिम एवं ग्राहकों की कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

दावा प्रबंधन:

वर्ष 2011-12 के दौरान कम्पनी ने दावा प्रबंधन के प्रत्येक बिन्दुओं पर विशेष बल दिया। सर्वेयर एवं क्लाइंट के साथ मिलकर लगातार दावों की समीक्षा एवं मानिटरिंग की जाती रही है।

दावा के प्रभावशाली प्रबंधन ने न केवल प्रतिस्पर्धी को जोश प्रदान किया बल्कि दावों की लागत को उचित बनाये रखने में सहयोग किया। सूचित किये गये दावों की संख्या में वृद्धि जो व्यवसाय में वृद्धि को दर्शाता है। नवम्बर, दिसम्बर, 2011 एवं फरवरी, 2012 में ग्राहक सेवा का एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें लंबित नान सूट नान टाइ अप दावों के त्वरित निस्तारण, दावा प्राविजन की समीक्षा तथा ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर विशेष चर्चा की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान 11,00,000 से अधिक नॉन सूट दावों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार हम 85.67% के उच्च दावा निस्तारण (नान सूट) को पूरा करने में सफल हुए।

विदेशी प्रचालन:

कम्पनी का बीमा प्रचालन कार्य केवल नेपाल में है।

नेपाल:

हमारी कम्पनी का नेपाल प्रचालन 7 कार्यालयों के माध्यम से होता है जिसमें नियंत्रक कार्यालय एवं तीन शाखा कार्यालय काठमांडू में स्थित है तथा अन्य तीन बीरगंज, विराटनगर एवं नेपालगंज में स्थित है। दो एक्सटेंसन सेंटर बीरगंज शाखा के अंतर्गत जनकपुर एवं हेतौंदा में स्थित है। पूर्व वर्षों की तरह नेपाल कार्यालय ने संतोषजनक वृद्धि दर्शायी है।

हांगकांग:

हांगकांग शाखा में 18 फरवरी 2002 से नया व्यवसाय स्वीकार करना बन्द कर दिया गया है तथापि न्यू इंडिया द्वारा वर्तमान पॉलिसी एवं दावा सम्बन्धी सेवाएं दी जा रही है।

वर्ष 2011-12 में विदेश प्रचालन का कार्यकारी परिणाम

विदेश शाखा परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	नेपाल		हांगकांग		योग	
	2011-12	2010-11	**2011-12**	2010-11	**2011-12**	2010-11
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	**25.00**	24.46	**0.00**	0.00	**25.00**	24.46
शुद्ध प्रीमियम	**17.66**	17.26	**0.00**	0.00	**17.66**	17.26
शुद्ध उपगत दावा	**4.31**	15.19	**-0.26**	1.00	**4.05**	16.19
शुद्ध कमीशन	**0.78**	0.56	**0**	0.00	**0.78**	0.56
प्रबन्धन वर्ष	**4.25**	3.17	**0.28**	0.28	**4.53**	3.45
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में कमी/वृद्धि	**0.20**	1.11	**0**	0.00	**0.20**	**1.11**
निवेश तथा अन्य आय	**6.12**	4.78	**0.24**	0.24	**6.36**	5.02
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	**0.50**	-0.61	**4.17**	-0.38	**4.67**	-0.99
शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	**14.74**	1.40	**4.39**	-1.42	**19.13**	-0.02

endorsements/warranties to define the risk better. We have retained most of our renewals.

We have approached the regulator for approvals of certain add on covers/clauses which address some of the requirements of the customers and also describe the risk better.

CLAIMS MANAGEMENT

Claims Management continued to be the focus of the Company at all levels during 2011-12.There has been constant monitoring and review of claims in co-ordination with the surveyors and the clients.

Efficient management of claims not only provided a competitive edge but also helped contain claims cost significantly. There has been a significant increase in the number of claims reported mirroring the very substantial growth in the business. Special customer service campaigns were done in the months of November, December 2011 and February 2012 with emphasis on quick disposal of all outstanding non-suit non tie up claims, review of claims provisions and redressing customer grievances. More than 11,00,000 non suit claims were settled during the year 2011-12, a record. Thus, we have been able to maintain a high (non-suit) claim settlement ratio of 85.67%.

FOREIGN OPERATIONS:

The Company has operations in Nepal only.

Nepal:

Our Nepal Operation is conducted through 7 offices of which the Controlling Office and 3 Branch Offices are located in Kathmandu – the other 3 are located in Birganj, Biratnagar and Nepalganj respectively. Two Extension Centres are located at Janakpur and Hetauda under Birgunj Branch. As in earlier years, Nepal Office has shown satisfactory growth even in the past fiscal.

Hong Kong:

Hong Kong branch stopped accepting new business since 18th February 2002. The run-off operations are being handled by 'New India' who continue to service existing policy and claims.

The working result of our foreign operations for the fiscal 2011-12 :

FOREIGN BRANCH RESULTS :

(₹ in crore)

Particulars	Nepal		Hongkong		Total	
	2011-12	2010-11	**2011-12**	2010-11	**2011-12**	2010-11
Gross Direct Premium	**25.00**	24.46	**0.00**	0.00	**25.00**	24.46
Net Premium	**17.66**	17.26	**0.00**	0.00	**17.66**	17.26
Net Incurred Claims	**4.31**	15.19	**-0.26**	1.00	**4.05**	16.19
Net Commission	**0.78**	0.56	**0**	0.00	**0.78**	0.56
Expenses of Management	**4.25**	3.17	**0.28**	0.28	**4.53**	3.45
Decrease/Increase in Reserve for Unexpired Risk	**0.20**	1.11	**0**	0.00	**0.20**	**1.11**
Investment and other Income	**6.12**	4.78	**0.24**	0.24	**6.36**	5.02
Foreign Exchange Gain/Loss	**0.50**	-0.61	**4.17**	-0.38	**4.67**	-0.99
Net Profit (+)/Loss (-)	**14.74**	1.40	**4.39**	-1.42	**19.13**	-0.02

ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय:

वर्ष 2011-12 के दौरान ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	भारत में लिखित कुल सकल प्रीमियम (₹ करोड़ में)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित पालिसियां (संख्या)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित सकल प्रीमियम (₹ करोड़ में)	कुल जीडी पीआई से ग्रामीण व्यवसाय का% (4/2x100)	क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हाँ/नही)	सामाजिक क्षेत्र में संरक्षित जीवन की संख्या	क्या सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हाँ/नही)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	7790.69	2950624	655.63	8.42%	हाँ	18181441	हाँ

संगठनात्मक व्यवस्था:

31 मार्च 2012 तक क्षेत्रीय कार्यालयों, मण्डलीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों तथा व्यवसाय केन्द्रों की स्थिति:

क्षे.का.	26
मं. का.	339
शा.का. डाइरेक्ट अभिकर्ता शाखा	602
व्यवसाय केन्द्र	373
कुल	1340

आईआरडीए द्वारा दिल्ली एवं जोधपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति प्राप्त हो गयी है जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में खोला जायेगा।

प्रोत्साहन योजना का परिचय:

अभिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्राइवेट कार, दुपहिया वाहन, व्यवसायिक वाहन तथा स्वास्थ पॉलिसियाँ बेचने पर एक प्रोत्साहन योजना जनवरी-मार्च 2012 चलाई गई।

कार्यक्रम:

- ✓ श्रेष्ठ निष्पादनकर्ता अभिकर्ता, विकास अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (विकास) एवं सहायक प्रबन्धक (विकास) की क्षेत्रवार बैठक आयोजित की गई।
- ✓ निष्पादन की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय प्रभारियों की बैठक का आयोजन मई एवं नवम्बर 2011 में किया गया।

स्ट्रेटेजिक एलाएंस विभाग की गतिविधियां:

कम्पनी ने मारूति, हीरोहोंडा कार्प, टाटा मोटर्स, होंडा सिएल, मैग्मा एवं बैंकाश्योरेन्स के साथ रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से 31 मार्च, 2012 तक ₹1793 करोड़ का व्यवसाय किया जो 31 मार्च 2011 को ₹1438 करोड़ था इस प्रकार 24.69% की व्यवसाय वृद्धि रही। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कम्पनी के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में रणनीतिक गठबंधन व्यवसाय का कुल अंश 23.03% रहा।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान तीन प्रमुख मोटरवाहन निर्माता कम्पनियों मारूति, हीरो मोटर कार्प एवं टाटा मोटर्स (पी.सी.बी.यू) से क्रमश: ₹973.81 करोड़ ₹305.22 करोड़ तथा 119 करोड़ का प्रीमियम व्यवसाय प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष क्रमश: ₹815.33 करोड़ ₹234.17 करोड़ तथा ₹66 करोड़ था। मारूति व्यवसाय में 19.44% की वृद्धि हुई, हीरो मोटर कार्प एवं टाटा मोटर्स (पीसीबीयू) व्यवसाय में 30.34% तथा 80.30% की वृद्धि हुई।

बैंकाश्योरेन्स व्यवसाय ने लगभग 15% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2011-12 में ₹304.32 करोड़ का प्रीमियम व्यवसाय किया जो वर्ष पिछले वर्ष ₹259.86 करोड़ था। चार महत्वपूर्ण बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा स्टेट बैंक आफ मैसूर ने बैंकाश्योरेन्स व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा स्टेट बैंक आफ मैसूर ने हमारी कम्पनी की कार्पोरेट

RURAL & SOCIAL SECTOR BUSINESS:

Rural & Social sector obligations and achievements with details in respect of the year 2011-12 are furnished herein below :

Year	Total Gross Premium under written in India (₹ in crores)	Policies u/w in Rural areas (in nos.)	Gross Premium u/w in Rural areas (₹ in crores)	% of Rural business to Total GDPI (Col 4/2x100)	Whether Rural Sector stipulations met? (Yes/No)	No. of lives covered in the Social Sector	Whether Social Sector stipulations met? (Yes/No)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2011-12	7790.69	2950624	655.63	8.42%	Yes	18181441	Yes

ORGANISATIONAL SET UP:

Total number of Regional/Divisional/Branch Offices & Business Centres as on 31st March 2012 are as follows :

Regional Offices	26
Divisional Offices	339
Branch & DABs	602
Business Centres	373
Total	**1340**

Approval has been received from IRDA to open new Regional Offices at Delhi & Jodhpur which will be opened in the next financial year.

INTRODUCTION OF INCENTIVE SCHEME :

To encourage Agents, Prize schemes for selling policies of Private Cars, Two Wheelers, Commercial Vehicles and Health Insurance were launched from January to March 2012.

Programmes **:**

- ✓ Zone-wise Meets of Star performers among Agents, Development Officers, Administrative Officers (Development) and Assistant Managers (Development) were held.
- ✓ Meets for Regional In-charges for performance review were held in May and November 2011.

ACTIVITIES OF THE STRATEGIC ALLIANCE DEPARTMENT

As on 31st March 2012, the total premium from the strategic alliances with Maruti, Hero Moto Corp, Tata Motors, Honda Siel, MAGMA, and Bancassurance business was ₹1793 crore as against ₹1438 crore as on 31st March 2011, registering a growth rate of 24.69%. The contribution of strategic alliance business to the Total GDPI of the Company in the FY 2011-12 is around 23.03%.

The three major tie-ups with automobile manufactures namely Maruti, Hero Moto Corp & Tata Motors (PCBU) have procured a premium of ₹973.81 crore, ₹305.22 crore and ₹119 crore respectively during the FY 2011-12 as against ₹815.33 crore, ₹234.17 crore and ₹66 crore respectively during the FY 2010-11. While the Maruti business has grown by 19.44%, the Hero MotoCorp & Tata Motors (PCBU) businesses have grown by 30.34% & 80.30% respectively over the previous financial year.

The Bancassurance business growing at a rate of approx. 15% over the previous Financial Year has generated a premium of ₹304.32 crore during the year 2011-12 as against ₹259.86 crore during the previous financial year. The 4 major banks which contributed to most of the Bancassurance Business continues to be Bank of India, Bank of Baroda, State Bank of Bikaner & Jaipur and State Bank of Mysore. However, it would be pertinent to mention that State Bank of Bikaner & Jaipur and State Bank of Mysore have expressed their desire

एजेंसी व्यवस्था से अगले वित्तीय वर्ष से अलग होने की इच्छा व्यक्त की है। इन बैंकों का को-ब्रैंडेड स्वास्थ बीमा पोर्टफोलियों वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹55 करोड़ हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/अन्य बैंकों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ₹20.07 करोड़ का व्यवसाय किया।

वर्ष 2011-12 के दौरान रणनीतिक गठबंधक प्रबंधन विभाग द्वारा अनेक नये कार्य प्रारंभ किये गये:

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने तीन प्रमुख वाहन निर्माताओं, टाटा मोटर्स (व्यावसायिक वाहन व्यवसाय युनिट), टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड एवं अशोक लेलैंड के साथ टाई अप किया। सभी तीनों टाई-अप के द्वारा कम्पनी के रणनीतिक गठबंधन पोर्टफोलियों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा व्यवसाय किया गया तथा इनसे भविष्य में अत्यधिक आय प्राप्त होने की संभावना है।

- नेटमार व्यवसाय को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नेटमार व्यवसाय हबों पर विशेष जोर दिया गया। 31 मार्च, 2012 तक नेटमार व्यवसाय हबों की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष में 16 से बढ़कर 20 हो गई।

- डीलर्स एवं ग्राहकों को मारूति की बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए वेब सर्विस प्रदान की गई। अन्य टाई-अप के लिए भी वेब सेवाएँ प्रदान करने का कार्य अंतिम चरण में है।

- मारूति ग्राहकों के लिए एड आन कवर के रूप में शून्य मूल्य ह्रास पर उत्पाद तैयार किया जा रहा है। उक्त कवर अगले वित्तीय वर्ष से जारी किये जायेंगे।

- नेटमार व्यवसाय को मानिटर तथा निष्पादन में सुधार के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ वीडियों कान्फरेंस बैठकें आयोजित की जा रही है।

- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में सितम्बर से दिसम्बर 2011 में हीरो मोटर कार्प माह का आयोजन किया गया।

- नवम्बर एवं दिसम्बर, 2011 तथा जनवरी, 2012 में बैंकाश्योरेन्स माह का आयोजन किया गया।

- नागपुर में क्षेत्रीय कार्यालयों के समन्वयकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया।

- आईआरडीए के दिशा निर्देशानुसार एक आउटसोर्सिंग पालिसी का निर्माण किया गया है जिसे कम्पनी के निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

रणनीतिक गठबंधन प्रबंधन विभाग अपनी योजना के अनुसार प्रस्तावित आई.टी इनेबिल्ड विजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग के साथ अपनी गतिबिधियों का समन्वय करने के लिए तैयार है।

प्रचार प्रसार गतिविधियां:

प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर नेशनल इन्श्योरेन्स का इस वित्तीय वर्ष में विज्ञापन अभियान ने मीडिया के द्वारा व्यापक कार्यक्रमों - परंपरागत एवं अपरंपरागत का आयोजन किया तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों को जनसंख्या को अपना लक्ष्य बनाया।

वर्ष की शुरूआत कम्पनी की ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ हुई जिसके तहत 20 मिलियन ग्राहकों ने कम्पनी की सफलता में अपना विश्वास जताते हुए योगदान दिया। इस प्रचार-प्रसार में प्रिंट मिडिया अग्रणी रही। सावधानी पूर्वक तैयार किये गये मीडिया प्लान के कारण, जिसमें क्षेत्रीय एवं मेनलाइन दैनिक को सम्मिलित किया गया, व्यापक पहुँच बनी। इस अभियान में रचनात्मक (लाफिंग बुद्धा) तथा नेशनल इन्श्योरेन्स के निष्पादन पर व्यापक प्रतिक्रिया मिली। एन आइ सी ब्रैंड को सर्वोपरि रखते हुए एन आइ सी ने उत्पाद से सम्बन्धित विज्ञापनों को आउटडोर डिसप्ले के माध्यम से प्रचारित किया इसे प्रभावकारी लागत एवं कुशल डिलिवरी अर्थात निम्नतम लागत तथा उच्च अवसर के लिए चुना। व्यक्तिगत आधारित खुदरा बीमा उत्पाद जैसे हाउसहोल्डर्स, मोटर, मेडिक्लेम,

to discontinue with the Corporate Agency arrangement with our Company in the next financial year. The Co-branded Health Insurance Portfolio of these banks has grown to ₹55 crore approx during the year 2011-12. The business from Regional Rural Banks/ other Banks during the current financial year has grown to ₹20.07 crore.

During the year 2011-12, the Strategic Alliances Management department has undertaken a number of new initiatives, which are as follows:

- During the current financial year, Company has tied-up with three major automobile manufacturers, namely, Tata Motors (Commercial Vehicles Business Unit), Tata Motors Finance Limited and Ashok Leyland Limited. All the three tie-ups have commenced business and are expected to become star revenue garners in future, strengthening the strategic alliances portfolio of the Company.
- Structural strengthening of NATMAR business continues with focus on the Natmar Business Hubs. The number of Natmar Business Hubs as on 31st March 2012 stands at 20 as compared to 16 during the previous financial year.
- Web service enabled for Maruti business for faster and better services to the dealers and customers. Web services for other tie-ups are being finalized.
- A Nil Depreciation Product is being designed as an add on cover for the Maruti customers. The said cover is slated to be offered during the next financial year.
- Regular Video Conference Meets have been organized with Regional Offices to monitor and improve the performance in NATMAR Business.
- Hero MotoCorp months were observed during the months September to December 2011 in various Regional Offices.
- Bancassurance months were observed during November & December 2011 and January 2012.
- RO Coordinators' Meet was organized at Nagpur.
- An Outsourcing Policy, in accordance with the IRDA Guidelines, was developed which was adopted by the Board of Directors of the Company.

The Strategic Alliances Management department has an action plan ready to align its activities and business goals with the proposed IT enabled Business Process Re-engineering initiatives.

PUBLICITY ACTIVITIES:

The emphasis being on Maximum Reach at competitive costs, National Insurance's advertising campaign this financial year has embraced a wide spectrum of Media – both Traditional and Non-Traditional and a Target audience belonging to a variety of Socio economic demographics.

The year began with the announcement of the historic performance of the Company, acknowledging and attributing this outstanding success to the Trust and Faith of its more than 20 million Customers. Print Media was the leading vehicle for this Advertisement. Due to the carefully designed Media Plan, which incorporated both regional and mainline dailies, the reach was extensive. The campaign received good reviews for its Creative (*Laughing Buddha*) as well as for NIC's performance. Having, thus positioned the NIC Brand as Top of Mind , NIC followed it up with Product Advertisement through Outdoor displays - chosen

ओ.एम.पी को पूरे भारत में इस डिस्प्ले के द्वारा प्रोमोट किया गया। मुम्बई, कोलकाता, बंगलूर, देहरादून, अहमदाबाद, बड़ौदा, चेन्नै के हवाई अड्डो पर कोलकाता एवं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन एवं मेट्रो ट्रेन में तथा कोच्ची के रेलवे स्टेशन पर होर्डिंग्स एवं नियान साइन, लेड्स, बस अड्डों, ट्रेफिक क्रासिंग मुम्बई, पुणे, कोलकाता, बड़ौदा सभी स्थानों पर एन.आई.सी के मैसेज लगाये गये।

प्रिंट अभियान के विशेष अवसर के रूप में प्राप्त एनडीटीवी प्रफिट बिजनेस लीडरशीप अवार्ड को देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विशेष विज्ञापन के रूप में प्रचारित किया गया। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विज्ञापन दोहरे उद्देश्य को पूरा कर रहा है प्रथम: जनता में प्रचार के वाहन के रूप में द्वितीय एवं समान रूप से महत्वपूर्ण आंतरिक ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए इसके अतिरिक्त मुद्रण विज्ञापन हमारे महत्वपूर्ण ग्राहकों में हीरो होंडा टाई अप को ब्रैंड इक्विटी के रूप में स्थापित करने में सहयोगी बना। इलेक्ट्रानिक मीडिया जैसे टी.वी एवं रेडियों का भी हमारे उद्देश्य को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा।

एन.आई.सी. ब्रैंड को बनाने में प्रारंभिक गतिविधियो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैम्बर्स आफ कामर्स तथा इन्श्योरेन्स के क्षेत्र के महत्वपूर्ण संगठन जैसे इंडियन ब्रोकर्स एसोशिएशन, एशिया इन्श्योरेन्स पोस्ट के द्वारा टापिकल सेमिनार आयोजित किये गये तथा हमारे मेसर्स ग्लोबल स्टील आफ जयपुर द्वारा हीरों माइंडमाइन कान्फरेंस के द्वारा अंतराष्ट्रीय मेला एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता, शिक्षा, सांस्कृतिक, संगीत एवं ग्रामीण त्यौहार, अंतर्राष्ट्रीय व क्रिकेट, टेनिस एवं गोल्फ के मैच, वास्तविक प्रबंधन कार्यशाला इत्यादि के माध्यम से एन.आई.सी ने भारतीय जनता में अपनी पहचान बनाई। डाक विभाग द्वारा भेजे जाने वाले नवीकरण के लिफाफों पर उत्पाद सम्बन्धी मेसेज ने नेशनल को घर-घर तक पहचान बनाने में सहयोग किया।

सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एन.आई.सी ने उन संस्थानों को सहायता देना जारी रखा जो वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ बच्चों तथा असहायों की सहायता के क्षेत्र में कार्य कर रहे है। इससे कम्पनी की छवि जनता में बढ़ी।

मीडिया ने विज्ञापन के द्वारा नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी (एन.आई.सी) को सूचना, शिक्षा एवं प्रेरित करने के क्षेत्र में काफी सहयोग दिया जिससे एन आई सी ब्रैंड को बरकरार रखने में काफी सहयोग प्राप्त हुआ।

ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन:

सी.जी.एम.एस (ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया) के रूप में कम्पनी द्वारा एक आन लाइन शिकायत निवारण प्रक्रिया सितम्बर, 2011 से प्रारम्भ की गई जिसे आईआरडीए के समन्वित शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया (आईजीएमएस) से एकीकृत किया गया।

एन सी आई एल, नरेन्द्रपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के शिकायत विभाग के अधिकारियो के लिए आन लाइन शिकायत निवारण पर एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 3-4 जून 2011 को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में इसके सैद्धान्तिक पहलुओं पर चर्चा की गई। साफ्ट फार्म में यूजर मैनुअल प्रदान किया गया।

आईआरडीए के निर्देशानुसार सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्राहकों की सेवाओं सम्बन्धी समय सीमा के विषय में प्रदर्शन करने हेतु प्रचालन कार्यालयों को निर्देशित किया गया तथा मध्यस्थो को इस संबंध में ग्राहकों को सूचित करने की सलाह दी गई।

हमारा यह प्रयास रहा कि ग्राहकों को गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं के माध्यम से शिकायतों को कम किया जाय न कि उनके समाधान के माध्यम से। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पी.पी.आई रेगुलेशन 2002 के कड़े अनुपालन का निर्देश दिया गया।

एकल विन्डो सुविधा-सम्मान जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक नामित अधिकारी शिकायतों को देखता है तथा उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करता है।

for their cost effectiveness and efficient delivery i.e. Low Cost and High OTS (*Opportunity to see*).

Personal Line Retail Insurance products such as Householders, Motor, Mediclaim, OMP were promoted pan India through these displays. Airports in Mumbai, Kolkata, Bangalore, Dehradun, Ahmedabad, Baroda, Chennai, Metro Stations and Metro Trains in Kolkata and Delhi, Indian Railways in Kochi , Hoardings and Neon Signs, LEDs, Bus Shelters , Traffic kiosks in Mumbai, Pune, Kolkata, Baroda, all carried the NIC message .

The NDTV Profit Business Leadership Award offered another great opportunity for a Print Campaign and befittingly this information was disseminated through a well designed advertisement in all major dailies of the country. Here it may be mentioned that advertising was used to serve a dual purpose – first as a vehicle for public announcement, secondly and equally importantly as an internal motivation measure for the internal customer. Additionally, the print advertisement on our Hero Honda Tie-up helped build our Brand Equity amongst the key publics. Electronic Media – both Radio and TV were also used to strengthen and reinforce Mileage.

Ground activities also played a significant role in building the NIC Brand. Through Sponsorships of topical Seminars organized by Chambers of Commerce , prominent Insurance bodies such as Indian Brokers' Association, Asia Insurance Post, International Fairs and Seminars organized by our Insured Messrs. Global Steel of Jaipur, Hero Mindmine Conference, Participation in popular Quiz Competitions, Educational, Cultural, Musical and Rural Festivals, International and National Cricket, Tennis and Golf Matches, Professional Management Workshops etc. NIC interfaced with a cross section of India's populace. Renewal intimation sent through the department of Post's envelopes carrying Product Message helped make National Insurance a household word.

In furtherance of its social objectives commitment, NIC continued to aid institutions and organizations which take care of the elderly Senior Citizens, Special Needs Children, Orphans and the differently abled, by sponsoring their events and related publications. This enhanced the public image of the Company.

The Media vehicles thus innovatively used and creatively mixed, helped NIC inform, educate and motivate the public through its Advertising, thus creating a unique synergy for the NIC Brand.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

CGMS (Customers' Grievance Management System), an "On Line" grievance redressal system has been launched by the Company in September 2011 and integrated with the Integrated Grievance Management System (IGMS) of IRDA.

Two days Training Programme on 3rd and 4th June 2011 of all ROs Grievance Officers on "On line System of Grievance Disposal" was organized at NCIL, Narendrapur. Theoretical inputs as well as hands on training was imparted. User Manuals were also provided in soft form.

All operating offices have been instructed to display in a prominent place Policyholder Servicing Turnaround Time as prescribed by IRDA and also to advise intermediaries to communicate the same to all their customers.

It has been our endeavor to minimize the grievances by rendering quality services at the operating levels rather than resolution of customer grievances. All Regional Offices have been advised to abide strictly by the PPI Regulations 2002.

A single window facility – Samman – for senior citizens has been introduced and is available in the Company website. A designated officer attends to the queries/complaints etc. on priority basis and resolves the same immediately.

i) शिकायत निष्पादन

01.04.2011 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2011-12 में सूचित शिकायतों की संख्या	2011-12 में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2012 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2011-12 में शिकायतों के निपटाने का अनुपात (%)	2010-11 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)
735	14655	14116	1274	92	92.60

ii) जारी दस्तावेज

01.04.2011 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2011-12 में सूचित शिकायतों की संख्या	2011-12 में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2012 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2011-12 में शिकायतों के निपटाने का अनुपात (%)	2010-11 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)
शून्य	2,17,77,418	2,17,77,418	शून्य	100	100

मानव संसाधन :

1. 31 मार्च, 2012 तक श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी		कुल स्टाफ संख्या
I		5392
II	विपणन	981
	प्रशासनिक	558
III		6623
IV		1914
कुल		**15468**

2. कम्पनी में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	योग	अजा	अजजा	अपिजा	शावि	भूतपूर्व सैनिक
I	255	40	17	79	6	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
Total	**255**	**40**	**17**	**79**	**6**	**-**

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पी डब्ल्यू डी एम भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजना:

पदों के आरक्षण में बढ़ोतरी, नियुक्ति में आयु सीमा में छुट तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की पदोन्नति में पदों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। ओबीसी की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू प्रावधानों को कम्पनी में लागू किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों को एनआईए, पुणे प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण दिलाया गया। विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर अधिकाधिक संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी सवर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित कर प्रशिक्षण दिया गया।

सूचना का अधिकार:

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने आवेदकों द्वारा माँगी गई सूचनाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया। हमारा आर टी आई विभाग लोक प्राधिकरण होने के कारण एक महत्वपूर्ण विभाग है। आर टी आई आवेदन/अपील की निम्नवत उल्लिखित बढ़ती हुई संख्या जनता में इसके प्रति जागरूकता को दर्शाती है।

i) Redressal of Grievances

Number of grievances o/s as on 01/04/2011	Number of grievances reported during 2011-12	Number of grievances redressed during 2011-12	Number of grievances o/s as on 31/03/2012	Grievance resolution ratio during 2011-12 (%)	Grievance resolution ratio during 2010-11 (%)
735	14655	14116	1274	92	92.60

ii) Issuance of Documents

Number of documents reported pending as on 01/04/2011	Number of documents incepted during 2011-12	Number of documents issued during 2011-12	Number of documents pending as on 31/03/2012	Documen-tation ratio during 2011-12 (%)	Documen-tation ratio during 2010-11 (%)
nil	2,17,77,418	2,17,77,418	nil	100	100

HUMAN RESOURCES :

1. Class wise employees strength as on 31st March 2012

Class		No. of employees
I		5392
II	Marketing	981
	Administration	558
III		6623
IV		1914
Total		**15468**

2. Net addition to the work force of the Company

Class	Total	SC	ST	OBC	PWD	ex-serv.
I	255	40	17	79	6	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
Total	**255**	**40**	**17**	**79**	**6**	**-**

Welfare of SC/ST/OBC/PWD/ex-Servicemen

The guidelines of Government on extending reservation of posts, relaxations of age in recruitment and reservation of posts in promotion for SC/ST categories are being followed. The guidelines issued by the Government in reservation for OBC in recruitment are followed. The provisions governing persons with disabilities are being implemented as required.

Pre-promotion training programme are being conducted for SC/ST employees. The officers were trained at Learning Centre and at National Insurance Academy, Pune, the number of SC/ST/OBC officers were adequate. Adequate participation of SC/ST/OBC employees was also ensured at the training programmes organized at various Regional Training Centres.

RIGHT TO INFORMATION

In terms of provisions of Right to Information Act 2005, the Company has provided information to the applicants as called for by them taking due care of time bound compliance for submission of information. Our RTI department has become one of the most important areas of focus by our Company being the public authority. The figures shown below clearly indicate tremendous increase in no. of RTI Applications / Appeals at the backdrop of genuine awareness of the citizens of India being boosted up.

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित रूप से चर्चा, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कार्पोरेट स्तर से लगातार की जा रही है। मानिटरिंग के कारण ही हम इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा आर टी आई आवेदनों को प्रभावशाली ढंग से निस्तारित करने में सफल हुए है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के आरटीआई मामलों से सम्बंधित आकड़े निम्नवत हैं :

क्रम सं	आवेदन	2011-12	2010-11
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	1820	1209
2.	सूचना दिये गये मामलों की संख्या	1692	1079
3.	जिन मामलों में सूचना देने से मना किया	128	130
	अपील		
1.	प्राप्त अपीलों की संख्या	253	201
2.	सूचना माँगते वालें के पक्ष में निस्तारित की गयी अपीलों की संख्या	230	144
3.	जिन अपीलों में सूचना देने से मना किया गया	20	56
4.	तक लंबित अपील	3	1
	सीआईसी प्रकरण		
1.	अपील/शिकायतों की संख्या	44	53
2.	खारिज केस	8	11
3.	सूचना मांगने वाले के पक्ष में निर्णीत केस	36	40
4.	सीआईसी में लंबित मामलें	-	2

मानव संसाधन विकास:

मानव संसाधन विकास गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र प्रशिक्षण एवं संसाधनों का विकास है जिसके द्वारा अपने मानव संसाधनों के कौशल में विकास कर ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करना है। पिछले वर्ष के दौरान प्रशिक्षण सामग्री को योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया जिसमें जेनरिक डोमेन विषयों के अलावा अन्य जैसे ग्राहक संबंध प्रबंधन एवं मार्केटिंग कौशल को शामिल किया गया। साफ्ट स्किल का प्रशिक्षण विशेषज्ञ संस्थानों के द्वारा उनके विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा हमारे सभी संवर्ग के अधिकारियों को दी गई।

हमारी कम्पनी ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की:

अ) बाह्य प्रशिक्षण:

i) प्रसिद्ध संस्थानों एवं देश के बड़े बिजनेस स्कूल में प्रशिक्षण।
ii) नेशनल इन्श्योरेन्स एकेडमी, पुणे।
iii) कालेज आफ इन्श्योरेन्स, मुम्बई।

ब) आंतरिक प्रशिक्षण:

i) नेशनल सेंटर फार इन्श्योरेन्स लर्निंग, नरेन्द्रपुर।
ii) देश के प्रमुख शहरों के हमारे 20 प्रशिक्षण केन्द्रों पर।
iii) कुशल प्रशिक्षकों/ट्रेनर्स के द्वारा

गहन एवं विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम नवनियुक्त श्रेणी- । अधिकारियों के लिए एनआईए, पुणे में आयोजित किया गया।

एचआरडी कम्पनी के कार्मिकों के कौशल में वृद्धि तथा उनको संगठन के कार्य के प्रति प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि कम्पनी के कार्पोरेट लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

With the detailed interaction with all the Regional Offices, organizing workshops at RO level, and continuous monitoring from Corporate Office, we have been able to deal with RTI applications in the current year in an efficient and effective manner making an improvement over the previous year.

The Annual Statistics for the fiscal 2011-12 in respect of RTI matters are furnished hereinbelow :

Sl. No.	Applications	2011-12	2010-11
1.	No. of requests received	1820	1209
2.	No. of cases where information provided	1692	1079
3.	No. of requests where information was denied	128	130
	Appeals		
1.	No. of appeals received	253	201
2.	No. of appeals disposed in favour of information seekers	230	144
3.	No. of appeals where information was refused	20	56
4.	Appeals pending at the close of fiscal	3	1
	CIC cases		
1.	No. of appeals/complaints	44	53
2.	Cases dismissed	8	11
3.	Cases decided in favour of information seeker	36	40
4.	Cases pending at CIC	-	2

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

The focal area for HRD activities i.e. training and resource development is to enhance the skills of our human assets to provide cutting edge service to our clients. During the last year training modules were carefully planned to incorporate several aspects apart from generic domain subjects like Customer Relationship Management and Marketing skills. Soft skills training were also imparted through specialised institutes with the necessary expertise in this field for all our classes of employees.

Our Company follows a multi-layered approach for the training for our officers and employees –

(a) External training –
   i. At prestigious institutes and acclaimed B-Schools of the country
   ii. At the National Insurance Academy, Pune
   iii. At the College of Insurance, Mumbai

(b) Internal training –
   i. At National Centre for Insurance Learning, Narendrapur
   ii. At our 20 Regional Training Centres across the country in major cities
   iii. By prestigious faculty/trainers at external venues.

Further, intensive and detailed Induction training programme is conducted for our newly recruited Class-I Officers at NIA, Pune and NCIL.

बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में कम्पनी ने अपने अधिकारियों हेतु लीडरशीप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयुक्त व्यक्तियों को भाग लेने हेतु भेजा जिससे हमारे कार्मिकों में क्षमता तथा अपने व्यावसायिक विकास की सोच में बढ़ोत्तरी की जा सके। कैरियर बिल्डिंग कोर्सेज में भी कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया।

इस उद्देश्य के लिए जिन कोर्सों का चयन प्रमुख संस्थानों में किया गया उनमें से महिला प्रबन्धक कार्पोरेट गवर्नेंस, मध्य स्तर के कार्यकारी अधिकारी, बीमा कार्यपालकों के लिए रणनीतिक प्रबंधन, नौजवान प्रबन्धकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम।

नियमित गतिविधि के क्रम में देश के सभी भागों के अधिकारियों को स्पेशलाइज इन्श्योरेन्स डोमेन, प्रबन्धन एवं आईटी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईए, पुणे में आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान एनआईए, पुणे में 462 अधिकारियों को नामित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्तमान में अधिकारियों के कौशल वृद्धि के लिए तथा मार्केट की आवश्यकतानुसार तैयार किया गया।

एन सी आई एल. प्रशिक्षण केन्द्र नरेन्द्रपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले वर्ष की भाँति जारी रहा। वर्ष 2011-12 के दौरान हमारे अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाया गया क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कर्मचारियों एवं एजेंटों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान एनसीआईएल एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर कुल 1323 एवं 5072 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। अभिकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों पर वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 4369 अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

पदोन्नति परीक्षा 2010 के पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया गया, कुल 405 अधिकारियों ने यह प्रशिक्षण लिया।

पुरस्कार योजना के माध्यम से अपने कार्मिकों के मनोबल एवं उनकी निष्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया गया।

स्टार विकास अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत "कौशल विकास, प्रशिक्षण" का कार्यक्रम पूरे देश के विभिन्न केन्द्रों बंगलूर, कोच्ची, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं एन सी आई एल, नरेन्द्रपुर में आयोजित किये गये, में टीम रिजल्ट के द्वारा हमारे स्टार निष्पादकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। व्यवहार कौशल का विकास कम्प्यूटर का प्रयोग एवं स्ट्रेस मैनेजमैंट के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के 219 स्टार विकास अधिकारियों को इस प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

उक्त के अनुसरण में चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक दो दिवसीय लीडरशीप एवं मोटिवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम "बार्न टू विन" सभी अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया जिसमें प्रशिक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी में Only Success Learning Technology Pvt. Ltd. की सेवाऐं ली गई। प्रारंभ में यह प्रशिक्षण केवल मंडल प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, जो चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित थे, आयोजित किया गया। दूसरे चरण में यह कार्यक्रम चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। इन दो कार्यक्रमों में कुल 158 श्रेणी-I अधिकारियों एवं 20 विकास अधिकारियों ने भाग लिया।

नियुक्ति प्रक्रिया 2011 के तहत 220 जनरलिस्ट एवं 80 स्पेशालिस्ट स्केल-I अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जनरलिस्ट नव नियुक्त अधिकारियों के लिए 8 सप्ताह का इंडक्सन प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईए, पुणे में आयोजित किया गया। उसी अवधि में विशेषज्ञ अधिकारियों को एनसीआईएल, नरेन्द्रपुर में प्रशिक्षित किया गया। इन नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देने तथा कम्पनी के कार्य की विशेष जानकारी प्रदान करने हेतु श्रेष्ठ प्रशिक्षकों की सेवाएँ उपलब्ध कराई गई। इस इंडक्सन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनियुक्त अधिकारियों को प्रेरित करने तथा उनसे चर्चा करने हेतु वरिष्ठ प्रबन्धन ने सक्रियता पूर्वक भाग लिया। उन्हें विशेष एनआइसियन किट्स प्रदान किये गये तथा एक एचआर हैंड बुक, बैग एवं टी शर्ट भी दी गई। 8 सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में

HRD plays a crucial role in developing the skill sets and motivation levels of the human assets of the Company to help them contribute to the efforts of the Company to achieve our corporate objectives.

The Company has identified leadership training as a key area in external training being provided to our officers. We have tried to send suitable participants to training programmes designed to enhance the core capabilities and encourage professional development amongst our young leaders. Career building courses designed for role enhancement have also been identified and suitable participation ensured.

Course for Women Managers, Corporate Governance, Course for Mid-level Executives, Management of Strategic Issues for Insurance Executives, Executive Development Programme for Young Managers were among the courses shortlisted at leading institutes for this purpose.

As part of the regular activities, officers from all over the country were nominated to specialize insurance domain, management and IT based training programmes at NIA, Pune. About 462 officers were nominated for training at NIA during the year. The training programmes were identified in a manner best suited to benefit our officers dealing with work processes and development of skills as per today market need.

At NCIL Training Centre, Narendrapur, the training activities continued as per previous years. Our officers were trained in various domain related and functional areas during the year 2011-12. Separate Training programmes were held at RO level in RTCs/ATCs for employees and Agents respectively. During the year, the number of employees trained at NCIL and RTC were 1323 and 5072 respectively. The total number of Agents trained at ATCs all over the country for 2011-12 was 4369.

Pre-promotional training was held for SC/ST officers at venues around the country before the promotional exercise 2010. A total of 405 officers received this training.

Our training activity is also focused on boosting employee morale to peak performance outputs through reward programmes.

As part of a new initiative, Skill Development Training was organized across the country in several venues namely Bangalore, Kochi, Delhi, Chandigarh and NCIL, Narendrapur for our All India Star Development Officers. Specialized training with leading personality and skill development institute M/s. Team Results was organized for our star performers in this category. The 2 day training module included development of behavioral skills, computer usage and time and stress management. A total of 219 star development officers were nominated to this training programme from across the country.

In continuation to the above , CNRO also organised a 2 days leadership and motivation training programme "*Born to Win*" for all officers posted in the Region by a specialized international training agency M/s Only Success Learning Technology Pvt Ltd. Initially, the programme was held for DMs / BMs and senior officers from CNRO. Based on the feedback of the programme the same was extended to all officers under CNRO in the second phase. A total of 158 Class-I Officers and 20 Development Officers participated in the 2 programmes.

As part of the recruitment exercise 2011, 220 generalists and 80 specialists were recruited from across the country as Scale-I officers. The induction process for the generalist officers included an eight week intensive training programme at the National Insurance Academy, Pune. The specialist officers were trained separately at NCIL during the same period. Apart from the selection of the best available faculty and facilities for the new recruits, no efforts were spared to provide the best in class training to integrate them seamlessly to the working of the Company. The senior management actively participated in the induction training including frequent interactions and lectures to motivate the new entrants. They were also provided with special NICian kits including a custom designed and printed HR handbook, bags and NICian T-Shirt. The 8 weeks intensive also included one week on the job exposure at our various Regional Offices.

A reward cum-training programme was also organized at College of Insurance, Mumbai for consistent and outstanding performers in Class-III (Assistant / Senior Assistant cadre) at DO / BO / RO and HO (nominated by the respective Regional In-charges). It is a continous process to motivate this section of the employees to boost their morale and optimize their performance level and to inspire others in that cadre to perform better to qualify for

एक सप्ताह का आन द जाब कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में रखा गया।

मंडल शाखा, क्षेत्रीय एवं प्रधान कार्यालय के श्रेष्ठ निष्पादक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों हेतु एक पुरस्कार-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम कालेज आफ इन्श्योरेन्स, मुम्बई में आयोजित किया गया (सहायक/वरिष्ठ सहायक संवर्ग)। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने की यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिससे उनके कार्य निष्पादन में वृद्धि की जा सके। कालेज आफ इन्श्योरेन्स एक सम्मानित संस्थान है जो इन्श्योरेन्स इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। वर्ष 2011-12 में कम्पनी ने 296 प्रतिभागियों को इस प्रोग्राम के लिए नामित किया।

प्रसिद्ध बाहरी संस्थानों एवं संगठनों जैसे इन्श्योरेन्स एण्ड रिस्क मैनेजमेंट (आई आई आर एम), हैदराबाद, कलकता मैनेजमेंट एसोशिएशन (सीएमसी), सीबीआई एकडमी, गाजियाबाद, एमडीआई, मुर्शिदाबाद, ईस्टर्न इंस्टीटयूट आफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट (ईआईआईएलएम) इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्कस् एकांउट आफ इंडिया (आईसीडब्लूएआई) दिल्ली, इन्श्योरेन्स इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, मुम्बई एवं इंडियन इन्श्योरेन्स सोसायटी, कोलकाता में कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया।

हमारी गृह पत्रिका, नेशनल इन्श्योरेन्स न्यूज (NIN) कम्पनी के प्रबंधन एवं कार्मिकों के बीच संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण मंच है। आंतरिक संप्रेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पत्रिका का समेकित अंक प्रकाशित किया गया। पत्रिका (अप्रैल, 2011) के अंक द्वारा टीम वर्क से कम्पनी

प्रशिक्षण आंकड़े 2011-12	
डोमेन प्रशिक्षण - नेशनल इन्श्योरेन्स अकादमी, पुणे	
	प्रतिभागियों की संख्या
श्रेणी-I	462
पुरस्कार आधारित प्रशिक्षण - कालेज ऑफ इन्श्योरेन्स, मुम्बई	
	प्रतिभागियों की संख्या
श्रेणी-III	296
बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला आदि	
	प्रतिभागियों की संख्या
श्रेणी-I	35
श्रेणी-III	2
नव नियुक्त अधिकारियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण	
	प्रतिभागियों की संख्या
श्रेणी-I : जनरलिस्ट	193
श्रेणी-I : विशेषज्ञ	62
कौशल विकास एवं लीडरशिप प्रोग्राम	
	प्रतिभागियों की संख्या
चैन्नई क्षे.का. अधिकारी लीडरशिप प्रोग्राम श्रेणी-I व II	178
स्टार डेवलपमेन्ट ऑफिसर्स - ऑल इंडिया	219
अजा/अजजा अधिकारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण	
	प्रतिभागियों की संख्या
श्रेणी-I (स्केल-I से स्केल-IV)	405
एनसीआईएल/आटीसी/एटीसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	प्रतिभागियों की संख्या
आरटीसी में प्रशिक्षित कर्मचारी	5072
एनसीआईएल में प्रशिक्षित अधिकारी	1261
एटीसी में प्रशिक्षित अभिकर्ता	4369

such programmes in the future. College of Insurance is a reputable institute for insurance learning which is under the aegis of Insurance Institute of India. In 2011-12, the Company nominated 296 participants here for this programme.

Several officials were also nominated for training, seminars and workshops by reputed external institutes and organizations namely Institute of Insurance & Risk Management (IIRM), Hyderabad, Calcutta Management Association (CMA), CBI Academy, Ghaziabad, MDI Murshidabad, Eastern Institute for Integrated Learning in Management (EIILM), Institute of Cost & Works Accountants of India (ICWAI), Delhi, Insurance Institute of India, Mumbai and Indian Insurance Society, Kolkata among others.

The house magazine, National Insurance News (NIN) is considered a very important communication platform for exchange of views between the management and our internal audience. As part of our internal communication initiative one consolidated issue of the magazine was brought out during the financial year. The magazine (April 2011) focused on the success story of the Company through Teamwork – *Team NIC achieve dream target 6060.*

At NIC, we believe it is instrumental to continue the Companys efforts to meet the challenges of introducing change internally and inspire and motivate the human assets and sensitize them to the Company's projected goals and new age initiatives that have been taken in the process of change management. All training is directed to inspiring awareness and motivation internally towards fulfilling the organizational goals in both the long run as well as in the immediate future.

Training Statistics 2011-12	
Domain Training - National Insurance Academy (NIA), Pune	
	No. of participants
Class-I	462
Reward based Training - College of Insurance (CoI), Mumbai	
	No. of participants
Class-III	296
External Training programmes/Seminars/Workshops etc.	
	No. of participants
Class-I	35
Class-III	2
Induction Training for New Direct Recruit officers	
	No. of participants
Class-I :Generalists	193
Class-I : Specialists	62
Skill Development & Leadership Programmes	
	No. of participants
CNRO Officers Leadership programme Class-I & II	178
Star Development Officers-All India	219
Pre-promotional Training for SC/ST Officers	
	No. of participants
Class-I (Scale-I to Scale-IV)	405
Training Programmes at NCIL / RTC / ATC	
	No. of participants
Employees trained at RTCs	5072
Officers trained at NCIL	1261
Agents trained at ATCs	4369

की सफलता का इतिहास-टीम एनआईसी ने ड्रीम लक्ष्य 6060 को पूरा किया।

नेशनल में हमें वर्तमान परिवर्तनों के परिपेक्ष्य में आनेवाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने मानव संसाधनों को लगातार अपडेट एवं प्रेरित करते रहने की आवश्यकता है ताकि कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को इस बदलते परिवेश में पूरा किया जा सके। हमारे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम जागरूकता एवं प्रेरणा पर आधारित होते हैं ताकि हम अपने तत्काल एवं दीर्घ अवधि लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सके।

एस्टेट एवं स्थापना विभाग की गतिविधियां :

विभाग लम्बे समय से इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. के साथ चल रहे किरायेदारी के विवाद को सुलझाने में सफल हुआ। कम्पनी को एरियर के रूप में ₹104.82 करोड़ मिले तथा मासिक किराया ₹89530/- से बढ़कर ₹1.29 करोड़ हो गया।

कामर्शियल युनियन हाउस, मुम्बई एवं रॉयल इन्श्योरेन्स बिल्डिंग, कोलकाता को अनधिकृत किरायेदारों से खाली कराने हेतु विभाग द्वारा कदम उठाये गये।

वाइजाग एवं हुबली क्षेत्रीय कार्यालयों के भवन हेतु अनुमोदन दिया गया तथा हुबली क्षेत्रीय कार्यालय की आंतरिक साज सज्जा हेतु भी अनुमोदन दिया गया।

प्रधान कार्यालय के भवन का सुधार कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा भूतल पर स्थित कार्मिक विभाग का कार्य पूरा हो गया है। लिफ्ट को आधुनिक बनाया गया है।

कम्पनी की सम्पत्ति में बढोतरी करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार से 3879 वर्गफीट जमीन की खरीद की गई जिसमें बगालकोट शाखा कार्यालय एवं शाखा प्रबन्धक निवास बनाये जाने का प्रस्ताव है।

देश के विभिन्न भागों में खोले गये व्यवसाय केन्द्रों को एक समान स्टैडर्ड फर्नीचर उपलब्ध कराया गया। स्टर्लिंग सिनेमा भवन, मुम्बई का सुधार कार्य चल रहा है जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹54.00 लाख है।

रायल इन्श्योरेन्स बिल्डिंग, मुम्बई का बाहरी सुधार कार्य वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया गया जिसकी अनुमानित लागत रू. 69.74 लाख है।

राजभाषा कार्यान्वयन :

पूर्व की भाँति भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2011-12 हमें प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उल्लिखित राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी लक्ष्यों के आधार पर कम्पनी का एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुपालन हेतु भेजा गया तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा की गई।

प्रधान कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान चार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी एक अर्द्ध दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी लक्ष्य के अनुसार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को व्यवसायिक कार्य का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रधान कार्यालय एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिन्दी दिवस/ सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कृत लेखों को प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका बीमावार्ता में प्रकाशित किया गया।

भारत सरकार की राजभाषा नीति का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 के दौरान 15 क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निरीक्षण किया गया तथा लक्ष्य के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये गये।

वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका बीमावार्ता के दो अंक प्रकाशित किये गये। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सामग्रियों को पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी गृह पत्रिका का प्रकाशन किया गया तथा उनमें से कुछ को संबंधित नराकास (TOLIC) द्वारा पुरस्कृत किया गया।

ESTATE & ESTABLISHMENT ACTIVITIES

The department achieved a land mark success in resolving its long pending tenancy disputes with Indian Oil Corporation Ltd. The Company received arrear rent of ₹104.82 crore and got the monthly rent raised from ₹89530/- to ₹1.29 crore.

The department initiated steps to evict unauthorized tenants from Commercial Union House, Mumbai and Royal Insurance Building, Kolkata.

Expeditious approval was given for hiring premises for newly opened Regional Offices at Vizag and Hubli and for interior decoration of Regional Office at Hubli.

Renovation of Head Office Building commenced and work completed in the ground floor occupied by Personnel department. Lift was also modernized.

Step was taken in augmenting physical assets of the Company by way of purchase of a piece of land, measuring 3879 sq. ft., from Government of Karnataka at Bagalkot, wherein premises for Bagalkot Branch Office and BM's residence is proposed to be built.

Newly opened Business Centers across the country were provided with standard and similar furniture for uniform look.

Renovation of Sterling Cinema Building at Mumbai is under way at an estimated cost of ₹54.00 lac.

Exterior renovation of Royal Insurance Building, Mumbai was started during the course of the year at an estimated cost of ₹69.74 lac.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

Unvarying previous years, this year too we have received an Annual Programme on Official Language Implementation for the year 2011-12 from the Ministry of Home Affairs, Official Language department New Delhi. As cited in the said programme, a specified annual target relating to Official Language Implementation was prepared and forwarded to all Regional Offices and review of the same were undertaken from time to time to ensure progress in achieving such targets.

In compliance with the target so fixed, 4 (four) Hindi workshops were conducted at Head Office level during the financial year. A special Hindi Workshop was organized for Class-IV employees posted at Head Office. At Regional Office level workshops were also organized towards fulfillment of the said target. Through these workshops, employees were imparted training to use Hindi in their day-to-day official work .

Head Office alongwith all the Regional Office celebrated Hindi Day/Week. On this occasion, numerous competitions were conducted and prize winners were felicitated Prize-winning articles/write ups were further published in Head Office House Magazine Bima Varta.

To ensure optimum implementation of Official Language policy inspection of 15 Regional Offices were conducted, Concerned ROs were instructed accordingly for compliance. During the year, half yearly issues (2 issues) of Hindi House Magazine Bima Varta were published by Head Office and various write-ups received from the Regional offices were included in this issue. Hindi Magazine were also published at our Regional Office level and some of them were awarded by the concerned Town Official Language Implementation Committee.

To fulfill the vacant post of Hindi Translators, an effort was made during the year and four translators joined our Company through employment exchange. An advertisement on Company website was given to recruit Hindi Translators directly from market to fulfill the rests of the vacant posts. An examination to this effect was held on 12th February, 2012.

During the year, the Drafting and Evidence Sub-committee of the committee of Parliament on Official Language visited our Udaipur D.O. under Jaipur R.O. on 19th September, 2011. Compliance Report in connection with the said inspection was sent to the office of the Parliamentary Committee.

During the financial year we have received following Prizes/Awards pertaining to the Official Language:-

संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासन के अनुपालन में हिन्दी अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने हेतु सेवायोजन कार्यालयों से प्राप्त 4 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हिन्दी अनुवादक के पद पर की गई। इसी क्रम में अनुवादक के शेष रिक्त पदों को भरने हेतु कम्पनी की वेबसाइट पर रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा दिनांक 12 फरवरी, 2012 को सम्पन्न हुई।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा दिनांक 19.09.2011 को उदयपुर मंडल कार्यालय (जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय) के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। निरीक्षण सम्बन्धी अनुपालन रिपोर्ट संसदीय समिति कार्यालय को भेज दी गई है।

वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय को राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए:

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) कोलकाता द्वारा श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु राजभाषा शील्ड पुरस्कार।
2. प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका बीमावार्ता को उत्कृष्ठ पत्रिका का पुरस्कार।
3. भारतीय राजभाषा परिषद द्वारा श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु प्रधान कार्यालय को राजभाषा शील्ड तथा महाप्रबन्धक श्री के.पी. ब्रह्म को राजभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार।
4. श्रीनगर एवं पालमपुर मंडल कार्यालय को श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किया गया।

आई टी समर्थ बिजनेस प्रासेस:

हमने बिजनेस प्रासेस एवं ई-गवर्नेस को आई.टी समर्थ बनाने का व्यापक प्रयास किया है। आई. टी सिक्यूरिटी, बिजनेस कांटीनियूटी मैनेजमेंट आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बिजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग, जिसमें पॉलिसियां जारी करने के लिए आनलाइन ग्राहक पोर्टल सम्मिलित है, बिजनेस प्रासेस को आई टी समर्थ बनाने के कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

ई गवर्नेस:

हमने निम्नानुसार ई-गवर्नेस आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सभी आवश्यक उपाय किये:

- इलेक्ट्रानिक माध्यम से निस्तारित दावों के भुगतान हेतु फंड का ट्रांसफर उदाहरणार्थ-एनईएफटी/आरटीजीएस।
- एनईएफटी/आरटीजीएस एवं क्रेडिट/डेबिट इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रीमियम प्राप्त करना।
- प्रचालन कार्यालयों के साथ बीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा ई-गवर्नेस को बढ़ाना।
- आन लाइन कोलेबोरेशन के लिए लोटस नोट्स तथा वीडियो स्ट्रीमिंग सोल्यूशन के एचडी वीडियों एचडी वीडियों कान्फ्रेसिंग सालूसन को अपग्रेड करने के लिए समन्वित किया गया।

पॉलिसी जारी करने के लिए आन लाइन कस्टमर पोर्टल:

- मोटर एवं मेडिक्लेम की पॉलिसियों को आन लाइन जारी करने हेतु आन लाइन ग्राहक पोर्टल की शुरूआत की गई है।
- किसी भी समय कही से नई एवं नवीकरण पॉलिसियों को जारी किये जाने के प्रावधान के अंतर्गत इसमें ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए समन्वित गेटवे साल्यूशन को सम्मिलित किया गया है।
- पोर्टल ट्रॉजेक्सन पूरी तरह से वर्तमान जेनेसिस डाटा के समान है तथा यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांजेक्शनल डाटा पूरी तरह से सम्बन्धित प्रचालन कार्यालय में स्थानान्तरित हुआ है।

नेटवर्क प्रबंधन:

- कम्पनी की उन्नत एवं व्यापक उपयोगी वाइड एरिया नेटवर्क के तार्किक अवरोधों को दूर करते हुए लगातार मानिटर एवं प्रभावी किया जा रहा है।
- नेटवर्क को कोर इन्श्योरेन्स सिस्टम, जिसमें उच्च निष्पादन की आवश्यकता है, को मजबूत बनाने के लिए

1. The Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Kolkata awarded Rajbhasha Sheild to our Head Office for better implementation of Official Language Policy.
2. The said Committee has bestowed us with Shreshtha Patrika Puraskar to our House Magazine Bima Varta.
3. Bhartiya Rajbhasha Parishad awarded Rajbhasha Shield to our Head Office and Rajbhasha Gourav Samman to our General Manager, Shri K.P. Brahma for better implementation of official language policy in our Company.
4. Ministry of Home Affairs, Official Language, department, New Delhi awarded Rajbhasha Shield to our Srinagar and Palampur Division Office (under Chandigarh RO).

IT ENABLEMENT OF BUSINESS PROCESSES

We have made all pervading efforts to ensure IT enablement of all business processes and compliance of e-Governance initiatives. IT Security, Business Continuity Management, revamping of IT Infrastructure and Business Process Re-engineering including online customer portal for issuance of policies have been among the significant initiatives driving the Company towards greater IT enablement of business processes.

E-GOVERNANCE

We have taken all necessary steps to ensure compliance of e-Governance requirements as under:-

- Implementing disbursement of settled Claims through Electronic Transfer of Fund e.g. NEFT/RTGS.
- Enabling receipt of premium through electronic means like NEFT/RTGS and Credit/Debit cards.
- Enhancing the e-Governance initiative of video conferencing with our operating offices from Standard Definition to High Definition transmission mode.
- Lotus Notes Same time video streaming solution for online collaboration will be integrated to upgraded full HD Video conferencing solution.

ONLINE CUSTOMER PORTAL FOR POLICY ISSUANCE

- We have introduced Online Customer Portal for issuance of online policies starting with Motor and Mediclaim Policies.
- It incorporates integrated payment gateway solution and facilitates customer service with the provision of anywhere-anytime issuance of new and renewal policies.
- The portal transactions are fully integrated with existing Genisys data and application to ensure that the transactional data are fully accounted for in the respective operating offices.

NETWORK MANAGEMENT

- The highly advanced and extensively utilized Wide Area Network of the Company is relentlessly monitored and kept accessible by overcoming logistics hurdles.
- The network is planned to be further strengthened with enhanced fallback to prepare it for providing the backbone of the Core Insurance System having higher performance requirement.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

- Business Continuity Management and availability of Critical Business data and Applications at all times have been ensured through deployment of Primary, Secondary and Near Line Data Centres interconnected for data replication.

नेटवर्क को और अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली बनाया जा रहा है।

व्यवसाय निरंतरता प्रबन्धन :

- व्यवसाय निरंतरता प्रबन्धन तथा क्रिटिकल व्यवसाय डाटा की उपलब्धता व हमेशा उपयोग को प्राईमरी, सेकंडरी एवं डाटा रिप्लीकेशन के लिए इंटर कनेक्टेड नियर लाइन डाटा के परिनियोजन द्वारा सुनिश्चित किया गया।

नानकोर एप्लीकेशन:

- रि इन्श्योरेन्स प्रचालन के लिए रि इन्श्योरेन्स साफ्टवेयर आर ई आई एस आई टी समर्थ प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।
- निवेश साफ्टवेयर को निवेश संबंधी सभी कार्यों के लिए परिनियोजित किया गया है।

बिजनेस सेंटर वेब पोर्टल:

- हमारी कम्पनी सुदूर तथा बीमा सुविधा रहित स्थानों में 350 व्यवसाय केन्द्र खोलने वाली पहली कम्पनी है।
- हमारे व्यवसाय केन्द्रों को रिटेल उत्पाद बेचने के लिए पूरी तरह से वेब आधारित बनाया गया है।

आई टी बुनियादी सुविधाओं में सुधार:

- आई टी सर्वर की बुनियादी सुविधाओं में प्रासेसिंग आवश्यकताओं में वृद्धि करने के लिए सुधार किया गया।
- ब्लेड सर्वर पर सर्वर कन्सालिडेशन प्राप्त कर लिया गया है।
- उच्चतम कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उच्च निष्पादन सिस्टम की उपलब्धता के आधार पर पुराने डेस्कटाप तथा लैपटाप को चरणबद्ध तरीके से बदलने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

आईटी सिक्यूरिटी अपरेशन:

- एक बेहतर सिस्को सिक्यूरिटी कन्ट्रोल जो सभी पेरिमीटर स्तर की सिक्यूरिटी जैसे यूआरएल फिल्टरिंग इन्ट्रूसन प्रेवेंसन एण्ड डिटेक्सन, सुरक्षा हेतु स्थापित किये गये है, को सिक्यूरिटी आपेरेशन सेंटर पर विकेन्द्रित करने के क्षेत्र में सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में हमारी कम्पनी अग्रणी रही है।
- नेटवर्क रिसोर्सेज की सुरक्षित कार्यप्रणाली के लिए सिस्को नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल को भी लागू किया गया है।
- हमारे रिस्क एक्सपोजर की माप के लिए की मीट्रिक के रूप में पैच प्रबंधन को सफलतापूर्वक विकेन्द्रित किया गया।
- बाह्य सिक्यूरिटी कंसल्टेंट द्वारा सिक्यूरिटी पाश्चर एसेसमेंट के अंतर्गत सिक्यूरिटी पॉलिसी की समीक्षा कर ड्राफ्ट तैयार किया गया।
- एन्क्रिप्शन साफ्टवेयर प्राप्त करना, लाग एनालिसिस साफ्टवेयर, डाटा लिंक प्रेवेशन सिस्टम, आई एस ओ 27001 को लागू करना इत्यादि सिक्यूरिटी पॉलिसी के विस्तार के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु है।

आनलाइन शिकायत निवारण:

- आनलाइन शिकायत निवारण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए इसमें सुधार किया गया तथा इसे आई आर डी ए के आन लाइन शिकायत निवारण सिस्टम के साथ समन्वित किया गया।

कोर सोल्यूशन (ईजी) एण्ड बिजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग:

- महात्वाकांक्षी प्रोजक्ट और इन्श्योरेन्स सोल्यूशन का कस्टमाइजेशन डाटा माइग्रेशन एवं रोलआऊट प्रक्रियाधीन है।
- सम्बन्धित सोल्यूशन ईजी में सम्मिलित है, पिपुल साफ्ट का उपयोग करते हुए मानव संसाधन सहित कोर एप्लीकेशन, ओरिकल फाइनेशियल का उपयोग करते हुए दस्तावेज प्रबन्धन एवं आटोमेटेड वर्कफ्लो, आईवीआरएस एवं काल सेंटर के साथ सिबल का उपयोग करते हुए सी आर एम ओरिकल आइडेंटिटी मैनेजमेंट, एसएएस मास्टर डाटा मैनेजमेंट सूट, ओरिकल बीआई एवं डाटा वेयर हाउसिंग सूट, ओरिकल सर्विस

NON-CORE APPLICATIONS

- Reinsurance software REIS provides IT enabled platform for Reinsurance operations.
- Investment Software is deployed for handling all investment related functions.
- Our website is in a continuous process of review and modification including introduction of updated FAQs and uploading of latest circulars among others.

BUSINESS CENTRE WEB PORTAL

- Our Company is the pioneer in deploying more than 350 Business Centres opened by the Company at remote or unrepresented locations.
- The Business centres are enabled through completely web based applications selling retail products in unrepresented areas.

REVAMPING IT INFRASTRUCTURE

- IT Server Infrastructure is revamped to facilitate catering to enhanced processing requirements.
- Server Consolidation on Blade servers has been achieved.
- Old Desktops and Laptops are under the process of replacement in phases in view of keeping in tandem with the availability of higher performance systems to meet the higher functional needs.

IT SECURITY OPERATIONS

- We are the pioneer among PSU Insurers in deploying Security Operations Centre with a well defined Cisco Security control established to protect all perimeter level security such as URL Filtering, Intrusion Prevention and detection, Firewall and Virus Protection at the Gateway.
- Cisco Network Admission Control (NAC) has also been implemented for secure access to network resources.
- Patch management has been successfully deployed as a key metric to our risk exposure.
- A review of security policy was drafted currently under Security Posture Assessment by an external Security Consultant.
- The Procurement of encryption software, Log analysis software, Data Leak prevention system, Implementation of ISO 27001 etc. are in the Roadmap to enhance the Security Policy.

ONLINE GRIEVANCE REDRESSAL

- The Online Grievance Redressal System is reviewed and improved to ensure seamless co-ordination with the online grievance redressal system of IRDA.
- Customer service towards redressal of their grievances has been IT enabled to help them to track the status online by quoting their unique grievance reference number.

CORE SOLUTION (EASI) & BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

- The ambitious project for customization, data Migration and rollout of Core Insurance Solution is under progress.
- The integrated solution EASI encompasses Core Application with Human Resource Management System using PeopleSoft, Financial Accounting using Oracle financials, Document Management and automated workflow using Documentum, CRM using Siebel collaborating with IVRS and Call Centres, Oracle Identity Management, SAS Master Data Management Suite, Oracle BI & Data Warehousing suite, Oracle Service Oriented Architecture suite.

ओरिएण्टेड आर्किटेक्चर सूट।

- बिजनेस इंटेलीजेंसी एवं एनालिटिक्स के साथ यह समन्वित डाटा माइनिंग प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगा।
- चेन्नई में 31 अक्टूबर, 2011 से सफलतापूर्वक कार्य प्रारंभ किया गया है।
- चेन्नई में चयनित कार्यालयों के लिए रोल आउट का कार्यक्रम मई 2012 में निर्धारित किया गया है।
- उक्त कार्यालयों में रोल आउट के प्रभाव का विश्लेषण करने के पश्चात इसका अगला कार्यक्रम जून 2012 से प्रारंभ होगा।
- समन्वित सिस्टम का पूरा रोल आउट कार्यक्रम मार्च, 2013 तक पूरा होने की संभावना है।
- ईजी में बीपीआर प्रासेस लागू करने के पश्चात विभिन्न प्रासेस रि इंजीनियरिंग शुरूआत हुई जिन्हें कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार के लिए निर्मित किया गया, एकाउण्ट क्लोजिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए तथा कुछ प्रक्रियाओं को जो अब तक मैनुअली चल रही थी स्वचालित बनाने के लिए उनमें से प्रमुख हैं :-
  - चेन्नई एवं कोलकाता के हब में एकाउण्ट एवं पे रोल गतिविधियों का केन्द्रीयकरण, जो पूरे संगठन के सेंट्रल एकाउंट एवं जनरल पेरोल के कार्यो के लिए जिम्मेदार है।
  - दावा इत्यादि का एनईएफटी प्रक्रिया माध्यम से भुगतान।
  - सीएमएस पार्टनर बैंक के द्वारा कैश मैनेजमेंट सिस्टम की शुरूआत जो विभिन्न भुगतानों के कलेक्सन के पश्चात प्रतिदिन के आधार पर रिकन्सीलिएसन फाइले भेजने के लिए जिम्मेदार है।
  - आनलाइन पैमेंट गेटवे एवं आनलाइन पोर्टल के साथ समन्वय।
  - भारतीय डाक विभाग की प्रिंट टू पोस्ट सेवाओं का उपयोग करते हुए केन्द्रीकृत मुद्रण तथा नवीकरण नोटिस को भेजना।
  - प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में केन्द्रीकृत दावा हब जो दावा प्रासेस के लिए अधिकृत है तथा उसमें सम्मिलित है-सर्वेयर नियुक्ति, दावा प्रासेसिंग, दावा निस्तारण तथा मोटर एल ओ बी के लिए दावा अनुमोदन।

एकाउंट्स एवं दावा हब :

- केन्द्रीकृत दावा प्रासेसिंग के साथ दावा हब पोर्टल कार्य कर रहा है। 291 शहरों के प्रचालन कार्यालयों में जेनेसिस सिस्टम के प्रयोग से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 22 मोटर ओडी हब (नान टाई अप) कार्य कर रहा है।
- ईजी के रोल आउट होने के पश्चात, कोर इन्श्योरेन्स के उपयोग से वर्क फलो एवं रोल आधारित प्रासेस से इन क्लेम हबो को समर्थ बनाया जायेगा।
- दावा निस्तारण प्रक्रिया आई टी समर्थ है।
- कोर एप्लीकेशन के अंतर्गत केन्द्रीकृत पेरोल सिस्टम को मैनेज करने के लिए एकाउंट हब बनाये गये।
- ईजी रोल आउट के परिप्रेक्ष्य में एकाउंट हब केन्द्रीकृत लेखा का कार्य करेंगे।
- एकाउंट हब कैश मैनेजमेंट सेवा, बैंक समाधान एवं टैक्स से सम्बन्धित मामलों का कार्य करेंगे।

लिगेसी सिस्टम :

- उपरोक्त सभी उपलब्धियां लिगंसी प्रचालन सिस्टम, जैसे ट्रॉजेक्शनल परफारमेंस के लिए जेनेसिस एवं जीईएम, अनुपालन की आवश्यकतानुसार एमआईएस जनरेसन एवं मानिटरिंग एवं निर्णयात्मक उद्देश्य के लिए निष्पादन विश्लेषण के रख-रखाव एवं सर्विसिंग के लिए है ।
- ओरेकल आधारित पेटोल सिस्टम को आवश्यकता-नुसार लगातार उन्नत बनाया गया ।

- It will serve as an integrated Data mining Platform with Business Intelligence and Analytics.
- Piloting has been successfully completed in the First Office which went live on 31st October 2011 in Chennai.
- Rollout for selected offices in Chennai is scheduled in May 2012.
- Further rollout will be from June 2012 after analyzing the impact of the deployment at the above offices.
- Complete rollout of the integrated system is expected to be completed by March 2013.
- BPR process as implemented in EASI has introduced a number of process re-engineering which has been designed to improve productivity of employees, ease of accounts closing methodology, fraud detection measures, automation of certain processes which has been handled manually till date. The primary among them are
  - Centralization of Accounts and Payroll activities in respective hubs at Chennai and Kolkata who are responsible for maintenance of Central Accounts and processing General Payroll for entire organization
  - Disbursement through NEFT processes for claims etc.
  - Introduction of Cash Management System (CMS) through CMS Partner Banks who are responsible for sending reconciliation files on a daily basis after collection of various payment instruments.
  - Online Payment Gateway functionality and integration with online portals.
  - Centralised printing and dispatch of renewal notices using print to post services of India Posts.
  - Centralized Claim Hub at each region which is responsible for claim processing which includes Authority based Surveyor Appointment, Claim Processing, Claim Settlement, Claim Approval for Motor LOB.

ACCOUNTS AND CLAIMS HUBS

- The Claims Hub Portal is operational with centralized Claims Processing function 22 Motor OD Claim (Non Tie ups) Hubs have been created at RO centers covering 291 city based and adjoining Operating Offices using legacy GENISYS system.
- As and when EASI is rolled out, workflow and role based processes using Core Insurance application will be enabled at these Claims Hub.
- Claim settlement processes are IT enabled.
- Accounts Hubs are set up to manage centralized payroll system under core application.
- Accounts Hubs will undertake the centralized accounting functions keeping in tune with the roll-out of EASI.
- Accounts Hubs will also handle Cash Management Service and Bank reconciliation and taxation matters amongst other.

LEGACY SYSTEMS

- All the above achievements are over & above the maintenance and servicing of the Legacy operational systems like Genisys and GEM for transactional performance and MIS generation as per compliance requirements and performance analysis for monitoring and decision making purpose.
- The Oracle based Payroll System is also continuously upgraded as per requirements.

आईटी रोडमैप

निम्नलिखित के अतिरिक्त अनेक काम्पलेक्स प्रोजेक्ट निर्णायक दौर में है :

- अंतरकार्यकारी एवं मोबाईल एप्लीकेशन के परिनियोजन के अतिरिक्त लागत को कम करने के उद्देश्य से सभी संचार मीडिया को एकल नेटवर्क में परिवर्तित करने के लिए एकीकृत संप्रेषण व्यवस्था ।
- ग्राहक सेवा को और अधिक सरल तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रिंट टू पोस्ट सिस्टम में विस्तार किया जा रहा है।
- ग्राहक अनुभव एवं वार्तालाप की सुविधा को बढ़ाने के लिए 24x7 आधार पर आन लाइन चैट सोल्यूसन उपलब्ध किया जा रहा है ।
- ग्राहक संबंध प्रबन्धन को आईटी संपन्न बनाने के लिए एसएमएस आधारित ग्राहक सेवा लागू करने पर विचार किया जा रहा है ।

विजिलेंसः सतर्कताः

दण्डात्मक कार्रवाई के संदर्भ में वर्ष के दौरान 41 अनुशासनात्मक कार्रवाई के लेखों का निवारण किया गया तथा वर्ष के दौरान 37 अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई । वर्ष के दौरान कुल 65 मामलों में से 35 में मेजर तथा 30 में माईनर पेनाल्टी लगाई गई ।

निवारक पक्ष में आल इंडिया आधार पर कुल 37 कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया तथा निगरानी पक्ष के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं की सहमति सूची को सीबीआई के प्राधिकारी के साथ मिलकर तैयार किया गया ।

दिनांक 22 व 23 मार्च 2012 को अखिल भारतीय सतर्कता अधिकारी सम्मेलन एनसीआईएल, नरेंद्रपुर में आयोजित किया गया जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक (कार्मिक), महाप्रबन्धक एवं कम्पनी के वित्तीय सलाहकार ने हिस्सा लिये। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन प्रधान कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में किया गया जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, जैसे बैनर लगाना, अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक के संदेश का लिफलेट प्रकाशित करना किये गये ।

पूरे वर्ष के दौरान दीर्घ अवधि से लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया ।

सतर्कता विभाग, कार्मिक तथा विजिलेन्स संबंधी सभी सूचनाओं को कम्प्यूटर पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में कार्य कर रहा है ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं की गई कार्रवाई इत्यादि के लिए एक मजबूत डाटाबेस तैयार किया जा सके । क्षेत्रीय स्तर पर विजिलेन्स माड्यूल एवं साफ्टवेयर के संबंध में विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया ।

आंतरिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण गतिविधियों

विभागों ने वर्ष 2011-12 के दौरान प्रभावशाली ढंग से ट्रांजेक्शन आधारित आडिट के स्थान पर सिस्टम आधारित आडिट किया जिसके अंतर्गत वर्ष 2010 में आयोजित अखिल भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय आडिट-इंचार्ज की बैठक, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने भाग लिया विशेष रूप से तकनीकी विभाग, में विचार विमर्श के पश्चात तैयार किये संशोधित रिपोर्टिंग फार्मेट में रिपोर्ट तैयार की गई ।

कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियों के अंतर्गत सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों का विभिन्न प्रकार का आडिट निरीक्षण किया गया जैसे विकास अधिकारियों का इंसेटिव पूर्व आडिट, शाखा, मंडल एवं क्षेत्रीय कार्यालय, प्रधान कार्यालय, सीपीए आडिट एवं क्लेम हब का ट्रांजेक्शन किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान लेखा परीक्षा निरीक्षण निम्नवत किये गये :

रेगुलर व तकनीकी लेखा	इंसेंटिव लेखा	टीपीए (यूनीटस्) लेखा	दावा हब लेखा	क्लोजड् दावा लेखा	अन्य लेखा	कुल
1706	134	49	10	50	151	2100

IT ROADMAP

Several complex projects are in immediate roadmap including the following :-

- Unified communications with a target to converge all communication media under a Single Network to save cost besides providing interoperability and mobile application deployment.
- Print to Post initiatives are being explored for further extensive utilization of this customer service oriented procedure.
- 24 x 7 Online Chat solution is being explored for enhanced customer experience and interaction.
- SMS based Customer service is looked into for future consideration towards attaining more IT enablement of Customer Relationship Management.

VIGILANCE

In respect of punitive actions we have disposed of 41 cases relating to disciplinary proceedings and 37 disciplinary proceedings have been commenced during the year. Out of 65 penalties, 35 major penalties and 30 minor penalties had been imposed during the year.

On Preventive Vigilance 37 surprise inspections have been carried out on All India basis and on surveillance aspect agreed list has been prepared with CBI authorities of different branches. All India Vigilance Officers' Meet has been held at NCIL, Narendrapur on 22nd & 23rd March 2012 where CMD, GM(P), GMs & FA graced the occasion and various issues were discussed.

Vigilance Awareness Week 2011 was observed at Head Office and other Offices by holding various activities including displaying banner, publishing leaflet containing CMDs message and various awareness programmes had been arranged.

Special attention has been given for expeditious disposal of long pending disciplinary proceedings throughout the year whereby there has been improvement.

The department is in the process of computerization of all information related to personnel vis-à-vis vigilance so that strong data base is created in the department in respect of disciplinary proceedings, action thereon etc. as a measure of leveraging IT technology. Various meetings have been held on zonal basis on Vigilance Module and Software.

INTERNAL AUDIT AND INSPECTION ACTIVITIES

The department during the year 2011-12 effectively traversed from transaction based audit to system based audit with the utilization of a revised reporting format that developed during the All India Regional Internal Audit In-Charges' Meet held in late 2010 with active participation and extensive and meaningful inputs from various sectors particularly the technical department.

Internal Audit activities of the Company were undertaken in all the 26 Regional Offices and the department conducted various types of audit e.g. pre-incentive audit of development officers, transaction audit of Branch, Division & Regional Offices, Head Office departments, TPA audit & claims Hub Audit.

During the fiscal 2011-12, the following audits were conducted:-

Regular & Technical Audits	Incentive Audit	TPA (Units) Audit	Claims Hub Audit	Closed Claims Audit	Other Audits	Total
1706	134	49	10	50	151	2100

आडिट कमेटी द्वारा अनुमोदित वार्षिक आडिट प्लान को कम्पनी के व्यक्तिगत कार्यालयों के पिछले तीन वर्षों के औसत अनुपात के आधार पर तैयार किया गया ।

प्रभावी कार्पोरेट गवर्नेंस को प्राप्त करने के उद्देश्यों से आडिट कवरेज का समयानुसार अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की आडिट अनुपालन कमेटी के साथ लगातार बैठकें की गई । वर्ष के दौरान क्षेत्रीय आडिट अनुपालन कमेटी की कुल 23 बैठकें आयोजित की गई जिनमें 47088 प्रश्नों का समाधान किया गया जबकि वर्ष के प्रारंभ में यह संख्या 53480 थी ।

आवश्यकता के अनुरूप निवेश प्रचालन का अंकेक्षण बाहरी आडिट फर्म द्वारा किया गया तथा तिमाही रिपोर्ट आडिट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा आडिटर के प्रमाणीकरण के पश्चात आईआरडीए को भेजी गई ।

वर्ष 2011-12 के दौरान एक्सन टेकेन नोट के माध्यम से कामर्शियल रिपोर्ट एवं इंस्पेक्सन रिपार्ट में महालेखा परीक्षक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के समाधान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई प्रारम्भ की गई ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियां तथा उनका विवरण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) संशोधन नियम 2011 के कम्पनी के संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को प्रयोज्य संशोधित सीमा अर्थात ₹5 लाख प्रति माह या वर्ष में ₹60 लाख से अधिक का पारिश्रमिक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसरण में निदेशकगण एतदद्वारा संपुष्टि करते हैं कि :-

i) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है तथा साथ में महत्वपूर्ण विचलन के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii) वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों, उसी अवधि के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने के लिए निदेशकों द्वारा समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरन्तर लागू किया और उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय व प्राक्कलन किया।

iii) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमितताएं रोकने तथा खोजने के लिए कम्पनी अधिनियम,1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रख रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

iv) सक्रिय व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेस (निगमित शासन):

निदेशक मंडल

श्री अनुराग जैन की नियुक्ति जो 30 नवम्बर 2011 से प्रभावी है, भारत सरकार के नामिनी निदेशक के रूप में श्री जितेन्द्र कुमार मैहन के स्थान पर किया गया । बोर्ड श्री मैहन द्वारा कम्पनी को दी गई उनकी सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करता है ।

श्री मोतीलाल शर्मा एवं श्री अमिताभ कोठारी की नियुक्ति अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में 6 जुलाई 2011 एवं 24 अगस्त 2011 से प्रभावी हुई ।

बोर्ड का संगठन

कम्पनी के बोर्ड में कार्यपालक व अकार्यपालक निदेशकों को शामिल किया गया है। वर्तमान में बोर्ड का संगठन निम्नवत है:

The Annual Audit Plan as approved by the Audit Committee was drawn up on the basis of Company average combined ratio for the last three years of the individual offices.

In order to achieve effective corporate governance, concerted and conscious efforts were made during the year for timely compliance of audit queries through regular follow up with Regional Offices, exhaustive reviews and by conducting Regional Audit Compliance Committee meetings. During the year, 23 Regional Audit Compliance Committee Meetings were held throughout the country resulting in resolving as many as 47,088 queries even as the outstanding number in the beginning of the year was 53,480.

As per the requirement, concurrent audit of investment operation is conducted by an external audit firm and quarterly report is placed before the Audit Committee & subsequently sent to IRDA after certification by the concurrent auditors.

Appropriate steps were also initiated for compliance by way of Action Taken Notes on the commercial report paras and the Inspection Reports (IR) raised by the C & AG Auditors resulting in the resolving of a substantial number of audit paras during the year 2011-12.

PARTICULARS OF GOVERNMENT COMPANIES & COMPANIES UNDER SECTION 217(2A) OF THE COMPANIES ACT, 1956:

During the financial year 2011-12, none of the employees are in receipt of remuneration in excess of the applicable revised limits i.e. ₹5 lac per month or ₹60 lac per annum as prescribed in Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Amendment Rules, 2011.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, Directors hereby confirm that -

i) in preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March 2012, the applicable accounting standards had been followed along with explanation relating to the material departures, if any,

ii) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgement(s) and estimate(s) that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period,

iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities and

iv) annual accounts have been prepared on a going concern basis.

CORPORATE GOVERNANCE

Board of Directors

Shri Anurag Jain has been appointed as a Government Nominee Director w.e.f. 30th November 2011 in place of Shri Jitendar Kumar Mehan. The Board wishes to convey their sincere appreciation for the contribution made by Shri Mehan during his tenure as a Director of the Company.

Shri Moti Lal Sharma and Shri Amitav Kothari have been appointed as Part-time Non-official Directors w.e.f. 6th July 2011 & 24th August 2011 respectively.

Composition of the Board

The Board of the Company comprises of Executive and Non-Executive Directors. Presently, the composition of the Board is as follows:

श्रेणी	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक निदेशक	3
गैर कार्यपालक निदेशक	
- बैंक निदेशक	1
- सरकारी निदेशक	1
- अन्य	2

निदेशकों का शुल्क

अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक - केन्द्र सरकार के नियमानुसार

कार्यपालक निदेशक - कम्पनी के नियमानुसार

अकार्यपालक निदेशक - अंशकालिक व अकार्यकारी निदेशकों को समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित बोर्ड की बैठक एवं बोर्ड की सब कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फीस का भुगतान किया गया। तथापि नामितों को सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया।

वर्ष के दौरान आयोजित चार बोर्ड मीटिंग एवं चार कमेटी मीटिंग में भाग लेने के लिए श्री अमिताभ कोठारी को ₹45000/- का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान आयोजित पाँच बोर्ड मीटिंग एवं तीन कमेटी मीटिंग में भाग लेने के लिए श्री मोती लाल शर्मा को ₹47,500/- का भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा समिति

वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया तथा वर्तमान में समिति में निम्न सदस्य हैं:

1. श्री भास्कर सेन (अध्यक्ष)
2. श्री अनुराग जैन
3. श्री कुलदीप सिंह
4. श्री अमिताभ कोठारी

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति में निम्नवत परिवर्तन हुए:

समिति कम्पनी के वार्षिक लेखा योजना को अनुमोदित करती है तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करती है। समिति ने कम्पनी की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न दिशानिर्देश जैसे हानि नियंत्रण उपाय, प्राविजनिंग, आन्तरिक लेखा परीक्षा की गतिविधियों में सुधार एवं कम्पनी में वर्तमान आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम, दिये।

सांविधिक लेखा परीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 की 619(2) के अंतर्गत महालेखा परीक्षक, भारत सरकार (सी एंड एजी) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय एवं विदेशी शाखाओं के लिए लेखा परीक्षण के लिए मे.गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार, कोलकाता को पुनः नियुक्त किया तथा मे. एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार को सनदी लेखाकार के रूप में मे. एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए नव नियुक्त किया । लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये मार्गदर्शन हेतु निदेशक मंडल अपना आभार व्यक्त करता है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष, लेखा परीक्षा बोर्ड, प्रिन्सिपल निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता को उनके बहुमूल्य मार्गनिर्देश और सहयोग के लिए निदेशक मण्डल धन्यवाद ज्ञापित करता है।

संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ख) के साथ पठित धारा 619(क) के अधीन संसद के दोनो सदनों में कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

Category	No. of Directors
Executive Director	3
Non-Executive Director	
- Bank Nominee	1
- Government Nominee	1
- Independent	2

Remuneration to Directors

For CMD - as per Central Government norms.

For Executive Directors - as per Company norms.

For Non-executive Directors - Sitting fees is paid for attending the meeting of Board & sub-committees of the Board as per government norms. However, no sitting fee is paid to the Nominees.

However, an amount of ₹45,000/- has been paid to Shri Amitav Kothari for attending 4 Board and 4 Committee meetings held during the year. Further, an amount of ₹47,500/- has been paid to Shri Moti Lal Sharma for attending 5 Board and 3 Committee meetings held during the year.

Audit Committee

During the year, the Audit Committee has been re-constituted by the Board and at present the Committee comprises of the following Members -

1. Shri Bhaskar Sen (Chairman)
2. Shri Anurag Jain
3. Shri Kuldip Singh
4. Shri Amitav Kothari

The Committee approves the Annual Audit Plan of the Company and appoints Concurrent Auditor and reviews various activities of the Company. The Committee gave various directions for improvement of the functioning of the Company for loss control measures, provisioning issues, improvement of Internal Audit activities including internal control system prevailing in the Company.

STATUTORY AUDITORS

M/s. Guha Nandi & Co., Chartered Accountants, Kolkata were re-appointed and M/s. M. C. Bhandari & Co., Chartered Accountants were newly appointed as Statutory Auditors of the Company in place of M/s. N. Sarkar & Co., Chartered Accountants for the financial year 2011-12 by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) in terms of Section 619(2) of the Companies Act, 1956, in addition to appointment/re-appointment of Branch Auditors for the various Regional and Divisional Offices and also for the Foreign Branches. The Board of Directors wishes to convey their sincere appreciation to the Auditors for their guidance.

AUDIT BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Board of Directors wishes to convey their thanks to the Comptroller & Auditor General of India, the Chairman of the Audit Board, Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member, Audit Board-II, Kolkata for their valuable guidance and co-operation.

PLACEMENT OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

The Annual Report of the Company along with the Directors' Report is being placed before both the Houses of the Parliament under Section 619(A) read with 619(B) of the Companies Act, 1956.

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

आभार

निदेशक मण्डल सभी स्तर के अधिकारियों, विकास अधिकारियों तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा पालिसीधारकों को कुशल सेवा प्रदान करने तथा कम्पनी का कार्य निष्पादन सुधारने में उनके द्वारा दिये गये योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहते हैं। अपने वर्तमान तथा नये ग्राहकों की बड़ी संख्या द्वारा कम्पनी में पुन: अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए निदेशकगण उनकी भरपूर प्रशंसा करते हैं। कम्पनी का पुनर्बीमा व्यवसाय स्वीकार करने में समुद्रपारीय पुनर्बीमाकर्ताओं एवं राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा दिये गये सहयोग एवं समर्थन के लिए निदेशकगण अपना आभार व्यक्त करते हैं।

कम्पनी के कार्य प्रबंधन में दिये गये समर्थन और मार्ग निर्देश के लिए बीमा प्रभाग, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जनरल इन्श्योरर्स (पब्लिक सेक्टर), एसोसिएशन आफ इंडिया (जिप्सा), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के प्रति निदेशक मण्डल प्रशंसा दर्ज करते हुए आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

कृते निदेशक मण्डल

(एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

कैम्प. दिल्ली, 17th मई 2012

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors wishes to place on record their appreciation of the commendable work done by the officers and other classes of employees comprising of development officers and staff at all levels in rendering efficient services to the policyholders and for their contribution in the performance of the Company. The Directors also deeply appreciate the confidence reposed in the Company by a wide spectrum of its client base, existing as well as new. The Directors acknowledge the excellent support extended by overseas Reinsurers and the General Insurance Corporation of India (GIC) as the National Reinsurer in the placement of Company's Reinsurance business.

The Directors would also like to place on record their gratitude and deep appreciation of the support and guidance received from the senior officials of the Insurance Division, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India & General Insurers' (Public Sector) Association of India (GIPSA) and from the Insurance Regulatory and Development Authority of India in the management of the affairs of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

(N.S.R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director

Camp. Delhi, 17th May 2012

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

परिशिष्ठ -I

कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश -अनुपालन प्रमाण पत्र

मैं रीना माडिया एतद्द्वारा प्रमाणित करती हूँ कि समय समय पर संशोधित कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का कम्पनी द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया गया है इस सम्बन्ध में किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

(रीना माडिया)
उप कम्पनी सचिव

परिशिष्ठ - II

वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों/समितियों की संख्या और उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण

1. **मंडल बैठक**
   बैठकों की संख्या : 6

निदेशकों के नाम	मंडल बैठकों की तारीख					
	26/05/2011	11/08/2011	19/09/2011	11/11/2011	14/02/2012	24/03/2012
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अनुराग जैन सरकारी निदेशक (30/11/2011 से नियुक्त)	-	-	-	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री भास्कर सेन (बैंक नामित निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्री मोती लाल शर्मा अंशकालिक अकार्यकारी निदेशक (06/07/2011 से नियुक्त)	-	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी अंशकालिक अकार्यकारी निदेशक (24/08/2011 से नियुक्त)	-	-	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह कार्यकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री ए.वी. गिरिजा कुमार कार्यकारी निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्दर कुमार मैहन पूर्व सरकारी निदेशक (30/11/2011 को सेवा निवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	-

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

ANNEXURE – 'I'

CERTIFICATION FOR COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Rina Madia, hereby certify that the Company has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies, as amended from time to time, and nothing has been concealed or suppressed.

(Rina Madia)
Deputy Company Secretary

ANNEXURE – 'II'

STATEMENT SHOWING NUMBER OF BOARD/COMMITTEE MEETINGS HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2011-12 AND ATTENDANCE OF THE DIRECTORS/MEMBERS THEREAT

1. BOARD MEETING

No. of meetings held: 6

Name of the Directors	Date of Meeting					
	26/05/2011	11/08/2011	19/09/2011	11/11/2011	14/02/2012	24/03/2012
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman-cum-Managing Director)	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri Anurag Jain Government Nominee (appointed w.e.f 30/11/2011)	-	-	-	-	Present	Present
Shri Bhaskar Sen Bank Nominee	Present	Present	Present	Present	Present	Absent
Shri Moti Lal Sharma Part-time Non Official Director (appointed w.e.f 06/07/2011)	-	Present	Present	Present	Present	Present
Shri Amitav Kothari Part-time Non Official Director (appointed w.e.f 24/08/2011)	-	-	Present	Present	Present	Present
Shri Kuldip Singh Executive Director	Present	Absent	Absent	Present	Present	Present
Shri A. V. Girija Kumar Executive Director	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan (ceased to be Government Nominee on 30/11/2011)	Present	Present	Present	Present	-	-

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

2. लेखा परीक्षा समिति (मेंडेटेरी)

बठकों की संख्या :4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	26/05/2011	11/08/2011	11/11/2011	14/02/2012
श्री भास्कर सेन (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन (30.11.2011 को सेवानिवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-
श्री अनुराग जैन (14.02.2012 से नियुक्त)	-	-	-	-
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी (19.09.2011 से नियुक्त)	-	-	उपस्थित	उपस्थित

3. निवेश समिति (मेंडेटेरी)

बैठकों की संख्या: 4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	23/07/2011	19/09/2011	23/12/2011	24/03/2012
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन (30.11.2011 को सेवानिवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री भास्कर सेन	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी (19.09.2011 से नियुक्त)	-	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री सी पी आर वर्मा (सीएफओ)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री पी राय (सीआईओ)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री भूदेव चटर्जी (आमंत्रित नियुक्त एक्चूअरी)	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित

4. जोखिम प्रबन्धन समिति (मेंडेटेरी)

बैठकों की संख्या :4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	11/08/2011	19/09/2011	23/12/2011	24/03/2012
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन (30.11.2011 को सेवानिवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री भास्कर सेन	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्री कुलदीप सिंह	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री पी वेंकटरमैय्या (सीआरओ)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

2. AUDIT COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	26/05/2011	11/08/2011	11/11/2011	14/02/2012
Shri Bhaskar Sen (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan (ceased on 30.11.2011)	Present	Present	Present	-
Shri Anurag Jain (appointed on 14.02.2012)	-	-	-	-
Shri Kuldip Singh	Present	Absent	Present	Present
Shri Amitav Kothari (appointed on 19.09.2011)	-	-	Present	Present

3. INVESTMENT COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	23/07/2011	19/09/2011	23/12/2011	24/03/2012
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan (ceased on 30.11.2011)	Present	Present	-	-
Shri Bhaskar Sen	Present	Present	Absent	Absent
Shri Amitav Kothari (appointed on 19.09.2011)	-	-	Present	Present
Shri A. V. Girija Kumar	Present	Present	Present	Present
Shri C. P. R. Varma (CFO)	Present	Present	Present	Present
Shri P. Roy (CIO)	Present	Present	Present	Present
Shri Bhudev Chatterjee (Appointed Actuary)	Absent	Absent	Present	Absent

4. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	11/08/2011	19/09/2011	23/12/2011	24/03/2012
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan (ceased on 30.11.2011)	Present	Present	-	-
Shri Bhaskar Sen	Present	Present	Absent	Absent
Shri Kuldip Singh	Absent	Absent	Present	Present
Shri A. V. Girija Kumar	Present	Present	Present	Present
Shri P. Venkatramaiah (CRO)	Present	Present	Present	Present

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

5. पालिसीधारक सुरक्षा समिति (मेंडेटेरी)

बैठकों की संख्या : 4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	23/07/2011	19/09/2011	23/12/2011	24/03/2012
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन (30.11.2011 को सेवानिवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री अनुराग जैन (14.02.2012 से नियुक्त)	-	-	-	उपस्थित
श्री मोती लाल शर्मा (11.08.2011 से नियुक्त)	-	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

6. आइटी समिति

बैठकों की संख्या : 1

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख
	23/07/2011
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन (30.11.2011 को सेवानिवृत्त)	उपस्थित
श्री अनुराग जैन (14.02.2012 से नियुक्त)	-
श्री ए.वी. गिरिजा कुमार	उपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी (19.09.2011 से नियुक्त)	-

7. एचआर समिति

बैठकों की संख्या : 1

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख
	14/02/2012
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित
श्री भास्कर सेन	उपस्थित
श्री मोती लाल शर्मा (11.08.2011 से नियुक्त)	उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित

8. वर्ष 2011-12 के दौरान रेम्यूनरेशन समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

5. POLICYHOLDER PROTECTION COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	23/07/2011	19/09/2011	23/12/2011	24/03/2012
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan (ceased on 30.11.2011)	Present	Present	-	-
Shri Anurag Jain (appointed on 14.02.2012)	-	-	-	Present
Shri Moti Lal Sharma (appointed on 11.08.2011)	-	Present	Absent	Present
Shri Kuldip Singh	Present	Absent	Present	Present

6. IT COMMITTEE

No. of meeting held: 1

Name of the Members	Date of Meeting
	23/07/2011
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan (ceased on 30.11.2011)	Present
Anurag Jain (appointed on 14.02.2012)	-
Shri A. V. Girija Kumar	Present
Shri Amitav Kothari (appointed on 19.09.2011)	-

7. HR COMMITTEE

No. of meeting held: 1

Name of the Members	Date of Meeting
	14/02/2012
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present
Shri Bhaskar Sen	Present
Shri Moti Lal Sharma (appointed on 11.08.2011)	Present
Shri Kuldip Singh	Present

8. No meeting of Remuneration Committee took place during the year 2011-12.

परिशिष्ठ - 'III'

व्यक्तिगत बीमा सम्बन्धी निष्पादन का विवरण

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	267151	7970276	48054	4505	4195	206424	386.28
2008-09	142621	524562	84591	2035	1669	243568	264.49
2009-10	144611	645329	65563	1985	1909	264037	462.21
2010-11	153210	700787	79853	2908	2732	388919	249.75
2011-12	121184	665993	137535	2858	2100	265132	150.00

ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	906	154748	5543	93	109	3761	47.29
2008-09	727	34385	463	57	51	510	112.00
2009-10	6863	46740	595	26	36	1342	111.72
2010-11	7242	49368	462	31	26	258	63.34
2011-12	12607	43331	429	25	22	288	63.79

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	6912	68182	5338	49	50	2190	32.33
2008-09	6836	1081850	16228	105	105	5237	32.72
2009-10	7219	1313010	23411	147	156	9364	42.69
2010-11	5963	1084565	30228	468	325	18834	68.16
2011-12	5275	723950	21717	495	320	17589	84.54

राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	344	10449	240	19	56	519	216.00
2008-09	449	947	47	15	12	276	535.55
2009-10	236	707	28	2	6	132	459.31
2010-11	3853	3905	113	-	-	-	-
2011-12	1413	1439	29	1	1	25	86.00

ANNEXURE - 'III'

DETAILS OF PERFORMANCE OF SOME OF THE PERSONAL LINE INSURANCE

JANATA PERSONAL ACCIDENT POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	267151	7970276	48054	4505	4195	206424	386.28
2008-09	142621	524562	84591	2035	1669	243568	264.49
2009-10	144611	645329	65563	1985	1909	264037	462.21
2010-11	153210	700787	79853	2908	2732	388919	249.75
2011-12	121184	665993	137535	2858	2100	265132	150.00

GRAMIN PERSONAL ACCIDENT POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	906	154748	5543	93	109	3761	47.29
2008-09	727	34385	463	57	51	510	112.00
2009-10	6863	46740	595	26	36	1342	111.72
2010-11	7242	49368	462	31	26	258	63.34
2011-12	12607	43331	429	25	22	288	63.79

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE FOR KISSAN CREDIT CARD HOLDERS : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	6912	68182	5338	49	50	2190	32.33
2008-09	6836	1081850	16228	105	105	5237	32.72
2009-10	7219	1313010	23411	147	156	9364	42.69
2010-11	5963	1084565	30228	468	325	18834	68.16
2011-12	5275	723950	21717	495	320	17589	84.54

RAJRAJESHWARI MAHILA KALYAN BIMA YOJANA : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	344	10449	240	19	56	519	216.00
2008-09	449	947	47	15	12	276	535.55
2009-10	236	707	28	2	6	132	459.31
2010-11	3853	3905	113	-	-	-	-
2011-12	1413	1439	29	1	1	25	86.00

भाग्यश्री शिशु कल्याण बीमा योजना : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	208	31000	14903	2	3	311	7.78
2008-09	444	105600	47115	1	1	25	0.05
2009-10	282	495	18497	2	2	1005	5.43
2010-11	555	740	1123	3	1	17	46.80
2011-12	139	129	120	-	-	-	-

जन आरोग्य पालिसी : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	5981	20032	2278	931	818	3712	167.52
2008-09	5170	7894	1381	556	516	2336	171.76
2009-10	4700	6873	14614	447	459	55867	388.00
2010-11	4389	6079	1110	363	339	14519	1203.63
2011-12	3646	5355	925	313	265	1083	123.41

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	35729	152184	28262	1170	785	2411	19.31
2008-09	87431	296652	47910	264	187	878	2.00
2009-10	95379	320535	129701	9253	9127	110976	80.00
2010-11	91511	302305	211173	16327	11161	173402	89.38
2011-12	62642	213914	194270	17194	12205	206402	111.17

मेडीक्लेम बीमा : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	763995	5542300	6699193	286056	237175	6683045	101.00
2008-09	801175	6515165	8018872	225692	203478	7287238	91.00
2009-10	865097	7034979	9015881	225872	232630	8771810	97.00
2010-11	943883	8534286	13089487	278031	244420	11911433	91.00
2011-12	1015372	10837079	16621403	296220	258487	15552633	93.72

BHAGYASHREE CHILD WELFARE BIMA YOJANA : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	208	31000	14903	2	3	311	7.78
2008-09	444	105600	47115	1	1	25	0.05
2009-10	282	495	18497	2	2	1005	5.43
2010-11	555	740	1123	3	1	17	46.80
2011-12	139	129	120	-	-	-	-

JAN AROGYA BIMA POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	5981	20032	2278	931	818	3712	167.52
2008-09	5170	7894	1381	556	516	2336	171.76
2009-10	4700	6873	14614	447	459	55867	388.00
2010-11	4389	6079	1110	363	339	14519	1203.63
2011-12	3646	5355	925	313	265	1083	123.41

UNIVERSAL HEALTH INSURANCE SCHEME : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	35729	152184	28262	1170	785	2411	19.31
2008-09	87431	296652	47910	264	187	878	2.00
2009-10	95379	320535	129701	9253	9127	110976	80.00
2010-11	91511	302305	211173	16327	11161	173402	89.38
2011-12	62642	213914	194270	17194	12205	206402	111.17

MEDICLAIM INSURANCE : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	763995	5542300	6699193	286056	237175	6683045	101.00
2008-09	801175	6515165	8018872	225692	203478	7287238	91.00
2009-10	865097	7034979	9015881	225872	232630	8771810	97.00
2010-11	943883	8534286	13089487	278031	244420	11911433	91.00
2011-12	1015372	10837079	16621403	296220	258487	15552633	93.72

विद्यार्थी मेडीक्लेम पॉलिसी : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	1946	5561	5748	116	56	1168	20.31
2008-09	2995	7242	11951	769	177	2696	20.00
2009-10	3149	5345	15588	486	485	8547	45.00
2010-11	3396	6107	23550	1377	490	11762	53.46
2011-12	4060	6454	25280	1403	447	10024	60.98

परिवार मेडीक्लेम पॉलिसी : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	22314	60802	139506	1491	695	125321	97.00
2008-09	51411	155674	346532	7965	2985	82554	23.82
2009-10	82900	252958	571255	10547	9442	344025	70.00
2010-11	115070	353990	810625	25620	16570	527437	66.39
2011-12	142836	440917	1040997	32931	21872	725367	75.48

वरिष्ठ मेडीक्लेम पॉलिसी : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	3177	3177	28612	432	159	3089	103.52
2008-09	11656	13819	99768	3765	745	23165	23.21
2009-10	16333	19510	135612	2340	2177	111021	50.00
2010-11	21359	25483	176134	8428	3599	100233	59.62
2011-12	26254	31382	217311	10075	4871	142359	65.22

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2009-10	18	8368751	358967	18135	14355	136271	50.00
2010-11	33	14111136	805357	135632	104017	580892	72.12
2011-12	38	15496416	944100	242149	208220	1277900	54.76

VIDYARTHI MEDICLAIM POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	1946	5561	5748	116	56	1168	20.31
2008-09	2995	7242	11951	769	177	2696	20.00
2009-10	3149	5345	15588	486	485	8547	45.00
2010-11	3396	6107	23550	1377	490	11762	53.46
2011-12	4060	6454	25280	1403	447	10024	60.98

PARIVAR MEDICLAIM POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	22314	60802	139506	1491	695	125321	97.00
2008-09	51411	155674	346532	7965	2985	82554	23.82
2009-10	82900	252958	571255	10547	9442	344025	70.00
2010-11	115070	353990	810625	25620	16570	527437	66.39
2011-12	142836	440917	1040997	32931	21872	725367	75.48

VARISTHA MEDICLAIM POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	3177	3177	28612	432	159	3089	103.52
2008-09	11656	13819	99768	3765	745	23165	23.21
2009-10	16333	19510	135612	2340	2177	111021	50.00
2010-11	21359	25483	176134	8428	3599	100233	59.62
2011-12	26254	31382	217311	10075	4871	142359	65.22

RASHTRIYA SWASTHYA BIMA POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2009-10	18	8368751	358967	18135	14355	136271	50.00
2010-11	33	14111136	805357	135632	104017	580892	72.12
2011-12	38	15496416	944100	242149	208220	1277900	54.76

स्वास्थ्य पालिसियाँ (अन्य) : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2009-10	230916	572782	545798	21237	20259	590481	196.00
2010-11	157965	488948	462695	19327	16243	287651	65.09
2011-12	124522	397690	548755	17878	14760	313409	59.00

पशु बीमा : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	157965	488948	462695	19327	16243	287651	65.09
2011-12	124522	397690	548755	17878	14760	313409	59.00

ग्रामीण बीमा व्यवसाय: **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	472933	2905214	782510	41078	33540	965213	99.83
2011-12	403473	3358273	904540	35811	28726	856670	88.48

माईक्रो बीमा पालिसी :

(अ) ग्रामीण स्वास्थ्य माईक्रो बीमा पालिसी **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	16100	46368	9362	3929	2883	16056	171.42
2011-12	14027	42536	9983	3801	2812	21130	214.94

(ब) ग्रामीण सुरक्षा माईक्रो बीमा पालिसी : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	3979	10913	24189	4619	3157	9997	51.25
2011-12	1640	4243	7268	2064	1404	8450	83.92

HEALTH POLICIES (OTHERS) : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2009-10	230916	572782	545798	21237	20259	590481	196.00
2010-11	246277	600033	698025	45037	27617	678760	97.24
2011-12	278411	695198	795195	53644	35885	935356	125.17

CATTLE INSURANCE POLICY: **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of lives covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	157965	488948	462695	19327	16243	287651	65.09
2011-12	124522	397690	548755	17878	14760	313409	59.00

RURAL INSURANCE BUSINESS : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	472933	2905214	782510	41078	33540	965213	99.83
2011-12	403473	3358273	904540	35811	28726	856670	88.48

MICRO INSURANCE POLICIES :

(a) Gramin Suswasthya Micro Insurance Policy **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	16100	46368	9362	3929	2883	16056	171.42
2011-12	14027	42536	9983	3801	2812	21130	214.94

(b) Gramin Suraksha Micro Insurance Policy : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	3979	10913	24189	4619	3157	9997	51.25
2011-12	1640	4243	7268	2064	1404	8450	83.92

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरणियों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार किया जाना) विनियमन, 2002 की अनुसूची ख के भाग IV की अपेक्षानुसार प्रबंधन रिपोर्ट

हम प्रमाणित करते हैं कि:-

1. साधारण बीमा व्यवसाय करने के लिए हमारी कम्पनी ने प्राधिकरण से पंजीकरण का नवीकरण करा लिया है; (पंजीकरण सं. 58 दिनांक 16.03.2012)
2. सांविधिक प्राधिकारियों को देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया गया;
3. वर्ष के दौरान शेयर धारण परिपाटी तथा शेयरों का अंतरण सांविधिक/विनियामक की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है;
4. भारत में जारी पालिसियों के धारकों की निधियां प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेशित नहीं की गई हैं;
5. आईआरडीए (बीमाकर्ता की सम्पत्ति, देयता और शोधन क्षमता) विनियम 2000 के अनुसार 31 मार्च 2012 को वांछित शोधन क्षमता कायम रखी गई है।
6. सभी परिसम्पत्तियों के मूल्यों की तुलनपत्र की तिथि को समीक्षा की गई है तथा हमारे विश्वास के अनुसार तुलन-पत्र में व्यक्त कई शीर्षों-ऋण, निवेश, एजेंट अधिशेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज, लाभांश तथा किराया लेकिन प्राप्य नहीं, बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों से प्राप्य राशि, विविध देनदार, प्राप्य बिल, नकद तथा अन्य लेखा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मदों के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अनधिक कुल राशि दर्शायी गई है;
7. हमारी कम्पनी को अनेक प्रकार के जोखिमों अर्थात महाविनाशकारी/दुर्घटनात्मक सामाजिक जोखिमों से खतरा है जिससे पोर्टफोलियो प्रभावित हो रहा है। तथापि इसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति तीन स्तरीय है। प्रथमतः हमने किसी एक दुर्घटना पर अपनी अधिकतम देयता को सीमित करने के लिए एक सुव्यवस्थित पुनर्बीमा कार्यक्रम बनाया है । प्रतिधारण को कम्पनी के शुद्ध मूल्य से संबद्ध किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार अग्नि विभाग में प्रतिधारण के सर्वोच्च स्तर को रखा गया है तथा व्यक्तिगत जोखिम के आधार पर व्यवसाय के अन्य वर्गों में इसे कम किया गया है। दूसरा, हमारा मुख्य रूझान गैर-मोटर बीमा बाजार के बड़े भाग की ओर है जो अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद है। तीसरा, संगठित क्षेत्र के व्यवसाय में अधिक बाजार भागीदारी हासिल करना।
8. नेपाल तथा हांगकांग में स्थित दो विदेशी शाखाओं में से नेपाल के बाजार में मुख्य खतरा सम्पत्ति बीमा के क्षेत्र में है तथा इस प्रकार के जोखिमों के लिए कम्पनी के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। हांगकांग शाखा के संबंध में न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ हुये समझौते के आधार पर समस्त सम्पत्ति एवं दायित्व के वर्तमान मूल्य के अनुसार शाखा प्रचालन को न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी को स्थानांतरित करना है। यह स्थानांतरण बीमा कंपनी के अध्यादेश (अध्याय 41) के खंड 25डी के अंतर्गत हांगकांग बीमा प्राधिकरण की स्वीकृति के अधीन है। अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
9. दावों का अवधिवार विवरण (सकल व्यवसाय पर) निम्नवत है। विवादित मामलों को छोड़कर, दावे उपयुक्त समयावधि में निपटाये जाते हैं ।
10. तुलनपत्र में दर्शाए गए के अनुसार सभी निवेश तथा स्टॉक को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में वर्णित ढंग से मूल्यांकित किया गया है (अनुसूची-16) अर्थात
    i) इक्विटी शेयर तथा म्यूचुअल फंड की यूनिटों के अलावा निवेश लागत पर वर्णित है तथा प्रत्याभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम की बाकी अवधि के लिए किश्त निर्धारित की गई है ।
    ii) इक्विटी शेयरों, जिनका बाजार में सक्रिय कारोबार होता है, में निवेश तथा म्युचुअल फंडों में यूनिटों को उचित मूल्य पर वर्णित किया गया है ।
    iii) ऐसे शेयर का, जिनका कारोबार कम होता है, लागत पर अथवा विघटित मूल्य पर, जो भी कम हो, मूल्यांकन होता है।
    iv) विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अधिग्रहण दरों पर किया जाता है।
    v) ऋण तथा ऋण-पत्रों के संबंध में गैर निष्पादित परिसम्पत्ति के प्रावधान के संबंध में, कम्पनी द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाया गया है।

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE `B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT OF INSURANCE COMPANIES) REGULATIONS, 2002

We certify that:

1. Renewal of Registration for carrying out the General Insurance Business of our Company has been obtained from the Authority (Registration No.58 dated 16.3.2012);
2. All dues payable during the year to the statutory authorities have been duly paid;
3. The shareholding pattern and transfer of shares effected during the year are in accordance with statutory/regulatory requirements;
4. The funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India;
5. The required solvency margins as at 31st March, 2012 as per IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 have been maintained;
6. The value of all the Assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in our belief the Assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value, under the several headings - "Loans", "Investments", "Agents' Balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other Persons or Bodies carrying on Insurance Business", "Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and items specified under "Other Accounts";
7. The Company is exposed to various kinds of risks i.e. catastrophic/accidental/social etc. However, the strategy adopted to mitigate the same is mainly threefold. Firstly, we have devised a well laid out re-insurance programme to arrest our maximum liability in any one eventuality. The retentions are linked to net worth of the Company. The highest level of retentions are maintained in Fire Department as per international practices and graded down in other classes of business on an individual risk. Secondly, our thrust area is to have greater share of non-motor insurance market which is comparatively more profitable. Thirdly, we are trying to acquire more market share in organised sector business.
8. Out of the offices in two foreign countries situated in Nepal and in Hong Kong, the exposure in Nepal is predominantly in property insurance area and the assumption of risks of this kind is mainly taken care of by the reinsurance programme of the Company. In respect of Hong Kong Branch, an agreement has been entered into with New India Assurance Co. Ltd. to transfer the branch's operation, Assets and Liabilities at their carrying values. This transfer is subject to approval by the Insurance Authority of Hong Kong in accordance with Section 25D of the Insurance Companies Ordinance (chapter 41). The approval has been obtained. The present arrangement would continue as a pure run-off operation and the run-off exercise will be over once the entire outstanding liability is fully paid-off.
9. The ageing of claims (on gross basis) is given below. Barring disputed cases, the claims are settled within a reasonable period of time.
10. All investments and stocks, as shown in the Balance Sheet, have been valued in the manner disclosed in Significant Accounting Policies (Schedule 16), i.e.
    - i) Investments other than Equity Shares and units of Mutual Funds are stated at cost and the premium paid on securities is amortised over the remaining period.
    - ii) Investments in Equity Shares that are actively traded in the market and the units of Mutual Funds are stated at fair value.
    - iii) Shares that are thinly traded are valued at lower of Cost or Break up value.
    - iv) Foreign Government securities are valued at the acquisition cost.
    - v) In respect of loans and debentures, prudential norms as prescribed by IRDA regarding provisioning have been followed by the Company.

11. परिसम्पत्ति की गुणवत्ता तथा निवेश पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन की समीक्षा :

(₹ हजार में)

विवरण	बही मूल्य	बाजार मूल्य	आय
शेयर	29583020	101200695	9713900
शेयरों के अलावा	77762697	77766471	6167532
कुल :	107345717	178967166	15881432

12. सभी निवेशों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और सम्पत्तियां बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विवेकपूर्ण नियमों के आधार पर निष्पादन योग्य और गैर निष्पादन योग्य के रूप में वर्गीकृत हैं।

13. हम पुष्टि करते हैं कि -

i) वित्तीय विवरण तैयार करने में मूलभूत परिवर्तन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों तथा नीतियों का पालन किया गया है ।

ii) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियां अपनाई हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की हानि तथा वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रचालन हानि का सही एवं वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन दिए हैं ।

iii) प्रबंधन द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करने के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4)/कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 के 1)/के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रखरखाव के लिए उपयुक्त तथा समुचित ध्यान रखा गया है ।

iv) प्रबंधन द्वारा गतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया हैं।

V) प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विद्यमान है तथा प्रभावी रूप से कार्यरत है।

14. हम पुष्टि करते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनियों तथा संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशकों का हित निहित हो ।

कृते नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(एन एस आर चन्द्रप्रसाद)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कैम्प, दिल्ली, 17 मई, 2012

अवधिवार दावा विवरण (सकल आधार पर) 2011-12

परिशिष्ट

(₹ हजार में)

	30 दिन	30 दिन से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष व अधिक	योग
अग्नि	949356	2383040	2099734	2060262	192748	7685140
(दावों की संख्या)	278	1270	862	680	203	3293
मरीन	586133	384416	711814	450712	268169	2401244
(दावों की संख्या)	290	1098	651	563	95	2697
विविध	4447950	6731189	4937871	14644092	8546446	39307548
(दावों की संख्या)	36643	113520	37024	94878	62444	344509
कुल	5983439	9498645	7749419	17155066	9007363	49393932
(दावों की संख्या)	37211	115888	38537	96121	62742	350499

11. Review of Assets quality and performance of Investment Portfolio :

(₹ In thousand)

Particulars	Book Value	Market Value	Income
Shares	29583020	101200695	9713900
Other than Shares	77762697	77766471	6167532
Total :	107345717	178967166	15881432

12. All investments are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Prudential norms.
13. We confirm that:
    i) in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
    ii) the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial year and of the operating profit of the Company for the year;
    iii) the management has taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 1956 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
    iv) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;
    v) the management has ensured that a n internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.
14. We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which the Directors of the Company are interested.

For and on behalf of National Insurance Company Limited

(N.S.R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director

Camp. Delhi, the 17th day of May, 2012

Ageing of Claims (on gross basis) 2011-12

Annexure

(₹ In thousand)

Segment	30 Days	30 days to 6 months	6 months to 1 Year	1 Year to 5 Years	5 Years and above	TOTAL
FIRE	949356	2383040	2099734	2060262	192748	7685140
(No. of Cases)	278	1270	862	680	203	3293
MARINE	586133	384416	711814	450712	268169	2401244
(No. of Cases)	290	1098	651	563	95	2697
MISCELLANEOUS	4447950	6731189	4937871	14644092	8546446	39307548
(No. of Cases)	36643	113520	37024	94878	62444	344509
TOTAL	5983439	9498645	7749419	17155066	9007363	49393932
(No. of Cases)	37211	115888	38537	96121	62742	350499

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के समायों हेतु लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

हमने नेशलन इन्श्योरेन्स कम्पनी का 31 मार्च 2012 का संलग्न तुलन-पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न अग्नि, समुद्री तथा विविध बीमा आय लेखा और लाभ तथा हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 24 क्षेत्रीय कार्यालयों और 336 मंडल कार्यालयों की लेखा परीक्षित विवरणियां एवं दो विदेशी शाखाओं के समुद्रपारीय लेखा परीक्षकों द्वारा स्थानीय कानूनों के अनुसार की गई लेखा परीक्षित विवरणियां शामिल है ।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानक नीतियों एवं बीमा अधिनियम 1938 तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अनुपालन में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबन्धन का है जो कम्पनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह को प्रदर्शित करता है । इस दायित्व में वित्तीय विवरण को बनाने तथा प्रदर्शित करने संबंधी डिजाइन, लागू करना तथा उनका रख-रखाव करने संबंधी नियंत्रण भी सम्मिलित है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक मिथ्याकथन नहीं है जो किसी फ्राड या भूल से हुआ हो ।

आडिटर का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रस्तुत करना है । चार्टड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी आडिट मानकों के अनुरूप हमने आडिट का लाभ संपन्न किया । उन मानदण्डों की अपेक्षा है कि हम अपने लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इन उद्देश्यों से करें कि हमें यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरणों में काई मिथ्याकथन नहीं है ।

आडिट के द्वारा वित्तीय विवरणों में निहित राशियों के साक्ष्य तथा निष्पादन प्रक्रिया की जाँच की जाती है । चयनित प्रक्रिया आडिटर के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरण में मिथ्याकथन संबंधी जोखिम का आंकलन होता है जो किसी फ्राड या भूल से हुई हो । उन जोखिमों का आंकलन करने में आडिटर कम्पनी के वित्तीय विवरण की प्रस्तुति में आडिट प्रक्रिया संबंधी कम्पनी का आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है । आडिट में प्रबन्धन द्वारा लेखा नीतियों की तथ्यकता तथा उनकी अनुमानित लेखा विवरण एवं वित्तीय विवरण के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है ।

हमारा विश्वास है कि आडिट साक्ष्य के रूप में हमें जो प्राप्त हुआ वह हमारे आडिट संबंधी विचार देने के लिए पर्याप्त है।

विचार

उपलब्ध सूचनाओं एवं हमारे मत के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनिरयम के अनुरूप सूचनाएँ प्रदान करता है तथा भारत में मान्य सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है ।

i) कम्पनी के 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र में प्रकरण में ।

ii) राजस्व लेखा के प्रकरण में अग्नि एवं मरीज बीमा व्यवसाय के संबंध में आधिक्य तथा विविध बीमा व्यवसाय के बंबंध में कमी (31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष)।

iii) लाभ एवं हानि के प्रकरण में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष पर लाभ विवरण ।

iv) नकदी प्रवाह विवरण के प्रकरण में वर्ष की समाप्ति पर नकदी प्रवाह ।

महत्वपूर्ण बिन्दु

हम निम्नलिखित बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं:

Auditors' Report To The Members of National Insurance Company Limited

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of National Insurance Company Limited ("the Company") which comprises Balance Sheet as at 31st March, 2012, the related Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Revenue Accounts, the statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the audited returns of 24 Regional Offices, 336 Divisional Offices audited by other auditors and also the statement of accounts of 2 Foreign Branches audited by overseas auditors under the applicable local laws.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Act, 1999 and in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act") to the extent applicable. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2012;

ii) in the case of the Revenue Accounts, of the surplus in Fire and Marine Insurance business and deficit in Miscellaneous Insurance business for the year ended 31st March 2012;

iii) in the case of the Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended 31st March 2012;

iv) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for year ended on that date;

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to -

1. अनुसूची 17 का नोट सं.12 के अनुसार वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के डिस्मेंटोल्ड मोटर तृतीय पक्ष बीमा पूल के संदर्भ में स्थगित ट्रॉजिशनल दायित्व के तहत बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा ₹9971578 हजार की बीमा कम्पनियों को दी गई जो लेखा के लागू प्रावधानों के आधार पर था। आदेश सं.आईआरडीए/एफ एण्ड ए/ओआरडी/ एमटीपीपी/ 070/03-2012 दिनांक 22.03.2012

2. अनुसूची 17 का नोट सं.15 के अनुसार सीएमएस बैंक ₹1184469 हजार के शेष मिलान के संबंध में ।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227(3) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इंश्योरेन्स कम्पनी का वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार करना) नियम, 2002 के अनुसार हमारी रिपोर्ट निम्नवत है :-

अ) हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी श्रेष्ठ ज्ञान एवं विज्ञानीय के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण हमने प्राप्त किया;

ब) हमारे विचार में संबंधित बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा नियमानुसार अपेक्षित समुचित लेखा बहियों रखी गई है;

स) हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त उचित विवरणी क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय तथा विदेशी शाखाओं से प्राप्त हुई है जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

द) इस प्रतिवेदन में शामिल कम्पनी का तुलन-पत्र, राजस्व लेखा लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों तथा विवरणियों से मेल खाती हैं इस संबंध में समेकित रिटर्न क्षेत्रीय कार्यालय तथा विदेशी शाखाओं से प्राप्त हुआ जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया;

य) हमारे विचार से वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए चयनित में संदर्भित लेखा सिद्धान्तों के साथ-कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) के लेखांकन मानकों और आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

र) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधान कम्पनी लॉ बोर्ड के सामान्य परिपत्र सं.8/ 2002 दिनांक 22.03.2002 के परिपेक्ष में कम्पनी के निदेशकों पर लागू नहीं है।

ल) चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 441ए के तहत उपकर की दर के भुगतान से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है और न ही ऐसी कोई नियमावली जारी की गई है जिसके तहत उपकर का भुगतान किया जाना है अतः कम्पनी द्वारा न तो कोई उपकर देय है और न ही कम्पनी पर बाकी है;

व) कम्पनी द्वारा नियुक्त एक्चुअरी द्वारा दावा उपगत किन्तु सूचित नही तथा दावा उपगत किन्तु अधिक सूचित नही के दायित्व के संबंध में चाटर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार जो कार्मिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, का बीमांककीय मूल्यांकन प्रमाणित किया गया है। उपलब्ध सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार नियुक्त एक्चुअरी द्वारा प्रमाणित यह मूलयांकन आईआरडीए, एक्चुरियल सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों के सापेक्ष हैं;

ह) निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए (बीमा कम्पनीयों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियम 2002 के प्रावधान के अनुसार हुआ है;

1. Note No. 12 of Schedule 17, which describes deferment of actuarially determined transitional liabilities in respect of dismantled Indian Motor Third Party Insurance Pool of the year 2010-11 & 2011-12 to the extent of ₹9971578 thousand pursuant to the exemption granted by the Insurance Regularity and Development Authority to the Indian insurance companies from application of the provisions of accrual basis of accounting vide its Order No. IRDA/F&A/ORD/MTPP/070/03-2012 dated 22.03.2012.
2. Note No. 15 of Schedule 17 regarding pendency of reconciliation/confirmation of balances of CMS banks to the extent of ₹1184469 thousand.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by section 227(3) of the Companies Act, 1956 and the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ("the Regulations") we report that:
   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
   b. In our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
   c. Proper returns and reports adequate for the purposes of our audit have been received from Regional Offices, Divisional Offices and Foreign Branches not visited by us;
   d. The Balance Sheet, Revenue Accounts, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and consolidated returns received from Regional Offices and Foreign Branches not visited by us;
   e. In our opinion, the Accounting Policies selected for preparation of the financial Statements dealt with by this report are in compliance with the applicable Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 and with the accounting principles, as prescribed in the Regulations or any order or direction issued by IRDA in this behalf.
   f. The provisions of section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Directors of the Company in view of Company Law Board General Circular No.8/2002 dated 22.03.2002.
   g. Since the Central Government has not issued any notification as to the rate at which the cess is to be paid under section 441A of the Companies Act, 1956 nor has it issued any Rules under the said section, prescribing the manner in which such cess is to be paid, no cess is due and payable by the Company.
   h. The actuarial valuation of liabilities in respect of "Claims Incurred but not Reported" including "Claims Incurred but not Enough Reported" and other liabilities as required for the purpose of ascertaining employee benefits in accordance with Accounting Standard - 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India are duly certified by the Company's appointed actuary and to the best of information and according to the explanations given to us the assumption considered by him for such valuation is in accordance with the guidelines and norms prescribed by IRDA and the Actuarial Society of India in concurrence with IRDA.
   i. Investments have been valued in accordance with the provisions of Insurance Act, 1938 and the provisions of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

2. विनियमन की आवश्यकतानुसार हम प्रमाणित करते हैं कि :

i) हमने प्रबन्धन रिपोर्ट की समीक्षा की ओर इसके वित्तीय विवरण में किसी प्रकार की भूल या तात्विक असंगति नहीं है ।

ii) कम्पनी ने प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के नियम एवं शर्तों का पालन किया है ।

iii) हमने नकदी और बैंक अधिशेष ऋणों से संबंधित निवेश और प्रतिभूतियों का वास्तवित निरीक्षण या प्रमाण-पत्र और या अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा सत्यापित किया है बशर्ते अनुसूची 17 की टिप्पणी सं.9 और 15 में वर्णित सीमा के अलावा ।

iv) कम्पनी ने किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में किसी प्रकार का निवेश/लेन-देन नहीं किया है ।

v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर पालिसी धाकों के कोष की संपत्ति का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसीधारकों के कोष के नियोजन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 (अद्यतन यथा संशोधित) प्रावधानों के उल्लंघन में नियोजित नहीं है।

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 302039E

(डॉ बी एस कुण्डू)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051221

एम. सी. भण्डारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303002E

(एम. आर. जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 050919

कैम्प. दिल्ली, 17 मई, 2012

2. As required by the Regulations we certify that;

   i) We have reviewed the Management Report and there is no apparent mistake or material inconsistency with the financial statements;

   ii) The Company has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Insurance Regulatory and Development Authority;

   iii) We have verified cash and bank balances, securities relating to loans, investments by actual inspection or by production of certificates and/or other documentary evidences except to the extent stated in Notes nos. 9 and 15 of schedule 17;

   iv) The Company has not undertaken any investment or transactions relating to any trust as trustee; and

   v) To the best of our information and according to the explanations given to us and on the basis of representations made by the Company, no part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' Fund.

FOR GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
FRN : 302039E

(Dr. B. S. Kundu)
Partner
Membership No. 051221

FOR M. C. BHANDARI & CO.
Chartered Accountants
FRN : 303002E

(M. R. Jain)
Partner
Membership No. 050919

Camp. Delhi, the 17th day of May 2012

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के लेखा पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी के अंतर्गत निर्धारित बीमा अधिनियम 1938 के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों एवं बीमा कम्पनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 एवं कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया के वृत्तिक निकाय द्वारा निर्धारित आडिटिंग एण्ड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है, पर अपने विचार प्रकट करने का उत्तर दायित्व है। ऐसा उनकी आडिट रिपोर्ट दिनांक 17 मई 2012 में पूरा करने का कथन किया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के एवज में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अधीन नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप में सांविधिक लेखा परीक्षक के सक्रिय कागजों की जाँच के बिना की गई है एवं मुख्यतया सांविधिक लेखा परीक्षक एवं कम्पनी के अधिकारियों से पूछ-ताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की जाँच तक ही सीमित है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है जो कि हमारे द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी पूरक कथन या टिप्पणी करने की आवश्यकता रही हो।

कृते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत

(यशोधरा राय चौधुरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
29 जुन, 2012

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

The preparation of financial statements of National Insurance Company Limited for the year ended 31st March 2012 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 17th May 2012.

I, on behalf of the Comptroller & Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of National Insurance Company Limited for the year ended 31st March 2012. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to the inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' Report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Yashodhara Ray Chaudhuri)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board - II
Kolkata

Place: Kolkata
Dated: the 29th of June, 2012

पंजीकरण सं.58 दिनांक 16 मार्च 2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा आय लेखा

	विवरण	अनुसूची	2011-2012	2010-2011
			(₹ '000)	(₹ '000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	5,260,606	4,268,144
2	निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		529,226	831,408
3	विनिमय लाभ		1,102	–
4	ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		572,375	485,427
	योग (क)		6,363,309	5,584,979
1	उपगत दावे (शुद्ध)	2	4,317,456	2,417,590
2	कमीशन	3	346,971	142,096
3	बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	1,415,245	1,442,372
4	विनिमय हानि		–	10,576
	योग (ख)		6,079,672	4,012,634
	अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ = (क-ख)		283,637	1,572,345
	विनियोजन			
	शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		283,637	1,572,345
	योग (ग)		283,637	1,572,345

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह अग्नि बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है ।

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार अग्नि बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णम: नामे किए गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
भास्कर सेन	निदेशक
अमिताभ कोठारी	निदेशक
ए. वी. गिरिजा कुमार	निदेशक
रीना माडिया	उप कम्पनी सचिव

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(डॉ बी एस कुण्डू)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051221

एम. सी. भंडारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. आर. जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 050919

कैम्प. दिल्ली, 17 मई, 2012

Registration no. 58 dated 16th March, 2012

Fire Revenue Account for the year ended 31st March, 2012

	Particulars	Schedule	2011-2012	2010-2011
			(₹ '000)	(₹ '000)
1	Premiums earned (Net)	1	**5,260,606**	4,268,144
2	Profit on sale/redemption of Investments (Net)		**529,226**	831,408
3	Exchange Gain		**1,102**	–
4	Interest, Dividend & Rent (Gross)		**572,375**	485,427
	Total (A)		**6,363,309**	**5,584,979**
1	Claims Incurred (Net)	2	**4,317,456**	2,417,590
2	Commission	3	**346,971**	142,096
3	Operating Expenses related to Insurance Business	4	**1,415,245**	1,442,372
4	Exchange Loss		–	10,576
	Total (B)		**6,079,672**	**4,012,634**
	Operating Profit from Fire Business = (A - B)		**283,637**	**1,572,345**
	APPROPRIATIONS			
	Transfer to Shareholders' Account		**283,637**	1,572,345
	Total (C)		**283,637**	**1,572,345**

This is the Fire Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2012 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the Fire Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Bhaskar Sen	Director
		Amitav Kothari	Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(M. R. Jain) Partner Membership No. 050919	A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 17th day of May 2012

पंजीकरण सं.58 दिनांक 16 मार्च 2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन बीमा आय लेखा

विवरण		अनुसूची	2011-2012 (₹ '000)	2010-2011 (₹ '000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	1,765,525	1,423,358
2	निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		239,423	327,396
3	विनिमय लाभ		622	-
4	ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		258,944	191,154
	योग (क)		2,264,514	1,941,908
1	उपगत दावे (शुद्ध)	2	1,364,073	1,126,630
2	कमीशन	3	124,214	119,037
3	बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	481,527	515,375
4	विनिमय हानि		-	6,127
	योग (ख)		1,969,814	1,767,169
	अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क-ख)		294,700	174,739
	विनियोजन			
	शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		294,700	174,739
	योग (ग)		294,700	174,739

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह मरीन बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है ।

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार मरीन बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णम: नामे किए गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
भास्कर सेन	निदेशक
अमिताभ कोठारी	निदेशक
ए. वी. गिरिजा कुमार	निदेशक
रीना माडिया	उप कम्पनी सचिव

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(डॉ. बी. एस. कुण्डू)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051221

एम. सी. भंडारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. आर. जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 050919

कैम्प. दिल्ली, 17 मई, 2012

Registration no. 58 dated 16th March, 2012

Marine Revenue Account for the year ended 31st March, 2012

	Particulars	Schedule	2011-2012	2010-2011
			(₹ '000)	(₹ '000)
1	Premiums earned (Net)	1	**1,765,525**	1,423,358
2	Profit on sale/redemption of Investments(Net)		**239,423**	327,396
3	Exchange Gain		**622**	-
4	Interest, Dividend & Rent (Gross)		**258,944**	191,154
	TOTAL (A)		**2,264,514**	**1,941,908**
1	Claims Incurred (Net)	2	**1,364,073**	1,126,630
2	Commission	3	**124,214**	119,037
3	Operating Expenses related to Insurance Business	4	**481,527**	515,375
4	Exchange Loss		**-**	6,127
	TOTAL (B)		**1,969,814**	**1,767,169**
	Operating Profit from Marine Business = (A - B)		**294,700**	**174,739**
	APPROPRIATIONS			
	Transfer to Shareholders' Account		**294,700**	174,739
	TOTAL (C)		**294,700**	**174,739**

This is the Marine Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2012 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Bhaskar Sen	Director
		Amitav Kothari	Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(M. R. Jain) Partner Membership No. 050919	A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 17th day of May 2012

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

पंजीकरण सं.58 दिनांक 16 मार्च 2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा आय लेखा

	विवरण	अनुसूची	2011-2012	2010-2011
			(₹ '000)	(₹ '000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	53,709,175	41,947,995
2	निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		6,052,083	7,992,934
3	विनिमय लाभ		44,910	-
4	ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		6,545,510	4,666,758
	योग (क)		66,351,678	54,607,687
1	उपगत दावे (शुद्ध)	2	47,459,116	42,688,546
2	कमीशन	3	3,142,630	2,293,290
3	बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	13,889,304	12,516,721
3A	मोटर व्यवसाय से संबंधित प्रशासनिक व्यय		2,052,352	1,548,611
4	विनिमय हानि		-	16,573
	योग (ख)		66,543,402	59,063,741
	अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क-ख)		-191,724	-4,456,054
	विनियोजन			
	शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		-191,724	-4,456,054
	योग (ग)		-191,724	-4,456,054

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह विविध बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है ।

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार विविध बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णमः नामे किए गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
भास्कर सेन	निदेशक
अमिताभ कोठारी	निदेशक
ए. वी. गिरिजा कुमार	निदेशक
रीना माडिया	उप कम्पनी सचिव

गुहा नंदी एण्ड कं.	एम. सी. भंडारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
(डॉ. बी. एस. कुण्डू)	(एम. आर. जैन)
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 051221	सदस्यता संख्या 050919

कैम्प, दिल्ली, 17 मई, 2012

Registration no. 58 dated 16th March, 2012

Miscellaneous Revenue Account for the year ended 31st March, 2012

	Particulars	Schedule	2011-2012	2010-2011
			(₹ '000)	(₹ '000)
1	Premiums earned (Net)	1	53,709,175	41,947,995
2	Profit on sale/redemption of Investments(Net)		6,052,083	7,992,934
3	Exchange Gain		44,910	-
4	Interest, Dividend & Rent (Gross)		6,545,510	4,666,758
	TOTAL (A)		66,351,678	54,607,687
1	Claims Incurred (Net)	2	47,459,116	42,688,546
2	Commission	3	3,142,630	2,293,290
3	Operating Expenses related to Insurance Business	4	13,889,304	12,516,721
3A	Administrative Expenses Related to Motor Business		2,052,352	1,548,611
4	Exchange Loss		-	16,573
	TOTAL (B)		66,543,402	59,063,741
	Operating Profit from Miscellaneous Business = (A - B)		-191,724	–4,456,054
	APPROPRIATIONS			
	Transfer to Shareholders' Account		-191,724	–4,456,054
	TOTAL (C)		-191,724	–4,456,054

This is the Miscellaneous Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2012 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

As required by Section 40C (2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the Miscellaneous Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Bhaskar Sen	Director
		Amitav Kothari	Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(M. R. Jain) Partner Membership No. 050919	A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 17th day of May 2012

पंजीकरण सं.58 दिनांक 16 मार्च 2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

	विवरण	2011 – 2012 (₹ '000)	2010 – 2011 (₹ '000)
1	**प्रचालन लाभ/(हानि)**	386,613	(2,708,970)
	अ) अग्नि	283,637	1,572,345
	(ब) समुद्री बीमा	294,700	174,739
	स) विविध बीमा	(191,724)	(4,456,054)
2	**निवेशों से आय**	2,919,279	3,706,324
	अ) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल	1,516,811	1,366,267
	ब) निवेशों की विक्री/पुनर्विमोचन से लाभ	1,424,354	2,352,868
	स) घटाएं: निवेशों की विक्री/पुनर्विमोचन से हानि	21,866	12,811
3	**अन्य आय**	879,362	71,633
	अ) अन्य सम्पत्ति की बिक्री से लाभ	-	3,241
	ब) विविध आय	56,276	68,392
	स) विनिमय लाभ	37,872	-
	द) दायित्व की आवश्यकता नहीं	785,214	-
	योग (क)	4,185,254	1,068,987
4	**प्रावधान (कराधान के अलावा)**	(1,280,000)	225,335
	अ) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए	(134,910)	(41,959)
	ब) संदिग्ध ऋणों के लिए	(1,145,090)	267,294
5	**अन्य व्यय**	2,154,640	89,679
	अ) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अलावा व्यय	31,780	31,784
	ब) निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन	48,211	48,250
	स) निवेश के मूल्यह्रास के संबंध में बट्टे खाते गयी राशि	22,341	4,559
	द) विनियम हानि	-	4,153
	य) बट्टे खाते परिसम्पत्ति	2,036,727	933
	र) सम्पत्ति बिक्री में हानि	13,644	-
	ल) प्रदत्त विदेशी आयकर	1,937	-
	व) निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	-	-
	योग (ख)	874,640	315,014

Registration no. 58 dated 16th March, 2012

Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2012

		Particulars	2011 – 2012 (₹ '000)	2010 – 2011 (₹ '000)
1		**OPERATING PROFIT/(LOSS)**	**386,613**	**(2,708,970)**
	(a)	Fire Insurance	**283,637**	1,572,345
	(b)	Marine Insurance	**294,700**	174,739
	(c)	Miscellaneous Insurance	**(191,724)**	(4,456,054)
2		**INCOME FROM INVESTMENTS**	**2,919,279**	**3,706,324**
	(a)	Interest, Dividend & Rent – Gross	**1,516,811**	1,366,267
	(b)	Profit on sale/redemption of investments	**1,424,354**	2,352,868
		Less: Loss on sale/redemption of investments	**21,886**	12,811
3		**OTHER INCOME**	**879,362**	**71,633**
	a)	Profit on sale of other Asset	**-**	3,241
	b)	Miscellaneous Income	**56,276**	68,392
	c)	Exchange Gain	**37,872**	-
	d)	Liabilities no longer required	**785,214**	-
		TOTAL (A)	**4,185,254**	**1,068,987**
4		**PROVISIONS (Other than taxation)**	**(1,280,000)**	**225,335**
	(a)	For diminution in the value of investments	**(134,910)**	(41,959)
	(b)	For doubtful debts	**(1,145,090)**	267,294
5		**OTHER EXPENSES**	**2,154,640**	**89,679**
	(a)	Expenses other than those related to Insurance Business	**31,780**	31,784
	(b)	Amortisation of Premium on Investments	**48,211**	48,250
	(c)	Amount written off in respect of depreciated Investments	**22,341**	4,559
	(d)	Exchange Loss	**-**	4,153
	(e)	Assets written off	**2,036,727**	933
	(f)	Loss on Sale on Asset	**13,644**	-
	(g)	Foreign Income tax paid	1,937	-
	(h)	Performance Linked Incentive	-	-
		TOTAL (B)	**874,640**	**315,014**

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

विवरण	2011 – 2012 (₹ '000)	2010 – 2011 (₹ '000)
कर पूर्व लाभ (क-ख)	**3,310,614**	753,973
कराधान के लिए प्रावधान		
चालू कर	**63,000**	7,500
आस्थगित कर	-	-
पूर्व वर्षों का कराधान समायोजन	**4,522**	2,401
कर पश्चात लाभ	**3,252,136**	**748,874**
निनियोजन		
(अ) प्रस्तावित लाभांश	-	-
(ब) लाभांश संवितरण कर	-	-
(स) सामान्य आरक्षित में अन्तरित	**3,252,136**	-
(द) असमाप्त जोखिमों के लिए कंटीजेंसी में अंतरण	-	748,874
	3,252,136	**748,874**

यह लाभ तथा हानि लेखा इसी दिनांक को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.	**एम. सी. भंडारी एण्ड कं.**	**एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद**	**अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक**
सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**	**भास्कर सेन**	**निदेशक**
		अमिताभ कोठारी	**निदेशक**
(डॉ. बी. एस. कुण्डू)	**(एम. आर. जैन)**	**ए. वी. गिरिजा कुमार**	**निदेशक**
भागीदार	**भागीदार**	**रीना माडिया**	**उप कम्पनी सचिव**
सदस्यता संख्या 051221	**सदस्यता संख्या 050919**		

कैम्प. दिल्ली, 17 मई, 2012

Particulars	2011 – 2012 (₹ '000)	2010 – 2011 (₹ '000)
PROFIT BEFORE TAX (A - B)	**3,310,614**	753,973
Provision for Taxation :		
Current Tax	**63,000**	7,500
Deferred Tax	**-**	-
Adjustment of Taxation for earlier years	**4,522**	2,401
PROFIT AFTER TAX	**3,252,136**	**748,874**
APPROPRIATIONS		
(a) Proposed dividend	**-**	-
(b) Dividend distribution tax	**-**	-
(c) Transfer to General Reserve	**3,252,136**	-
(d) Transfer to Contingency Reserve for Unexpired Risk	**-**	748,874
	3,252,136	**748,874**

This is the Profit and Loss Account referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Bhaskar Sen	Director
		Amitav Kothari	Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(M. R. Jain) Partner Membership No. 050919	A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 17th day of May 2012

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

पंजीकरण सं.58 दिनांक 16 मार्च 2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	2011 – 2012 (₹ '000)	2010 – 2011 (₹ '000)
निधियों को स्रोत			
शेयर पूंजी	5	1,000,000	1,000,000
आरक्षित तथा आधिक्य	6	18,830,000	15,577,864
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा		71,621,449	81,408,106
उधार	7	-	-
योग		91,451,449	97,985,970
निधियों के अनुप्रयोग			
निवेश	8	172,773,156	161,197,728
ऋण	9	2,511,872	3,423,676
स्थायी परिसम्पत्तियां	10	991,630	1,129,349
आस्थगित कर सम्पत्ति		-	-
वर्तमान परिसम्पत्तियां			
नगद तथा बैंक अतिशेष	11	11,487,385	7,896,348
अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां	12	11,318,574	20,298,454
उप-योग (क)		22,805,959	28,194,802
वर्तमान देयताएं	13	71,358,345	67,280,862
प्रावधान	14	36,515,581	29,002,400
उप-योग (ख)		107,873,926	96,283,262
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियां (ग)=(क-ख)		(85,067,967)	(68,088,460)
विविध खर्च	15	242,758	323,677
(बट्टे खाते डाले गए अथवा समायोजित नहीं की सीमा तक) योग			
योग		91,451,449	97,985,970
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	16		
लेखा पर टिप्पणियां	17		

यह-तुलन-पत्र इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.	**एम. सी. भंडारी एण्ड कं.**	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**	भास्कर सेन	निदेशक
		अमिताभ कोठारी	निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू)	**(एम. आर. जैन)**	ए. वी. गिरिजा कुमार	निदेशक
भागीदार	**भागीदार**	रीना माडिया	उप कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या 051221	**सदस्यता संख्या 050919**		

कैम्प. दिल्ली, 17 मई, 2012

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

Registration no. 58 dated 16th March, 2012

Balance Sheet as at 31st March, 2012

Particulars	Schedule	2011 – 2012 (₹ '000)	2010 – 2011 (₹ '000)
SOURCES OF FUNDS			
SHARE CAPITAL	5	**1,000,000**	1,000,000
RESERVES AND SURPLUS	6	**18,830,000**	15,577,864
FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		**71,621,449**	81,408,106
BORROWINGS	7	-	-
TOTAL		**91,451,449**	**97,985,970**
APPLICATION OF FUNDS			
INVESTMENTS	8	**172,773,156**	161,197,728
LOANS	9	**2,511,872**	3,423,676
FIXED ASSETS	10	**991,630**	1,129,349
DEFERRED TAX ASSET		**-**	-
CURRENT ASSETS :			
Cash and Bank Balances	11	**11,487,385**	7,896,348
Advances and Other Assets	12	**11,318,574**	20,298,454
Sub-Total (A)		**22,805,959**	**28,194,802**
CURRENT LIABILITIES	13	**71,358,345**	**67,280,862**
PROVISIONS	14	**36,515,581**	**29,002,400**
Sub-Total (B)		**107,873,926**	**96,283,262**
NET CURRENT ASSETS (C) = (A- B)		**(85,067,967)**	**(68,088,460)**
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	**242,758**	323,677
TOTAL		**91,451,449**	**97,985,970**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
NOTES ON ACCOUNTS	17		

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Bhaskar Sen	Director
		Amitav Kothari	Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(M. R. Jain) Partner Membership No. 050919	A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 17th day of May 2012

पंजीकरण सं.58 दिनांक 16 मार्च 2012

31 मार्च 2012 को नकदी प्रवाह विवरण

प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**2011-12 (₹ '000)**	**2010-11 (₹ '000)**
नकदी आवक :		
प्रीमियम सेवा कर सहित	52809987	41675147
बैंक गारंटी/जमा प्रीमियम रसीद	18775882	14413297
विविध देनदारों से वसूली	593129	149431
विविध प्राप्तियां (हस्तांतरण, डुप्लीकेट, पुराने मदों की बिक्री, पृष्ठांकन फीस आदि)	137996	40619
ऋण एवं अग्रिम पर नकद सवूली ब्याज सहित (गृह निर्माण ऋण के अतिरिक्त)	190453	414985
अन्य नकदी संग्रहण, यदि कोई हो	20079255	57724632
कुल नकदी आवक	**92586702**	**114418111**
नकदी जावक :		
दावों का भुगतान	30101854	19311877
कमीशन एवं ब्रोकरेज का सेवा कर सहित भुगतान	2755559	3228310
प्रबन्धन व्यय एवं व्ययों के लिए अग्रिम	4528388	3226135
वापसी/प्रीमियम आधिक्य का भुगतान	6935233	598450
वर्तमान एवं कटौतियों का भुगतान (वृत्तिक कर, आय कर आदि)	2238546	2941123
ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान (गृह निर्माण ऋण के अतिरिक्त)	369235	701506
सेवा समाप्ति पर देय भुगतान	436199	344235
अन्य भुगतान, यदि कोई हो	35789773	79152629
कुल नकदी जावक	**83154787**	**109504265**
(अ) प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**9431915**	**4913846**

Registration no. 58 dated 16th March, 2012

Cash Flow Statement as at 31st March, 2012

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	2011-12 (₹ '000)	2010-11 (₹ '000)
INFLOW :		
Premium including Service Tax	52809987	41675147
Bank Guarantee/Deposit Premium Receipts	18775882	14413297
Sundry Debtors Recovery	593129	149431
Misc Receipts (Transfer, Duplicate, Sale of old items, Endorsement fees etc.)	137996	40619
Cash recovery on loans & advances including interest (excepting HB Loan)	190453	414985
Other Cash collection, if any	20079255	57724632
Total Inflow	**92586702**	**114418111**
OUTFLOW:		
Claims paid	30101854	19311877
Commission & Brokerage paid including S.Tax	2755559	3228310
Mgt. Expenses & Advances for expenses	4528388	3226135
Refund/ Excess premium payments	6935233	598450
Payment of Salary and deductions (Professional Tax, Income Tax etc.)	2238546	2941123
Loans and advances paid (except HBL)	369235	701506
Payment of Terminal dues	436199	344235
Other payments, if any	35789773	79152629
Total Outflow	**83154787**	**109504265**
(A) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	**9431915**	**4913846**

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह

		2011-12 (₹ '000)	2010-11 (₹ '000)
नकदी आवक :			
परिसंपत्तियों की बिक्री		398565414	554883624
भवन निर्माण ऋण की वसूली		42635	71561
भवन निर्माण ऋण पर ब्याज		24512	11880
बैंक ब्याज		7010259	5947106
	कुल नकदी आवक	**405642820**	**560914171**
नकदी जावक : :			
परिसंपत्तियों की खरीद		411266250	561739915
भवन निर्माण ऋण का संवितरण		217447	93645
	कुल नकदी जावक	**411483697**	**561833560**
(ब) निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह		**-5840877**	**-919389**
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			
प्रदत्त लाभांश		0	-439784
लाभांश पर आय कर		0	-74741
(स) वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह		**0**	**-514525**
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि (अ+ब+स)		**3591038**	**3479932**
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष		**7896348**	**4416416**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष		**11487386**	**7896348**

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.	एम. सी. भंडारी एण्ड कं.	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	भास्कर सेन	निदेशक
		अमिताभ कोठारी	निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू)	(एम. आर. जैन)	ए. वी. गिरिजा कुमार	निदेशक
भागीदार	भागीदार	रीना भाडिया	उप कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या 051221	सदस्यता संख्या 050919		

कैम्प. दिल्ली, 17 मई, 2012

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

	2011-12 (₹ '000)	2010-11 (₹ '000)
INFLOW :		
Sale of Assets	398565414	554883624
Recovery of House Building Loan	42635	71561
Interest on House Building Loan	24512	11880
Bank Interest	7010259	5947106
Total Inflow	**405642820**	**560914171**
OUTFLOW :		
Purchase of Assets	411266250	561739915
Disbursement of House Building Loan	217447	93645
Total Outflow	**411483697**	**561833560**
(B) NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**-5840877**	**-919389**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Dividend Paid	0	-439784
Income Tax on Dividend	0	-74741
(C) NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES	**0**	**-514525**
Net Increase in Cash & Cash equivalent (A+B+C)	**3591038**	**3479932**
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year	**7896348**	**4416416**
Cash & Cash equivalents at the end of the year	**11487386**	**7896348**

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Bhaskar Sen	Director
		Amitav Kothari	Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(M. R. Jain) Partner Membership No. 050919	A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 17th day of May 2012

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

31 मार्च. 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	मरीन कार्गो		मरीन कार्गो के अलावा		कुल मरीन	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	1991604	1734196	1526322	1342209	3517926	3076405
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	11950	15140	136487	177252	148437	192392
घटाये:अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	502252	395587	1150803	1181462	1653055	1577049
शुद्ध प्रीमियम	1501302	1353749	512006	337999	2013308	1691748
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-73776	-92877	-174007	-175513	-247783	-268390
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1427526	1260872	337999	162486	1765525	1423358
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-सीधे	1112549	868178	79094	970627	1191643	1838805
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा	6757	4756	130440	158019	137197	162775
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	226879	189602	33205	904201	260084	1093803
शुद्ध प्रदत्त दावे	892427	683332	176329	224445	1068756	907777
जोड़े: वर्ष के अंत में बकाया दावे	1034939	1102065	945290	582847	1980229	1684912
घटाये: आरम्भ में बकाया दावे	1102065	1007132	582847	458927	1684912	1466059
कुल उपगत दावे	825301	778265	538772	348365	1364073	1126630
कमीशन						
प्रत्यक्ष प्रदत्त कमीशन	226226	195016	17716	15993	243942	211009
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	2045	1882	24626	32009	26671	33891
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	71702	64508	74697	61355	146399	125863
शुद्ध कमीशन	156569	132390	-32355	-13353	124214	119037

Segmental Report for the year ended 31st March, 2012

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MARINE CARGO		OTHER THAN MARINE CARGO		TOTAL MARINE	
	2011-12	2010-11	**2011-12**	2010-11	**2011-12**	2010-11
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	**1991604**	1734196	**1526322**	1342209	**3517926**	3076405
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	**11950**	15140	**136487**	177252	**148437**	192392
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	**502252**	395587	**1150803**	1181462	**1653055**	1577049
NET PREMIUM	**1501302**	1353749	**512006**	337999	**2013308**	1691748
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	**–73776**	–92877	**–174007**	–175513	**–247783**	–268390
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**1427526**	1260872	**337999**	162486	**1765525**	1423358
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	**1112549**	868178	**79094**	970627	**1191643**	1838805
ADD : R/I ACCEPTANCE	**6757**	4756	**130440**	158019	**137197**	162775
LESS : R/I CEDED	**226879**	189602	**33205**	904201	**260084**	1093803
NET CLAIMS PAID	**892427**	683332	**176329**	224445	**1068756**	907777
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	**1034939**	1102065	**945290**	582847	**1980229**	1684912
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	**1102065**	1007132	**582847**	458927	**1684912**	1466059
TOTAL CLAIMS INCURRED	**825301**	778265	**538772**	348365	**1364073**	1126630
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	**226226**	195016	**17716**	15993	**243942**	211009
ADD: R/I ACCEPTANCE	**2045**	1882	**24626**	32009	**26671**	33891
LESS: R/I CEDED	**71702**	64508	**74697**	61355	**146399**	125863
NET COMMISSION	**156569**	132390	**–32355**	–13353	**124214**	119037

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	मोटर निजी क्षति		मोटर तृतीय पक्ष		कुल मोटर	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	21470580	17747441	14797080	10002577	36267660	27750018
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	21685	2315	8779355	4636590	8801040	4638905
घटाये:अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2192677	1828602	8793242	5024724	10985919	6853326
शुद्ध प्रीमियम	19299588	15921154	14783193	9614443	34082781	25535597
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-1689219	-1925136	-2584377	-882807	-4273596	-2807943
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	17610369	13996018	12198816	8731636	29809185	22727654
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-सीधे	11595046	9752120	11165946	11156446	22760992	20908566
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	3699	7331	23937660	2415214	23941359	2422545
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	1178247	992754	13471161	3807990	14649408	4800744
शुद्ध प्रदत्त दावे	10420498	8766697	21632445	9763670	32052943	18530367
जोडे :वर्ष के अंत में बकाया दावे	4172482	3641592	25563595	32346576	29736077	35988168
घटाये:आरम्भ में बकाया दावे	3641592	2684544	32346576	25838660	35988168	28523204
कुल उपगत दावे	10951388	9723745	14849464	16271586	25800852	25995331
कमीशन						
प्रदत्त कमीशन	1275770	1354232	-7	-	1275763	1354232
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	8515	810	5155	2278	13670	3088
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	323445	267453	-5	-51	323440	267402
शुद्ध कमीशन	960840	1087589	5153	2329	965993	1089918

Segmental Report for the year ended 31st March, 2012

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MOTOR OWN DAMAGE		MOTOR THIRD PARTY		TOTAL MOTOR	
	2011-12	2010-11	**2011-12**	2010-11	**2011-12**	2010-11
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	**21470580**	17747441	**14797080**	10002577	**36267660**	27750018
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	**21685**	2315	**8779355**	4636590	**8801040**	4638905
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	**2192677**	1828602	**8793242**	5024724	**10985919**	6853326
NET PREMIUM	**19299588**	15921154	**14783193**	9614443	**34082781**	25535597
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	**-1689219**	–1925136	**-2584377**	–882807	**-4273596**	–2807943
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**17610369**	13996018	**12198816**	8731636	**29809185**	22727654
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	**11595046**	9752120	**11165946**	11156446	**22760992**	20908566
ADD : R/I ACCEPTANCE	**3699**	7331	**23937660**	2415214	**23941359**	2422545
LESS : R/I CEDED	**1178247**	992754	**13471161**	3807990	**14649408**	4800744
NET CLAIMS PAID	**10420498**	8766697	**21632445**	9763670	**32052943**	18530367
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	**4172482**	3641592	**25563595**	32346576	**29736077**	**35988168**
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	**3641592**	2684544	**32346576**	25838660	**35988168**	28523204
TOTAL CLAIMS INCURRED	**10951388**	9723745	**14849464**	16271586	**25800852**	25995331
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	**1275770**	1354232	**-7**	-	**1275763**	1354232
ADD: R/I ACCEPTANCE	**8515**	810	**5155**	2278	**13670**	3088
LESS: R/I CEDED	**323445**	267453	**–5**	–51	**323440**	267402
NET COMMISSION	**960840**	1087589	**5153**	2329	**965993**	1089918

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

31 मार्च. 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	नियोक्ता की देयता		जन देयता		इंजिनीयरिंग	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	656714	512464	317717	280915	3039194	2482461
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	656714	512464	317717	280915	3039194	2482461
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	65517	51147	38121	28083	1934308	1938856
शुद्ध प्रीमियम	591197	461317	279596	252832	1525337	863510
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-64941	-61598	-13382	-25969	-330914	-22487
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	526256	399719	266214	226863	1194423	841023
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-सीधे	134863	99915	21697	19899	698166	667123
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	-	-	-	-	208038	26315
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	14938	9410	2604	1990	368473	476680
शुद्ध प्रदत्त दावे	119925	90505	19093	17909	537731	216758
जोडे : वर्ष के अंत में बकाया दावे	291184	287082	289861	172554	1439638	1129769
घटाये : आरम्भ में बकाया दावे	287082	253274	172554	169289	1129769	921768
कुल उपगत दावे	124027	124313	136400	21174	847600	424759
कमीशन						
प्रत्यक्ष प्रदत्त कमीशन	60987	54349	37077	32182	172201	167832
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	-	-	-	-	132148	92648
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	-	5115	-	2808	381829	692444
शुद्ध कमीशन	60987	49234	37077	29374	-77480	-431964

Segmental Report for the year ended 31st March, 2012

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	EMPLOYERS' LIABILITY		PUBLIC LIABILITY		ENGINEERING	
	2011-12	2010-11	**2011-12**	2010-11	**2011-12**	2010-11
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	**656714**	512464	**317717**	280915	**3039194**	**2482461**
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	**656714**	512464	**317717**	280915	**3039194**	**2482461**
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	**65517**	51147	**38121**	28083	**1934308**	1938856
NET PREMIUM	**591197**	461317	**279596**	252832	**1525337**	863510
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	**–64941**	–61598	**–13382**	–25969	**–330914**	–22487
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**526256**	399719	**266214**	226863	**1194423**	841023
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	**134863**	99915	**21697**	19899	**698166**	667123
ADD : R/I ACCEPTANCE	**-**	-	**-**	-	**208038**	26315
LESS : R/I CEDED	**14938**	9410	**2604**	1990	**368473**	476680
NET CLAIMS PAID	**119925**	90505	**19093**	17909	**537731**	216758
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	**291184**	287082	**289861**	172554	**1439638**	1129769
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	**287082**	253274	**172554**	169289	**1129769**	921768
TOTAL CLAIMS INCURRED	**124027**	124313	**136400**	21174	**847600**	424759
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	**60987**	54349	**37077**	32182	**172201**	167832
ADD: R/I ACCEPTANCE	**-**	-	**-**	-	**132148**	92648
LESS: R/I CEDED	**-**	5115	**-**	2808	**381829**	692444
NET COMMISSION	**60987**	49234	**37077**	29374	**-77480**	–431964

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

31 मार्च. 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	उड्डयन		व्यक्तिगत दुर्घटना		स्वास्थ्य बीमा	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	452614	295542	1572259	1312255	20797743	16813954
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	97751	23212	-	-	-	-
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	505137	294759	173002	131245	1980798	1681291
शुद्ध प्रीमियम	45228	23995	1399257	1181010	18816945	15132663
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-10616	-14054	-109124	-124964	-2732600	-1821118
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	34612	9941	1290133	1056046	16084345	13311545
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-सीधे	640292	122267	887422	1117712	18077796	13633479
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	65333	11455	-	-	-	-
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	592787	150252	97608	111759	1819499	1363306
शुद्ध प्रदत्त दावे	112838	-16530	789814	1005953	16258297	12270173
जोडे : वर्ष के अंत में बकाया दावे	79737	99847	1176673	1376367	4890653	4267378
घटाये: आरम्भ में बकाया दावे	99847	144139	1376367	1697340	4267378	2491084
कुल उपगत दावे	92728	-60822	590120	684980	16881572	14046467
कमीशन						
प्रत्यक्ष प्रदत्त कमीशन	1280	2162	182175	167940	1604148	1499190
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	2719	2790	-	-	-	-
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	16006	5641	20	13124	-	158248
शुद्ध कमीशन	-12027	-689	182155	154816	1604148	1340942

Segmental Report for the year ended 31st March, 2012

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	AVIATION		PERSONAL ACCIDENT		HEALTH INSURANCE	
	2011-12	2010-11	**2011-12**	2010-11	**2011-12**	2010-11
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	**452614**	295542	**1572259**	1312255	**20797743**	16813954
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	**97751**	23212	**-**	-	**-**	-
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	**505137**	294759	**173002**	131245	**1980798**	1681291
NET PREMIUM	**45228**	23995	**1399257**	1181010	**18816945**	15132663
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	**-10616**	–14054	**-109124**	–124964	**-2732600**	–1821118
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**34612**	9941	**1290133**	1056046	**16084345**	13311545
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	**640292**	122267	**887422**	1117712	**18077796**	13633479
ADD : R/I ACCEPTANCE	**65333**	11455	**-**	-	**-**	-
LESS : R/I CEDED	**592787**	150252	**97608**	111759	**1819499**	1363306
NET CLAIMS PAID	**112838**	–16530	**789814**	1005953	**16258297**	12270173
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	**79737**	99847	**1176673**	1376367	**4890653**	4267378
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	**99847**	144139	**1376367**	1697340	**4267378**	2491084
TOTAL CLAIMS INCURRED	**92728**	–60822	**590120**	684980	**16881572**	14046467
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	**1260**	2162	**182175**	167940	**1604148**	1499190
ADD: R/I ACCEPTANCE	**2719**	2790	**-**	-	**-**	-
LESS: R/I CEDED	**16006**	5641	**20**	13124	**-**	158248
NET COMMISSION	**-12027**	–689	**182155**	154816	**1604148**	1340942

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

31 मार्च. 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	विविध अन्य		विविध योग	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)				
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	4687129	4155163	67791030	53602772
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1115129	590169	10434371	5572191
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	780493	759091	16463295	11737798
शुद्ध प्रीमियम	5021765	3986241	61762106	47437165
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-517763	-611037	-8052936	-5489170
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	4504002	3375204	53709170	41947995
उपगत दावे (शुद्ध)				
उपगत दावे - सीधे	2490740	2079709	45711988	38648670
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	371032	211120	24585762	2671435
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	436282	455425	17981599	7369566
शुद्ध प्रदत्त दावे	2425490	1835404	52316131	33950539
जोडे : वर्ष के अंत में बकाया दावे	2655932	2095604	40559755	45416769
घटाये:आरम्भ में बकाया दावे	2095604	2478664	45416769	36678762
कुल उपगत दावे	2985818	1452344	47459117	42688546
कमीशन				
प्रत्यक्ष प्रदत्त कमीशन	568988	100053	3902599	3377940
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	250268	128073	398805	226599
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	437479	166467	1158774	1311249
शुद्ध कमीशन	381777	61659	3142630	2293290

Segmental Report for the year ended 31st March, 2012

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MISCELLANEOUS OTHERS		MISCELLANEOUS TOTAL	
	2011-12	2010-11	**2011-12**	2010-11
PREMIUM EARNED (NET)				
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	**4687129**	4155163	**67791030**	53602772
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	**1115129**	590169	**10434371**	5572191
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	**780493**	759091	**16463295**	11737798
NET PREMIUM	**5021765**	3986241	**61762106**	47437165
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	**–517763**	–611037	**-8052936**	–5489170
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**4504002**	3375204	**53709170**	41947995
CLAIMS INCURRED (NET)				
CLAIMS PAID – DIRECT	**2490740**	2079709	**45711968**	38648670
ADD : R/I ACCEPTANCE	**371032**	211120	**24585762**	2671435
LESS : R/I CEDED	**436282**	455425	**17981599**	7369566
NET CLAIMS PAID	**2425490**	1835404	**52316131**	33950539
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	**2655932**	2095604	**40559755**	45416769
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	**2095604**	2478664	**45416769**	36678762
TOTAL CLAIMS INCURRED	**2985818**	1452344	**47459117**	42688546
COMMISSION				
COMMISSION PAID – DIRECT	**568988**	100053	**3902599**	3377940
ADD: R/I ACCEPTANCE	**250268**	128073	**398805**	226599
LESS: R/I CEDED	**437479**	166467	**1158774**	1311249
NET COMMISSION	**381777**	61659	**3142630**	2293290

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 अग्नि

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	6,848,032	5,772,500
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,229,901	1,081,780
घटाएं: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2,324,860	2,086,142
शुद्ध प्रीमियम	5,753,073	4,768,138
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	(492,467)	(499,994)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	5,260,606	4,268,144

अनुसूची - 2 अग्नि

उपगत दावे (शुद्ध)

विवरण	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	2,406,193	2,899,500
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	754,761	459,594
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	1,222,839	790,388
शुद्ध प्रदत्त दावे	1,938,115	2,568,706
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	5,962,927	3,583,586
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	3,583,586	3,734,702
कुल उपगत दावे	4,317,456	2,417,590

अनुसूची - 3 अग्नि

कमीशन

विवरण	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	418,830	345,393
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	233,585	205,029
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	305,444	408,326
शुद्ध कमीशन	346,971	142,096

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 FIRE

PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
Premium from direct business written	6,848,032	5,772,500
Add: Premium on reinsurance accepted	1,229,901	1,081,780
Less : Premium on reinsurance ceded	2,324,860	2,086,142
Net Premium	5,753,073	4,768,138
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(492,467)	(499,994)
Total Premium Earned (Net)	5,260,606	4,268,144

SCHEDULE – 2 FIRE

CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2011 - 2012	2010 – 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
Claims paid		
Direct	2,406,193	2,899,500
Add :Re-insurance accepted	754,761	459,594
Less :Re-insurance ceded	1,222,839	790,388
Net Claims paid	1,938,115	2,568,706
Add Claims Outstanding at the end of the year	5,962,927	3,583,586
Less Claims Outstanding at the beginning of the year	3,583,586	3,734,702
Total Claims Incurred	4,317,456	2,417,590

SCHEDULE- 3 FIRE

COMMISSION

Particulars	2011 - 2012	2010 – 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
Commission paid		
Direct	418,830	345,393
Add: Commission on Re-insurance accepted	233,585	205,029
Less: Commission on Re-insurance ceded	305,444	408,326
Net Commission	346,971	142,096

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 1 समुद्री
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	3,517,926	3,076,405
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	148,437	192,392
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,653,055	1,577,049
शुद्ध प्रीमियम	2,013,308	1,691,748
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	(247,783)	(268,390)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1,765,525	1,423,358

अनुसूची - 2 समुद्री
उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	1,191,643	1,838,805
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	137,197	162,775
घटाए : अर्पित पुनर्बीमा	260,084	1,093,803
शुद्ध प्रदत्त दावे	1,068,756	907,777
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	1,980,229	1,684,912
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	1,684,912	1,466,059
कुल उपगत दावा	1,364,073	1,126,630

अनुसूची - 3 समुद्री
कमीशन

विवरण	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	243,942	211,009
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	26,671	33,891
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	146,399	125,863
शुद्ध कमीशन	124,214	119,037

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 MARINE

PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2011 - 2012	2010 – 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
Premium from direct business written	3,517,926	3,076,405
Add: Premium on reinsurance accepted	148,437	192,392
Less : Premium on reinsurance ceded	1,653,055	1,577,049
Net Premium	2,013,308	1,691,748
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(247,783)	(268,390)
Total Premium Earned (Net)	1,765,525	1,423,358

SCHEDULE – 2 MARINE

CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2011 - 2012	2010 – 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
Claims paid		
Direct	1,191,643	1,838,805
Add :Re-insurance accepted	137,197	162,775
Less :Re-insurance ceded	260,084	1,093,803
Net Claims paid	1,068,756	907,777
Add Claims Outstanding at the end of the year	1,980,229	1,684,912
Less Claims Outstanding at the beginning	1,684,912	1,466,059
Total Claims Incurred	1,364,073	1,126,630

SCHEDULE- 3 MARINE

COMMISSION

Particulars	2011 - 2012	2010 – 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
Commission paid		
Direct	243,942	211,009
Add: Commission on Re-insurance accepted	26,671	33,891
Less: Commission on Re-insurance ceded	146,399	125,863
Net Commission	124,214	119,037

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 1 विविध
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	67,791,030	53,602,772
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	10,434,371	5,572,191
घटाएं: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	16,463,295	11,737,798
शुद्ध प्रीमियम	61,762,106	47,437,165
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	8,052,931	5,489,170
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	53,709,175	41,947,995

अनुसूची – 2 विविध
उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	45,711,967	38,648,670
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	24,585,762	2,671,435
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	17,981,599	7,369,566
शुद्ध प्रदत्त दावे	52,316,130	33,950,539
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	40,559,755	45,416,769
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	45,416,769	36,678,762
कुल उपगत दावा	47,459,116	42,688,546

अनुसूची - 3 विविध
कमीशन

विवरण	2011 - 2012	2010 - 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	3,902,599	3,377,940
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	398,805	226,59
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	1,158,774	1,311,249
शुद्ध कमीशन	3,142,630	2,293,290

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 MISCELLANEOUS
PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2011 - 2012	2010 – 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
Premium from direct business written	**67,791,030**	53,602,772
Add: Premium on reinsurance accepted	**10,434,371**	5,572,191
Less : Premium on reinsurance ceded	**16,463,295**	11,737,798
Net Premium	**61,762,106**	47,437,165
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	**8,052,931**	5,489,170
Total Premium Earned (Net)	**53,709,175**	41,947,995

SCHEDULE – 2 MISCELLANEOUS
CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2011 - 2012	2010 – 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
Claims paid		
Direct	**45,711,967**	38,648,670
Add :Re-insurance accepted	**24,585,762**	2,671,435
Less :Re-insurance ceded	**17,981,599**	7,369,566
Net Claims paid	**52,316,130**	33,950,539
Add: Claims Outstanding at the end of the year	**40,559,755**	45,416,769
Less: Claims Outstanding at the beginning	**45,416,769**	36,678,762
Total Claims Incurred	**47,459,116**	42,688,546

SCHEDULE- 3 MISCELLANEOUS
COMMISSION

Particulars	2011 - 2012	2010 – 2011
	(₹ '000)	(₹ '000)
Commission paid		
Direct	**3,902,599**	3,377,940
Add: Commission on Re-insurance accepted	**398,805**	226,599
Less: Commission on Re-insurance ceded	**1,158,774**	1,311,249
Net Commission	**3,142,630**	2,293,290

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 4

बीमा व्यवसाय से सम्बंधित प्रचालन व्यय

	विवरण	2011 – 2012 (₹ '000)	2010 – 2011 (₹ '000)
1.	कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं कल्याण सुविधाएं	10,618,948	10,763,763
2.	यात्रा, परिवहन तथा वाहन चालन व्यय	419,875	346,579
3.	प्रशिक्षण खर्च	17,581	16,943
4.	किराया, दर एवं कर	508,774	442,309
5.	मरम्मत	35,629	33,034
6.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	207,359	185,995
7.	सम्प्रेषण	146,874	130,129
8.	विधिक एवं पेशेवर शुल्क	106,437	73,243
9.	लेखा परीक्षकों का शुल्क, खर्च आदि		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में	21,415	19,831
	(ख) निम्नलिखित के सम्बंध में सलाहकार अथवा किसी अन्य रूप में	-	-
	(i) कराधान के मामलों में	-	-
	(ii) बीमा के मामलों में	-	-
	(iii) प्रबन्धन सेवा के मामलों में, एवं	-	-
	(ग) किसी अन्य रूप में	-	-
10.	विज्ञापन तथा प्रचार	98,927	80,490
11.	ब्याज एवं बैंक प्रभार	103,929	43,838
12.	अन्य	2,821,186	1,825,320
13.	मूल्यह्रास	679,142	512,995
	कुल	15,786,076	14,474,469
	निम्न को आबंटित :		
	अग्नि	1,415,245	1,442,372
	समुद्री	481,527	515,375
	विविध	13,889,304	12,516,722
	योग	15,786,076	14,474,469

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 4

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

	Particulars	2011 - 2012 (₹ '000)	2010 – 2011 (₹ '000)
1.	Employees' remuneration & welfare benefits	**10,618,948**	10,763,763
2.	Travel, conveyance and vehicle running expenses	**419,875**	346,579
3.	Training expenses	**17,581**	16,943
4.	Rents, rates & taxes	**508,774**	442,309
5.	Repairs	**35,629**	33,034
6.	Printing & stationery	**207,359**	185,995
7.	Communication	**146,874**	130,129
8.	Legal & professional charges	**106,437**	73,243
9.	Auditors' fees, expenses etc		
	(a) as auditor	**21,415**	19,831
	(b) as adviser or in any other capacity, in respect of	-	-
	(i) Taxation matters	-	-
	(ii) Insurance matters	-	-
	(iii) Management services; and	-	-
	(c) in any other capacity	-	-
10.	Advertisement and publicity	**98,927**	80,490
11.	Interest & Bank Charges	**103,929**	43,838
12.	Others	**2,821,186**	1,825,320
13.	Depreciation	**679,142**	512,995
	TOTAL	**15,786,076**	14,474,469
	Allocated to :-		
	Fire	**1,415,245**	1,442,372
	Marine	**481,527**	515,375
	Miscellaneous	**13,889,304**	12,516,722
	TOTAL	**15,786,076**	14,474,469

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 5

शेयर पूंजी

	विवरण	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2011 को (₹ '000)
1	प्राधिकृत पूंजी ₹10 प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	2,000,000	2,000,000
2	निर्गत अभिदत्त तथा चुकता ₹10 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (इसमें शामिल है ₹10 प्रति के सामान्य आरक्षित तथा शेयर प्रीमियम के पूंजीकरण द्वारा पूर्णतः चुकता बोनस शेयर के रूप में 9,70,96,955 इक्विटी शेयर)	1,000,000	1,000,000
	कुल	1,000,000	1,000,000

अनुसूची - 5क

शेयर पूंजी

शेयर धारण की परिपाटी

शेयरधारक	31.03.2012 को		31.03.2011 को	
	शेयरों की संख्या	% धारण	शेयरों की संख्या	% धारण
प्रोत्साहक				
• भारत	100,000,000	100%	100,000,000	100%
• विदेशी	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
कुल	100,000,000		100,000,000	

अनुसूची – 6

आरक्षित तथा अधिशेष

	विवरण	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2011 को (₹ '000)
1	सामान्य आरक्षित			
	पिछले वर्ष का अतिशेष		14,814,563	14,814,563
	लाभ हानि खाते से स्थानान्तरित		3,252,136	–
	असमाप्त जोखिम के लिए आकस्मिक रिजर्व से स्थानान्तरित		748,874	–
			18,815,573	14,814,563
2	असमाप्त जोखिम के लिए आकस्मिक जोखिम			
	पिछले वर्ष का अतिशेष	748,874	–	748,874
	सामान्य रिजर्व में अंतरित	748,874	–	–
3	निवेश आरक्षित		9,610	9,610
4	विनिमय आरक्षित		4,817	4,817
	कुल		18,830,000	15,577,864

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 5

SHARE CAPITAL

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
1	Authorised Capital 20,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	**2,000,000**	2,000,000
2	Issued, Subscribed and Paid-up 10,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each (include 9,70,96,955 Equity Shares of ₹10 each as fully paid-up Bonus Shares by capitalisation of General Reserve and Share Premium)	**1,000,000**	1,000,000
	TOTAL	**1,000,000**	1,000,000

SCHEDULE – 5A

SHARE CAPITAL

PATTERN OF SHAREHOLDING

Shareholder	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
Promoters				
● India	**100,000,000**	**100%**	100,000,000	100%
● Foreign	-	-	-	-
Others	-	-	-	-
TOTAL	**100,000,000**		100,000,000	

SCHEDULE – 6

RESERVES AND SURPLUS

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
1	General Reserves			
	Balance as per last account		**14,814,563**	14,814,563
	Transfer from Profit and Loss Account		**3,252,136**	–
	Transfer from Contingency Reserve for Unexpired Risk		**748,874**	–
			18,815,573	**14,814,563**
2	Contingency Reserve for Unexpired Risk			
	Balance as per last account	**748,874**	**–**	748,874
	Transfer to General Reserve	**748,874**	**–**	**–**
3	Investment Reserve		**9,610**	9,610
4	Exchange Reserve		**4,817**	4,817
	TOTAL		**18,830,000**	**15,577,864**

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 7

उधार

	विवरण	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2011 को (₹ '000)
1	ऋणपत्र/बंधपत्र	–	–
2	बैंक	–	–
3	वित्तीय संस्थाएं	–	–
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
	कुल	–	–

अनुसूची – 8

निवेश

	विवरण	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2011 को (₹ '000)
दीर्घकालिक निवेश			
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र (नीचे नोट देखें)	33,712,790	28,606,324
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	278,727	278,727
3	अन्य निवेश		
	क) शेयर		
	(कक) इक्विटी	101,198,807	103,613,705
	(खख) अधिमान	38,236	88,153
	(ख) म्युचुअल फंड		
	(ग) ऋणपत्र/बंधपत्र	12,523,537	8,549,275
	(घ) स्व सहायक और वेंच्योर पूँजी	52,679	32,804
	(च) निवेश सम्पत्तियाँ - भूसंपत्ति	5,755	5,961
4	ढांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	15,901,541	11,260,720
5	अनुमोदित निवेश के अलावा	109,849	156,265
अल्पकालिक निवेश			
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र	2,061,097	1,371,870
2	अन्य निवेश		
	(क) म्युचुअल फंड	5,177,774	1,349,390
	(ख) ऋणपत्र/बंधपत्र	956,950	378,181
	(ग) अन्य प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक कागज)	-	3,976,226
3	ढांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	474,927	1,276,460
4	अनुमोदित निवेश के अलावा	280,487	253,667
	कुल	172,773,156	161,197,728

नोट : (i) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुसरण में भा.रि.बैं. में जमा ₹100486 हजार शामिल है (विगत वर्ष ₹100560 हजार)

(ii) निष्क्रिय ऋणपत्र के लिए ₹264369 हजार (वि.व.₹270233 हजार) के प्रावधान को बैड और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत अनुसूची 14 में शामिल किया गया है ।

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE - 7

BORROWINGS

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
1	Debentures/ Bonds	**NIL**	NIL
2	Banks	**NIL**	NIL
3	Financial Institutions	**NIL**	NIL
4	Others (to be specified)	**NIL**	NIL
	TOTAL	**NIL**	NIL

SCHEDULE –8
INVESTMENTS

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
LONG TERM INVESTMENTS			
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills (See note (i) below)	**33,712,790**	28,606,324
2	Other Approved Securities	**278,727**	278,727
3	Other Investments		
	(a) Shares		
	(aa) Equity	**101,198,807**	103,613,705
	(bb) Preference	**38,236**	88,153
	(b) Mutual Funds		
	(c) Debentures/ Bonds [See note (ii) below]	**12,523,537**	8,549,275
	(d) Auto Ancillary and Venture Capital	**52,679**	32,804
	(e) Investment Properties-Real Estate	**5,755**	5,961
4	Investments in Infrastructure and Social Sector [See note (ii) below]	**15,901,541**	11,260,720
5	Other than Approved Investments	**109,849**	156,265
SHORT TERM INVESTMENTS			
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	**2,061,097**	1,371,870
2	Other Investments		
	(a) Mutual Funds	**5,177,774**	1,349,390
	(b) Debentures/ Bonds	**956,950**	378,181
	(c) Other securities (Commercial Paper)	-	3,976,226
3	Investments in Infrastructure and Social Sector	**474,927**	1,276,460
4	Other than Approved Investments	**280,487**	253,667
	TOTAL	**172,773,156**	161,197,728

Notes: (i) Includes ₹100486 thousand (Previous year ₹100560 thousand) deposited with RBI In persuant to Section 7 of Insurance Act, 1938.

(ii) Provision of ₹264369 thousand (Previous year ₹270233 thousand) against non-performing debentures is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 9

ऋण

	विवरण	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2011 को (₹ '000)
1	**प्रतिभूति-वार वर्गीकरण**		
	सुरक्षित	2,087,377	2,802,823
	(क) सम्पत्ति के बन्धक पर		
	(कक) भारत में	613,558	850,983
	(खख) भारत से बाहर	-	-
	(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	(ग) अन्य - गृह ऋण	1,473,819	1,951,840
	असुरक्षित	424,495	620,853
	कुल	2,511,872	3,423,676
2	**ऋणी-वार वर्गीकरण**		
	(क) केन्द्र तथा राज्य सरकार	337,065	389,075
	(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान	1,500	15,182
	(ग) अनुषंगियां	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	678,849	938,274
	(च) अन्य	1,494,458	2,081,145
	कुल	2,511,872	3,423,676
3	**निष्पादन-वार वर्गीकरण**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(कक) भारत में	2,136,917	2,839,207
	(खख) भारत से बाहर	-	-
	(ख) निष्क्रिय ऋण से प्रावधान घटाकर		
	(कक) भारत में *	374,955	584,469
	(खख) भारत से बाहर	-	-
	कुल	2,511,872	3,423,676
4	**परिपक्वता-वार विवरण**		
	(क) अल्पकालिक	2,866	106,913
	(ख) दीर्घकालिक	2,509,006	3,316,763
	कुल	2,511,872	3,423,676

* **नोट :** निष्क्रिय ऋणपत्र के लिए ₹355625 हजार (वि.व.₹374549 हजार) के प्रावधान को बैड और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत अनुसूची 14 में शामिल किया गया है ।

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE - 9

LOANS

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
1	SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
	Secured	**2,087,377**	2,802,823
	(a) On mortgage of property		
	(aa) In India	**613,558**	850,983
	(bb) Outside India	-	-
	(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities	-	-
	(c) Others - HBL	**1,473,819**	1,951,840
	Unsecured	**424,495**	620,853
	TOTAL	**2,511,872**	3,423,676
2	BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Central and State Governments	**337,065**	389,075
	(b) Banks and Financial Institutions	**1,500**	15,182
	(c) Subsidiaries	-	-
	(d) Industrial Undertakings	**678,849**	938,274
	(e) Others	**1,494,458**	2,081,145
	TOTAL	**2,511,872**	3,423,676
3	PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Loans classified as standard		
	(aa) In India	**2,136,917**	2,839,207
	(bb) Outside India	-	-
	(b) Non-performing loans less provisions		
	(aa) In India *	**374,955**	584,469
	(bb) Outside India	**-**	-
	TOTAL	**2,511,872**	3,423,676
4	MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Short Term	**2,866**	106,913
	(b) Long Term	**2,509,006**	3,316,763
	TOTAL	**2,511,872**	3,423,676

* Note : Provision of ₹355625 thousand (Previous year ₹374549 thousand) against non-performing loans is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची-10
31 मार्च 2012 को स्थायी सम्पत्ति

(₹ '000)

विवरण	लागत/सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	1.04.2011 को आरम्भ	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान कमी	को समाप्त 31.03.2012	31.03.11 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31.03.12 तक	31.03.12 को	31.03.11 को
साख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अदृश्य	1,010,941	60,200	-	1,071,141	717,632	302,923	-	1,020,555	50,586	293,309
जमीन मुक्त	6,532	-	-	6,532	-	-	-	-	6,532	6,532
पत धारित सम्पत्ति	4,415	-	-	4,415	511	73	-	584	3,831	3,904
भवन	33,116	1,792	-	332,953	136,590	11,363	-	147,953	185,000	194,571
फर्नीचर व फीटिंग	262,208	25,052	6,839	280,421	228,541	9,160	-822	236,879	43,542	33,667
सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	2,782,290	313,835	80,588	3,015,537	2,483,003	266,636	-3,389	2,746,250	269,287	299,287
वाहन	404,672	327,611	168,495	563,788	247,216	73,681	-98,264	222,633	341,155	157,456
कार्यालय उपकरण	170,643	10,092	5,299	175,436	145,745	4,639	-798	149,586	25,850	24,898
अन्य *	294,860	21,457	11,240	305,077	232,274	10,666	-1961	240,979	64,098	62,586
कुल	5,267,723	760,040	272,462	5,755,301	4,191,513	679,142	-105,233	4,765,420	989,882	1,076,209
प्रगति में पूंजीगत कार्य वातानुकुल यंत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	53,140	268	51,660	1,748	-	-	-	-	1,748	53,140
कुल योग	5,320,863	760,308	324,122	5,757,049	4,191,513	679,142	-105,233	4,765,420	991,630	1,129,349
विगत वर्ष	5,087,732	393,526	160,395	5,320,863	3,430,941	825,402	-64,830	4,191,513	1,129,349	-

*अन्य में शामिल है बिजली के उपकरण, एयरकंडीशनर, जेनरेटर तथा साइकिल

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

SCHEDULE FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 10

FIXED ASSETS AS AT 31ST MARCH, 2012

(₹ '000)

Particulars	Cost/ Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Opening as at 01.04.2011	Additions during the year	Reductions during the year	Closing as on 31.03.2012	Upto 31.03.2011	For the Year	On Sales/ Adjust-ments	As on 31.03.2012	As at 31.03.2012	As at 31.03.2011
Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangibles (software)	1,010,941	60,200	-	1,071,141	717,632	302,923	-	1,020,555	50,586	293,309
Land-Freehold	6,532	-	-	6,532	-	-	-	-	6,532	6,532
Leasehold Property	4,415	-	-	4,415	511	73	-	584	3,831	3,904
Buildings	33,116	1,792	-	332,953	136,590	11,363	-	147,953	185,000	194,571
Furniture & Fittings	262,208	25,052	6,839	280,421	228,541	9,160	-822	236,879	43,542	33,667
Information Technology Equipment	2,782,290	313,835	80,588	3,015,537	2,483,003	266,636	-3,389	2,746,250	269,287	299,287
Vehicles	404,672	327,611	168,495	563,788	247,216	73,681	-98,264	222,633	341,155	157,456
Office Equipment	170,643	10,092	5,299	175,436	145,745	4,639	-798	149,586	25,850	24,898
Others *	294,860	21,457	11,240	305,077	232,274	10,666	-1961	240,979	64,098	62,586
TOTAL	5,267,723	760,040	272,462	5,755,301	4,191,513	679,142	-105,233	4,765,420	989,882	1,076,209
Capital Work in progress - A.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others	53,140	268	51,660	1,748	-	-	-	-	1,748	53,140
Grand Total	5,320,863	760,308	324,122	5,757,049	4,191,513	679,142	-105,233	4,765,420	991,630	1,129,349
PREVIOUS YEAR	5,087,732	393,526	160,395	5,320,863	3,430,941	825,402	-64,830	4,191,513	1,129,349	-

**** Others include Electrical Equipments, Airconditioner, Generator and Cycle.***

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 11

नकद तथा बैंक अतिशेष

	विवरण	31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
1	नकद (चैक, ड्राफ्ट तथा स्टाम्प सहित)	202,971	267,153
2	बैंक अतिशेष		
	(क) जमा लेखा		
	(कक) अल्पकालिक (12 महीनों के अंदर देय)	6,582,729	4,815,603
	(ख) चालू खाता	4,689,565	2,045,253
3	मांग पर तथा अल्प सूचना पर धन		
	(क) बैंक में	-	-
	(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
4	पारवहन में जमा	12,120	768,339
	कुल	11,487,385	7,896,348
	उपर्युक्त 2 तथा 3 में शामिल हैं गैर अनुसूचित बैंकों में (नेपाल शाखा में) अतिशेष	-	-

नोट : सेबी के परिपत्र संख्या एमआरडी/डीओपी/एसजी/परि.-07/2005 दिनांक 23 फरवरी 2005 के अनुसार एनएसई/बीएसई इक्विटी ट्रांजेक्शन के लिए मार्जिन मनी के रूप में ₹1,20,000 हजार (₹1,20,000) रखा गया ।

अनुसूची – 12

अग्रिम तथा अन्य संपत्तियां

	विवरण	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2011 को (₹ '000)
	अग्रिम		
1	अर्पित कम्पनियों में आरक्षित जमा	88,233	88,511
2	निवेश के लिए आवेदन राशि	-	-
3	अग्रिम प्रदत्त कर तथा स्रोत पर काटे गए कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)	1,264,783	990,182
4	अग्रिम, जमा तथा पूर्व प्रदत्त खर्च	969,607	898,078
	कुल (क)	2,332,623	1,976,771
	अन्य सम्पत्तियां		
1	निवेशों पर प्रोद्भूत आय	2,330,768	1,743,757
2	बकाया प्रीमियम	5,711	5,371
3	एजेंटों का अतिशेष	17,273	15,124
4	बीमा व्यवसाय कर रहे अन्य संस्थानों से (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) प्राप्य	2,077,098	12,233,873
5	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)	-	-
6	अन्य -(ब्याज, लाभांश तथा बकाया किराया देनदार तथा वाहन ऋण सहित)	44,70,878	4,323,558
7	अंतर-कार्यालय	84,223	-
	कुल (ख)	8,985,951	18,321,683
	कुल (क) +(ख)	11,318,574	20,298,454

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE- 11

CASH AND BANK BALANCES

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
1	Cash (including cheques, drafts and stamps)	**202,971**	267,153
2	Bank Balances		
	(a) Deposit Accounts		
	(aa) Short-term (due within 12 months) [note below]	**6,582,729**	4,815,603
	(b) Current Accounts	**4,689,565**	2,045,253
3	Money at Call and Short Notice		
	(a) With Banks	-	-
	(b) With other Institutions	-	-
4	Remittances in Transit	**12,120**	768,339
	TOTAL	**11,487,385**	7,896,348
Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above (at Nepal Branch)		-	-

Note - Includes ₹120000 thousand (₹120000 thousand) kept as margin money for NSE/BSE equity transactions as per SEBI circular no. MRD/DoP/SE/Cir-07/2005 dated 23rd February 2005.

SCHEDULE – 12

ADVANCES AND OTHER ASSETS

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
ADVANCES			
1	Reserve deposits with ceding companies	**98,233**	88,511
2	Application money for investments	-	-
3	Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	**1,264,783**	990,182
4	Advance,Deposits & Pre-paid Expenses	**969,607**	898,078
	TOTAL (A)	**2,332,623**	1,976,771
OTHER ASSETS			
1	Income accrued on investments	**2,330,768**	1,743,757
2	Outstanding Premiums	**5,711**	5,371
3	Agents' Balances	**17,273**	15,124
4	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	**2,077,098**	12,233,873
5	Deposit with Reserve Bank of India [Pursuant to section 7 of Insurance Act,1938]	-	-
6	Others (Interest,Dividend, Rent Outstanding, Debtors and Vehicle Loan)	**44,70,878**	4,323,558
7	Inter Office	84,223	-
	TOTAL (B)	**8,985,951**	18,321,683
	TOTAL (A+B)	**11,318,574**	20,298,454

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 13

वर्तमान देयताएं

	विवरण	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2011 को (₹ '000)
1	एजेंटों के अतिशेष	630,613	509,353
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय अतिशेष	9,117,249	5,478,725
3	अर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमा	13,316	12,975
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम	949,763	5,82,854
5	विविध लेनदार	11,700,402	9,638,607
6	पुराने शेयरधारकों को देय	292	292
7	बकाया दावे	48,502,910	50,685,267
8	अन्य - (अदावी लाभांश)	-	-
9	पॉलिसी होलडर्स की अदावी राशि	443,800	361,798
10	अंतरकार्यालय	-	10,991
	कुल	71,358,345	67,280,862

अनुसूची – 14

प्रावधान

	विवरण	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2011 को (₹ '000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित	35,020,247	26,227,065
2	प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	-
3	लाभांश संवितरण कर के लिए	-	-
4	संदिग्ध ऋणों के लिए	1.495,334	2,775,335
	कुल	36,515,581	29,002,400

अनुसूची – 15

विविध खर्च

(जो बट्टे खाते या समायोजित न किए गए हों)

	विवरण	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2012 को (₹ '000)	31.03.2011 को (₹ '000)
1	जारी किए गए शेयर/ऋणपत्र पर अनुमत छूट	-	-	-
2	आस्थगित राजस्व खर्च	-	-	-
	अनुग्रही राशि 2010-11		404,596	404,596
			404,596	404,596
	घटायें : 31 मार्च 2011 तक संविभाजित	80,919	-	-
	घटायें : वर्ष के दौरान संविभाजित	80,919	161,838	80,919
	वर्ष के अंत में शेष		242,758	323,677

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
SCHEDULE - 13
CURRENT LIABILITIES

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
1	Agents' Balances	**630,613**	509,353
2	Balances due to other insurance companies	**9,117,249**	5,478,725
3	Deposits held on re-insurance ceded	**13,316**	12,975
4	Premiums received in advance	**949,763**	5,82,854
5	Sundry creditors	**11,700,402**	9,638,607
6	Due to former share holders	**292**	292
7	Claims Outstanding	**48,502,910**	50,685,267
8	Others - (Unclaimed Dividend)	-	-
9	Unclaimed Amount of policy holders	**443,800**	361,798
10	Inter office	**-**	10,991
	TOTAL	**71,358,345**	67,280,862

SCHEDULE – 14
PROVISIONS

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
1	Reserve for Unexpired Risk	**35,020,247**	26,227,065
2	For proposed dividends	**-**	-
3	For dividend distribution tax	**-**	-
4	For doubtful debts	**1.495,334**	2,775,335
	TOTAL	**36,515,581**	29,002,400

SCHEDULE – 15
MISCELLANEOUS EXPENDITURE
(To the extent not written off or adjusted)

	Particulars	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)	As at 31.03.2011 (₹ '000)
1	Discount Allowed in issue of shares/ debentures	-	**-**	-
2	Deferred Revenue Expendiiture	-	**-**	-
	Gratuity Expenses of 2010-11		**404,596**	404,596
			404,596	404,596
	Less: Amortised till 31.03.2011	80,919	**-**	-
	Less: Amortised during the year	80,919	**161,838**	80,919
	BALANCE AT THE END OF THE YEAR		**242,758**	323,677

अनुसूची-16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन परम्परा

1.1 तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा और आय लेखा कम्पनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1) एवं (1ए) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं । उक्त विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किये गये हैं और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तैयार करा) विनियम, 2002 की प्रयोजनीयता सीमा तक अनुरूप है और अन्यथा वर्णित को छोड़कर भारत में साधारण बीमा उद्योग में लागू सांविधिक प्रावधानों और व्यवहार के अनुरूप है ।

1.2 वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इस्टीमेंट एवं पूर्वानुमान, जहाँ आवश्यक रहा, ततकाल बनाया गया। लेखा इस्टीमेट में किसी प्रकार के संशोधन को भविष्य के सापेक्ष मे लिया गया।

1.3 अन्यथा नीचे वर्णित के अलावा आय एवं व्यय को संभूति के आधार पर लिया गया।

2. पुनर्बीमा:

2.1 विदेशी बीमा कम्पनियों से 31 मार्च तक प्राप्त आवक विवरणी तथा भारतीय बीमा कम्पनियों से वर्तमान वर्ष की तृतीय तिमाही तक तथा पिछले वित्तीय वर्ष की चतुर्थ तिमाही तक के रिटर्न को लेखा में शामिल किया गया है ।

2.2 प्रचालन कार्यालयों से प्राप्त सलाह/विवरणी के आधार पर पुनर्बीमा अर्पण किया जाता है जहां कहीं वास्तविक/पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है वहां पुनर्बीमा अर्पण, पुनर्बीमा विभाग में उपलब्ध जानकारी पर आधारित प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है ।

2.3 प्रत्येक तिमाही में विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा आय लेन देन तिमाही के आरंभ की विनिमय दर भारतीय साधारण बीमा निगम की सलाह के अनुसार परिवर्तित किए जाते हैं।

2.4 विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा की सभी परिसम्पत्तियां और देयताएं वर्ष की अंतिम तारीख की विनिमय दर भारतीय साधारण बीमा निगम की सलाह के अनुसार परिवर्तित की जाती हैं।

2.5 विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

3. विदेशी शाखा लेखा:

3.1 विदेशी शाखाएं विदेशी प्रचालन का अभिन्न अंग हैं।कम्पनी की विदेशी शाखाओं में विदेशी मुद्रा में धारित स्थायी परिसम्पत्तियों और निवेशों की लागत को अधिग्रहण वर्ष के अंत में विद्यमान दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.2 उपर्युक्त 3.1 में वर्णित के अलावा परिसम्पत्तियों तथा विदेशी शाखाओं की देयताओं को वर्ष के अंत की विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है ।

3.3 विदेशी शाखाओं से सम्बंधित आय, लेन देन को प्रत्येक तिमाही के आरंभ में विद्यमान औसत विनिमय दर पर वर्ष के अंत में परिवर्तित किया जाता है।

3.4 विदेशी शाखाओं, 3.1 में वर्णित के अलावा के लेन देन पर विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

Schedule 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION :

1.1 The Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Revenue Accounts are drawn up in accordance with the provisions of Section 11 (1) & (1A) of the Insurance Act, 1938, read with the relevant provisions of the Companies Act, 1956. The said statements are prepared on historical cost convention and comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 1956 to the extent applicable and conform to the statutory provisions, applicable accounting standard and practices prevailing in the general insurance industry in India except as otherwise stated.

1.2 For preparation of the financial statements, estimates and assumptions wherever necessary are made on prudent and reasonable basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively.

1.3 Income and expenditure are accounted on accrual basis except otherwise stated.

2. RE-INSURANCE :

2.1 Inward returns from foreign insurance companies received upto 31st March and returns from Indian companies received upto 3rd quarter of the current year and 4th quarter of the previous year are incorporated in the accounts.

2.2 Re-insurance cessions is done on the basis and to the extent of advice/returns including amendments/supplements received from operating offices. Wherever full particulars are not available, cession is done on the basis of information available with the re-insurance department.

2.3 Revenue transactions of each quarter in foreign currencies are converted as per the rates of exchange for such quarter as advised by General Insurance Corporation of India (GIC).

2.4 Assets and liabilities in foreign currencies at the end of the year are converted at the rates of exchange prevailing on that date as advised by GIC.

2.5 Exchange gain/loss on conversion of revenue transactions, assets and liabilities in foreign currencies are accounted for as revenue.

3. FOREIGN BRANCH ACCOUNTS :

3.1 Foreign branches are treated as integral foreign operations. The cost of fixed assets held in foreign currencies at the company's foreign branches are converted at the exchange rates prevalent at the end of the year of acquisition.

3.2 Assets, other than those mentioned in 3.1 above, and liabilities of the foreign branches are converted at the rates of exchange at the year-end.

3.3 Revenue transactions relating to foreign branches are converted at the year end at the average of the rates of exchange prevailing at the beginning of each quarter.

3.4 Exchange gain/loss on conversion of revenue transactions, assets and liabilities of the foreign branches other than those mentioned in 3.1 above are accounted for as revenue.

4. **बकाया दावे:**

4.1 बकाया दावों के लिए प्राक्कलित देयता का प्रावधान निम्नवत है:

(अ) भारत में प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त सूचना के आधार पर,

(ब) बीमा कम्पनियों/ऐजेंटों द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में निर्धारित तिथि तक दी गई सूचना के आधार पर,

(स) समर्थन में सूचना सलाह के अभाव में चालू रूझान और विगत बीमा लेखन अनुभव के आधार पर प्राक्कलन करके प्रावधान किया जाता है।

4.2 बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपगत किन्तु सूचित नहीं दावों का प्रावधान किया जाता है ।

4.3 जहाँ कम्पनी की देयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पालिसी विवरणों के बगैर कम्पनी को न्यायालय के सम्मन भेजे गये हैं, उन मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में विवरण रहित दावों के अनुमानित मूल्य की एक तिहाई सीमा तक का प्रावधान तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े दावों के लिए, वर्तमान पद्धति के अनुसार, पूरा प्रावधान किया जाता है ।

5. **असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित :**

5.1 जोखिम अपनाने के पश्चात प्रीमियम एक आय के रूप में हो जाती है क्योंकि जोखिम पद्धति समय बीतने के साथ संबंधित नहीं है । असमाप्त जोखिम की राशि नेट प्रीमियम का एक हिस्सा होती है जिसे भावी लेखा अवधि में, बीमा अधिनियम 1938 के द्वारा निर्धारित दर जो आईआरडीए के द्वारा अनुमत छूट के अधीन है, दर्शाया जाता है ।

5.2 प्रीमियम में कमी के लिए रिजर्व की गणना, जहाँ अनुमानित दावा लागत, संबंधित व्यय तथा रख-रखाव लागत संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक होती है ।

6. **ऋण और निवेश :**

6.1 निवेश की लागत में दलाली, शेयर हस्तांतरण स्टाम्प, शुल्क आदि शामिल हैं। म्युचुअल फंड निवेशों को छोड़कर प्राप्त प्रोत्साहन को लागत से घटा दिया जाता है ।

6.2 निवेशों का मूल्यांकन आई.आर.डी.ए. विनियमों के अनुसार हैं जो निम्नवत हैं:-

अ) **ऋण प्रतिभूति** : सरकारी प्रतिभूतियां और पुनर्विमोचन योग्य अधिमान शेयर सहित ऋण प्रतिभूतियों को परिपक्वता के लिए धारित प्रतिभूति के रूप में माना जाता है और ऐतिहासिक लागत पर इन्हें मापा जाता है तथा प्रदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की बाकी अवधि में किश्त बद्ध किया जाता है ।

ऋण प्रतिभूतियों के लिए ऋण परिशोधन का आधार; जहाँ केस वैल्यू बंक वैल्यू से कम है, हानि को शेष बची अवधि में समान रूप से विस्तारित किया जाता है ।

ब) **इक्विटी प्रतिभूतियां जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार होता है :** सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियाँ, जिनका व्यापार सक्रिय बाजारों में होता है, तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। उचित मूल्य की गणना करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचैंज (एनएसई) या बम्बई स्टॉक एक्सचैंज (बीएसई) में अंतिम उद्धृत न्यूनतम क्लोजिंग मूल्य पर किया जाता है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक के अधीन इक्विटी में लिया गया है।

सूचीबद्ध एवं एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर के प्रकरण में पूँजी को ह्रास में तब माना जाता है जब किसी

4. OUTSTANDING CLAIMS :

4.1 Estimated liability for outstanding claims is computed as follows:

(a) in respect of direct business in India on the basis of claim intimations received upto the year end,

(b) in respect of re-insurance business as intimated by insurance companies/agents upto cut off date.

(c) wherever supporting information is not available, provisions are estimated on current trends and past underwriting experience.

4.2 Provisions for claims 'Incurred But Not Reported' (IBNR) are made on the basis of actuarial valuation.

4.3 Provisions in respect of motor third party claims, where court summons have been served on the company without adequate policy particulars, are made to the extent of 1/3rd of the estimated value of such unidentified claims and for claims remaining unidentified over one year, full provision is made, in accordance with the existing practice

5. RESERVE FOR UNEXPIRED RISK :

5.1 Premium is recognized as income on assumption of risk since risk pattern is not related to the passage of time. Reserves for unexpired risk is created as the amount representing that part of the net premium written which is attributable to, and to be allocated to the succeeding accounting periods at the rate prescribed in the Insurance Act, 1938 subject to relaxation allowed by IRDA.

5.2 Reserve for premium deficiency is calculated where the sum of expected claims costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium.

6. LOANS AND INVESTMENTS :

6.1 Cost of investments includes brokerage, share transfer stamps, fees etc. Incentives received are deducted from cost.

6.2 Investments are valued as per IRDA Regulations as follows:

(a) **Debt Securities:** Debt securities including Government securities and Redeemable Preference shares are considered as "held to maturity" securities and are measured at historical cost and the premium paid is amortized over the residual period of maturity.

The basis of the amortization for Debt Securities, where face value is less than book value, is that the loss (PV less FV) is spread uniformly over the residual years.

(b) **Equity Securities traded in active markets:** Listed equity shares which are traded in active markets are measured at Fair Value as at the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of fair value, the market price of the actively traded securities is taken at the lower of the last quoted closing price at the National Stock Exchange (NSE) or Bombay Stock Exchange (BSE). Unrealised gain/loss arising due to changes in the fair value of listed and actively traded equity shares is taken to equity under the head "Fair Value Change Account".

In the case of listed and actively traded equity shares, capital is considered to be impaired

प्रतिभूति विशेष का विघटित मूल्य उपलद्ध मूल्य इसके अंकित मूल्य से कम हो या वर्तमान विघटित उपलब्ध न हो । इस उद्देश्य के लिए विघटित मूल्य का निर्धारण नवीनतम तुलन-पत्र, जो मूल्यांकन तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक नहीं होनी चाहिए, किया जाता है ।

स) गैर सूचीबद्ध और सक्रिय व्यवसाय इक्विटी को छोड़कर प्रतिभूतियां मूल्यह्रास के अध्यधीन ऐतिहासिक लागत पर मापी गयी हैं:-

जहां विघटन मूल्य कम है वहाँ अधिग्रहण लागत और विघटन मूल्य में अन्तर की रशि के बराबर का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन हेतु नवीनतम तुलन-पत्र के आधार पर विघटन मूल्य ज्ञात होता है जिसे मुल्यांकन की तिथि से 1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। जहाँ विघटन मूल्य ऋणात्मक है वहाँ अधिग्रहण मूल्य और नाममात्र मूल्य ₹1/- प्रति कम्पनी के बीच के अन्तर का प्रावधान होगा।

गैर सूचीबद्ध और एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर को छोड़कर इस प्रकरण में पूँजी ह्रास तब माना जाता है जब किसी प्रतिभूति विशेष का विघटित मूल्य इसके अंकित मूल्य से कम हो जाय।

जहाँ पूंजी में ह्रास हुआ हो और लगातार तीन वर्षों से वार्षिक लेखा उपलब्ध न हो वहां इक्विटी शेयर को धनात्मक विघटन मूल्य तक अवलिखित किया जाता है नहीं तो नाममात्र मूल्य ₹1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

द) **अधिमान शेयर**: ऐसी कम्पनियों के अधिमान शेयर में निवेश का मूल्यांकन प्रीमियम परिशोधन के अधीन, यदि कोई हो, होता है। अधिमान शेयर में ह्रास उस समय होता है जब कंपनियां पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों में हानि उठा रही हों या ज़िनकी पूंजी आंशिक/पूर्णतया ह्रास में हों या जिनका पूर्ववर्ती तीन वर्षों का वार्षिक लेखा उपलब्ध नहीं हो। ह्रास के प्रकरण में मूल्यांकन निम्नवत होता है:

i) यदि किसी कम्पनी के इक्विटी शेयर का सक्रिय कारोबार है तो इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के अनुपात में होता है।

ii) यदि किसी कम्पनी का इक्विटी शेयर सूचीबद्ध नहीं है या इसका कम कारोबार है, इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और विघटित मूल्य के अनुपात में होता हैं। जहाँ इक्विटी शेयरों का विघटन मूल्य ऋणात्मक है या जहाँ मूल्यांकन की तिथि के 1 वर्ष पूर्व की नवीनतम तुलन-पत्र पर उपलब्ध नहीं है वहाँ अधिमान शेयर नाममात्र मूल्य ₹1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है ।

य) **ऋण व ऋण पत्र**: (ऋण पत्र सहित) मूल्यह्रास प्रावधान के अध्यधीन ऐतिहासिक लागत पर मापे गये हैं। मूल्यह्रास प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों के लिए लागू समय समय पर जारी तय दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

आय मान्यता, निष्क्रिय सम्पत्तियों के लिए प्रावधान आदि के संबंध में भा रि बैंक द्वारा निर्धारित ऋणों और ऋण-पत्रों के लिए विवेकपूर्ण नियमों का कम्पनी द्वारा पालन होता है। तथापि प्रावधान करने के प्रयोजन से प्रतिभूति का मूल्य कैपिटलाइन के पास उपलब्ध नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार परिसम्पत्ति संरक्षण अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है।

if the break-up value of a particular security is less than its face value or where the current break-up value is not available. For this purpose the break-up value is arrived at as per the latest Balance Sheet, which should not be more than 1 (one) year prior to the date of valuation. When capital is impaired and there is three years' history of continuous loss or if the published annual accounts are not available for the last three years, equity shares are written down to their market value.

(c) **Unlisted and other than actively traded Equity Securities:** These are measured at historical cost subject to impairment.

Provision is made equivalent to the amount of difference in acquisition cost and the break-up value of the share wherever break-up value is less. For this purpose the break-up value is arrived at as per the latest Balance Sheet, which should not be more than 1 (one) year prior to the date of valuation. When the break-up value is negative, provision shall be the difference between the acquisition cost and a nominal value of ₹1/- per company.

In the case of unlisted and other than actively traded equity shares also capital is considered to be impaired if the break-up value of share is less than its face value or where the current break-up value is not available. .

When capital is impaired and there is three years' history of continuous loss or if the annual accounts are not available for the last three years, such equity shares are written down to the break-up value where break-up value is positive otherwise to a nominal value of ₹1/- per company.

(d) **Preference Shares:** Investment in Preference Shares is valued at cost subject to amortization of premium, if any. Impairment in Preference Shares is recognized where the companies are making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is eroded or where the annual accounts for three immediately preceding years are not available. In case of impairment it is valued as under:

i) If the equity shares of the company are actively traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the market value of the equity share bears to its face value.

ii) If the equity shares of the company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the break up value of equity share bears to its face value. Where the break up value of equity shares is negative or where the latest published annual accounts is not available one year prior to the date of valuation, the preference shares are written down to a nominal value of ₹1/- per company.

(e) **Loans and Debentures:** Loans (including Debentures) are measured at historical cost subject to impairment provision. The impairment provision is done on the basis of guidelines prescribed by IRDA.

Prudential norms for loans and debentures, as prescribed by IRDA regarding recognition of income, provisioning for non-performing assets etc., are followed by the Company. However, the value of security for the purpose of provisioning is ascertained based on asset coverage ratio as per latest available published annual accounts with `Capitaline'.

र) अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखत जैसे जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक दस्तावेज, जिन्हें सहमत दर पर संविदा के समय घटाया जाता है, का लेखांकन उनके घटाए गए मूल्य पर होता है।

ल) निवेश ह्रास का आंकलन तुलन पत्र की तिथि पर किया जाता है तथा लाभ एवं हानि को लेखा में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

6.3. अ) लाभांश घोषित होनेवाले वर्ष में ही लेखांकित किए जाते हैं चाहे उसी वर्ष में प्राप्त नहीं हों ।

ब) जहाँ कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक में लाभांश घोषित होता है किन्तु बाद में ऐसे लाभांश का मिलना संदिग्ध हो जाता है वहाँ संदिग्ध ऋणों, निवेशों और उधार के लिए प्रावधान शीर्षक से समुचित राशि का प्रावधान किया जाता है।

स) जो शेयर कम्पनी के नाम में अंतरित नहीं हुआ है उनका लाभांश वसूली होने पर लेखांकित होता है।

6.4. जहाँ शेयरों/ऋणपत्रों की खरीद की संविदा बनायी जाय किन्तु शेयर/ऋणपत्र प्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी नहीं हुई हो तो उसका लेखांकन निवेश के रूप में होता है। यदि इन शेयरों की खरीद के ततकाल बाद सुपुर्दगी लम्बित रहने के दौरान लाभांश घोषित होता है तो शेयर के मूल्य से लाभांश की राशि घट जाती है।

6.5. जहाँ बोनस शेयर प्राप्त हुए हों वहाँ बही मूल्य को प्रभावित किए बिना शेयरों की संख्या दर्ज है।

6.6. म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन शुद्ध संपत्ति मूल्य पर है और अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में मान्यता है।

6.7. निवेश सम्पत्ति: भूसम्पत्ति का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत से मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है।

6.8. ब्याज, लाभांश तथा भाड़े की शुद्ध आय तथा निवेशों की बिक्री/वसूली से हुई लाभ/हानि को वर्ष के आरम्भ में पालिसीधारकों के कोष और शेयरधारकों के कोष के अनुपात में आय लेखा (पालिसीधारकों का लेखा) और लाभ व हानि लेखा (शेयरधारकों का लेखा) के बीच बांट दिया जाता है।

7. प्रबंधन खर्च/प्रचालन खर्च

लाभ और हानि लेखा में प्रभारित व्ययों को छोड़कर अन्य प्रबंधन खर्च, समुद्री कारोबार के लिए 75% तथा अग्नि और विविध कारोबार के लिए 100% महत्व देतो हुए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम तथा स्वीकृत पुनर्बीमा के योग के आधार पर आय लेखा में संविभाजित किये जाते हैं।

8. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास

अ) स्थायी परिसम्पित्तियों की लागत संचयी मूल्यह्रास घटाकर की जाती है।

ब) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास आयकर नियम 1962 में या कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत विनिर्धारित दरों पर जो भी अधिक हो, अवलिखित मूल्य पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

स) पट्टाधारित सम्पत्ति का परिशोधन पट्टा अवधि के अनुसार किया जाता है।

द) वर्ष के दौरान वृद्धियों के संबंध में मूल्यह्रास प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए अवधि की गणना आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है । वर्ष के दौरान बेची गई/रद्द की गई/नष्ट की गई स्थायी परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

(f) Short Term Money Market Instruments: Short Term Money Market Instruments such as Certificates of Deposit and Commercial Papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rate, are accounted for at their discounted value.

(g) Impairment in value of investments is assessed as at the Balance Sheet date and is recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

6.3 (a) Dividend is accounted for in the year in which it is approved though not received within the year.

(b) Where dividend is approved at the Annual General Meeting of the company, but subsequently the receipt of such dividend becomes doubtful, provision is made for the appropriate amount under the head `Provision for Doubtful Loans, Investments and Debts'.

(c) Dividend, on shares which are not transferred in the company's name, is accounted for on realization.

6.4 Where contracts of purchase of shares/debentures are made but delivery/registration of certificates is pending, the same are accounted for as investments. If dividend is declared on such shares during the pendency of delivery immediately after purchase, the cost of shares is reduced by the amount of such dividend.

6.5 Where bonus shares are received, the number of shares is recorded as an increase without affecting the book value.

6.6 Investment in units of Mutual Fund is valued on Net Assets Value (NAV) basis and unrealized gain/ loss is recognized in 'Fair Value Change Account'.

6.7 Investment Properties - Real Estates are valued at historical cost less depreciation and impairment loss.

6.8 Interest, dividend and rent income, net of expenses and profit/loss on sale/realisation of investments, are apportioned between Revenue Accounts (Policyholders' Account) and Profit and Loss Account (Shareholders' account) in the ratio of policyholders' fund and shareholders' fund balances at the beginning of the year.

7. EXPENSES OF MANAGEMENT/OPERATING EXPENSES

7.1 Expenses of Management, other than those charged to Profit and Loss Account, are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of Gross Direct Premium plus Reinsurance Acceptance Premium giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.

8. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

(a) Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.

(b) Depreciation on fixed assets is charged on written down value method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 or in the Income Tax Rules, 1962, whichever is higher.

(c) In case of leasehold properties, lease premium is amortised over the lease period.

(d) In respect of additions during the year, the period for charging depreciation is reckoned as per the provisions of the Income Tax Rules, 1962. No depreciation is charged on sale/disposal during the year.

य) विदेशों की स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में उन देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किये जाते हैं।

9. कर्मचारी सुविधा :

अनुग्रही राशि, पेंशन, एवं अवकाश नकदीकरण,बीमारी अवकाश एवं एलटीएस का प्रावधान लेखामानकों (एएस 15) व कर्मचारी सहायता (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकक मूल्यों के आधार पर किया गया है।

10. परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास :

सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य का मूल्य ह्रास के संदर्भ में प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है । यदि इस तरह के किसी मूल्य ह्रास का संकेत मिलता है तो उस संपत्ति के वसूली योग्य राशि को अनुमानित किया जाता है तथा मूल्यह्रास हानि को दर्ज किया जाता है, यदि उस सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य उनके वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाता है ।

11. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां :

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का परिशोधन उनके प्रयोग की अवधि के सापेक्ष होता है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग :

सेगमेंट रिपोर्टिंग के उद्देश्य से सेगमेंट को आईआरडीए (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना) रेग्यूलेशन 2002 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विभक्त किया गया है।

13. अनिश्चित देयताएं एवं अनिश्चित परिसम्पत्तियां :

क) पिछले अवसरों के परिणाम के आधार पर अनिश्चित देयताओं को स्वीकार करने का प्रावधान किया जाता है तथा आब्लिगेशन को सेटिल करने में संसाधनों के आउटफ्लो की संभाव्यता आवयक होगी जिसके सम्बन्ध में विश्वस्त आंकलन बनाया जा सके।

ख) अनिश्चित परिसम्पत्तियों को लेखा में नहीं लिया जाता।

14. अन्य :

14.1. कर वापसी पर ब्याज का लेखांकन आयकर प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर किया जाता है।

14.2. साल्वेज वसूलियों का लेखांकन मिल जाने पर होता है तथा दावा लेखा में जमा होता है।

14.3. कम्पनी के विभिन्न कार्यालयों के विवरणों के आधार पर कम्पनी द्वारा चुकायें गये इनपुट सर्विस टैक्स जमा को लेखा में शामिल किया गया।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.	एम. सी. भंडारी एण्ड कं.	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	भास्कर सेन	निदेशक
		अमिताभ कोठारी	निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू)	(एम. आर. जैन)	ए. वी. गिरिजा कुमार	निदेशक
भागीदार	भागीदार	रीना माडिया	उप कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या 051221	सदस्यता संख्या 050919		

कैम्प. दिल्ली, 17 मई, 2012

(e) In respect of fixed assets in foreign countries, depreciation is charged as per local laws of those countries.

9. EMPLOYEE BENEFITS

Provision for gratuity, pension, leave encashment, sick leave and leave travel subsidy is made on actuarial valuation in accordance with Accounting Standard 15 (Revised 2005), on Employee Benefits.

10. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying value of assets is reviewed for impairment at each balance sheet date. If any indication for such impairment exists, the recoverable amount of those assets are estimated and impairment loss is recognized if the carrying amount of those assets exceed their recoverable amount.

11. INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets are amortized over the useful life of the assets.

12. SEGMENTAL REPORTING

For the purpose of segmental reporting segments have been classified as per directives given in The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

13. CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

(a) Provision against contingent liabilities is recognized when there is a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which reliable estimate can be made.

(b) Contingent assets are not recognized in the accounts.

14. OTHERS

14.1 Interest on tax refunds is accounted for on the basis of orders passed by the Tax authorities.

14.2 Salvage recoveries are accounted for on realization and credited to claims account.

14.3 Service Tax credit for input service tax paid by the company is considered in the accounts on the basis of the statements received from various offices of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Bhaskar Sen	Director
		Amitav Kothari	Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(M. R. Jain) Partner Membership No. 050919	A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 17th day of May 2012

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची 17

लेखा के अंगीभूत टिप्पणियां

1. प्रासंगिक देयता :

   क) आंशिक रूप से चुकता शेयरों में ₹4181 हजार (₹4181 हजार)

   ख) कंपनी के खिलाफ अन्य दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं या विवादास्पद हैं ₹128091 हजार (₹139830 हजार)।

   ग) विवादित आय कर ₹169666 हजार (₹652380 हजार), ब्याज कर ₹शून्य (₹10122 हजार)।

   घ) विवादित सेवा कर ₹361118 हजार (₹69540 हजार)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता निम्नलिखित के लिए -

   क) ऋण और निवेश ₹50796 हजार (₹73060 हजार)

   ख) स्थायी सम्पत्तियां ₹28409 हजार (₹22829 हजार)

   ग) आईटी समर्थ बिजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग (ईएएसआई) ₹3321500 हजार (₹3533400 हजार)।

3. क) पुनर्बीमा घटाकर दावे

(₹ हजार में)

	प्रदत्त	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i)	भारत में दावाकर्ताओं को	1938038	1042484	52282707	55263229
		(2562298)	(883450)	(33821964)	(37267712)
ii)	भारत से बाहर के दावाकर्ताओं को	77	26272	33423	59772
		(6407)	(24326)	(128576)	(159309)

ख) पुनर्बीमा घटाकर प्रीमियम

		अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i)	भारत में व्यवसाय से	5713966	1991260	61646574	69351800
		(4734116)	(1661005)	(47329361)	(53724482)
ii)	भारत से बाहर व्यवसाय से	39107	22048	115532	176687
		(34022)	(30743)	(107804)	(172569)

Schedules forming part of Financial Statements

Schedule – 17

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. There are Contingent Liabilities as under:
   - (a) Uncalled amount on partly paid shares ₹4181 thousand (₹4181 thousand)
   - (b) Claims against the company not acknowledged as debts or under dispute ₹ 128091 thousand (₹ 139830 thousand)
   - (c) Disputed Income Tax of ₹169666 thousand (₹652380 thousand), Interest Tax of ₹'nil' (₹10122 thousand),
   - (d) Disputed Service Tax of ₹361118 thousand (₹69540 thousand)
2. Capital commitments remaining outstanding are:
   - (a) Loans and Investments ₹50796 thousand (₹73060 thousand)
   - (b) Fixed assets ₹28409 thousand (₹22829 thousand)
   - (c) IT enabled Business Process Re-engineering (EASI) ₹3321500 thousand (₹3533400 thousand).
3. (a) Claims, less reinsurance :

(₹ in thousand)

	Paid to	Fire	Marine	Miscellaneous	Total
i)	Claimants in India	1938038	1042484	52282707	55263229
		(2562298)	(883450)	(33821964)	(37267712)
ii)	Claimants outside India	77	26272	33423	59772
		(6407)	(24326)	(128576)	(159309)

(b) Premiums, less reinsurance

		Fire	Marine	Miscellaneous	Total
i)	in India	5713966	1991260	61646574	69351800
		(4734116)	(1661005)	(47329361)	(53724482)
ii)	outside India	39107	22048	115532	176687
		(34022)	(30743)	(107804)	(172569)

4. बकाया दावों की अवधि (भारतीय सकल व्यवसाय पर) निम्नवत है-

(₹ हजार में)

	छह माह से कम	छह माह से अधिक	कुल
अग्नि	3332396	4352744	7685140
	(1946834)	(3822029)	(5768863)
समुद्री	970549	1430695	2401244
	(980704)	(948770)	(1929474)
विविध	11179139	28128409	39307548
	(9266965)	(26225446)	(35492411)

5. ₹24 हजार (₹24 हजार) के बही मूल्य के शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेशों का अंतरण डीमैट आपत्ति के अधीन और लंबित है।

6. आईआरडीए द्वारा निधारित लेखांकन विनियमों का पालन करने के क्रम में विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न साधनों को छोड़कर सूचीबद्ध ईक्विटी शेयर और म्यूचुअल फण्ड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण हुये ₹71621449 हजार (₹81408106 हजार) के गैर वसूल लाभ (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक में लिया गया है। उन निवेशों की ऐतिहासिक लागत ₹34713401 हजार (₹23513260 हजार) है। उचित मूल्य लेखा परिवर्तन के जमा शेष की लंबित वसूली वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है ।

उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित बाजार मूल्य एवं ऐतिहासिक लागत का विवरण निम्वत है :

(₹ हजार में)

	बाजार मूल्य	ऐतिहासिक लागत	उचित मूल्य परिवर्तन लेखा (अपुष्ट लाभ)
पीएसयू का इक्विटी शेयर	14338245	11952867	2385377
	(14551612)	(8526223)	(6025389)
पीएसयू के अलावा भारतीय कम्पनियों का इक्विटी शेयर	86818808	17586510	69232298
	(89020340)	(13638013)	(75382327)
इक्विटी शेयर डीमेट - रिजेक्टेड केस	24	24	-
	(24)	(24)	(-)
म्यूचुअल फण्ड	5177774	5174000	3774
	(1349390)	(1349000)	(390)
कुल	106334850	34713401	71621449
	(104921366)	(23513260)	(81408106)

4. Ageing of claims outstanding (on Indian gross business) is as follows:

(₹ in thousand)

	Less than six months	Six months and more	Total
Fire	3332396	4352744	7685140
	(1946834)	(3822029)	(5768863)
Marine	970549	1430695	2401244
	(980704)	(948770)	(1929474)
Miscellaneous	11179139	28128409	39307548
	(9266965)	(26225446)	(35492411)

5. Transfer of investments in Shares/Securities having book value of ₹24 thousand (₹24 thousand) is under demat rejection and hence pending.

6. In accordance with the regulations prescribed by IRDA, unrealized gains (net) amounting to ₹71621449 thousand (₹81408106 thousand), arising due to changes in the Fair Value of listed equity shares and mutual funds (excepting equities listed in stock exchanges outside India and thinly traded equity shares), are taken to `Fair Value Change Account'. The historical cost of such investments amounted to ₹34713401 thousand (₹23513260 thousand). Pending realization, the credit balance in the Fair Value Change Account is not available for distribution.

   Break-up of Market Value and Historical Cost which have been valued on fair value basis is as follows:

(₹ in thousand)

	Market Value	Historical Cost	Fair Value Change Account (Unrealised Gain)
Equity Shares of PSU	14338245	11952867	2385377
	(14551612)	(8526223)	(6025389)
Equity Shares of Indian Companies other than PSUs	86818808	17586510	69232298
	(89020340)	(13638013)	(75382327)
Equity Shares Demat Rejected cases	24	24	-
	(24)	(24)	(-)
Mutual Fund	5177774	5174000	3774
	(1349390)	(1349000)	(390)
Total	106334850	34713401	71621449
	(104921366)	(23513260)	(81408106)

7. सुरक्षित ऋणों के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की प्रकृति निम्नलिखित है (अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

क) कर्जदार की सभी स्थायी सम्पत्तियों, वर्तमान और भविष्य दोनों, का कंपनी के पक्ष में प्रथम बंधक और प्रभार, तथा

ख) बही ऋण सहित कर्जदार की सभी चल सम्पत्ति, सभी चल सामग्री और ऐसे अन्य चल सामान जिनके बारे में दूसरे ऋण दाता/वित्तीय संस्थान सहमत हों का कंपनी के पक्ष में गिरवी रखते हुये प्रथम बंधक।

बशर्ते उपर्युक्त संदर्भित प्रतिभूति का मूल्य ऋण के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय ऋण राशि के 1.25 गुना से कम नहीं होगा।

बंधक और प्रभार सभी ऋण दाता/वित्तीय संस्थानों के पक्ष में बंधक तथा निर्धारित और या निर्धारित होनेवाले प्रभार बराबर बराबर होंगे।

मूल प्रतिभूति दस्तावेज लीड संस्थान स्तर पर रखे जाते हैं तथा संरक्षण की सीमा सावधि ऋण के बारे में तथा ऋण पत्रों के मामले में ऋण पत्र न्यासी स्तर से ज्ञात किया जा सकता है।

ग) हुडको द्वारा अपने पक्ष में प्राप्त कर सकनेवाले बंधक सहित हुडको की सभी वर्तमान और भविष्य की सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों पर प्रथम चल पूंजी प्रभार करने के लिए मुख्तारनामा के साथ निषेधात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा हुडको का ऋण ₹शून्य (₹105333 हजार) सुरक्षित है।

8. क) पिछले वर्षों के विपरीत कुछ अचल सम्पत्तियों में स्वामित्व के रूप में कंपनी द्वारा धारित रु.1888 हजार (₹1888 हजार) के इक्विटी शेयरों में निवेश को निवेश सम्पत्ति भू सम्पदा (अनुसूची 8) के अधीन दिखाया गया है।

ख) धन-कर विवरणी की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी द्वारा भाड़े पर दिये गये हिस्से की भू सम्पदा का उचित मूल्य ₹117929 हजार (₹124125 हजार)। इस प्रकार के भू सम्पदा की अनुपातिक लागत निवेश प्रापर्टी (अनुसूची 8) में दर्शाया गया है।

9. क) कंपनी के धारण और स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन के धारण प्रमाण-पत्र के बीच अंतर निम्नवत है जिसका पुनर्मिलान हो रहा है ।

(₹ हजार में)

	2011-12		2010-11	
	कमी	आधिक्य	कमी	आधिक्य
इक्विटी	479.00	66.00	457.00	61.00
अभिधान	0.03	36.00	0.03	36.00
ऋण-पत्र	0.03	-	0.03	-
योग	479.06	102.00	457.06	97.00

ख) ऋणपत्र धारण में शामिल है ₹48837 हजार (₹49587 हजार) जिसके लिए कंपनी के पास आबंटन पत्र है; सम्बन्धित कम्पनी से प्रमाण पत्र मिलना बाकी है ।

7. The nature of securities in respect of secured loans (referred to in Schedule 9) is:

   (a) first mortgage and charge of borrowers' all immovable properties, both present and future, and

   (b) first mortgage by way of hypothecation of borrowers' all movable properties, including book debts, all movable articles and such other movables as are agreed to by other lending/financial institutions.

   Value of the securities referred above at any time during the pendency of the loan is not less than 1.25 times of the loan amount outstanding.

   Mortgages and charges referred to above created and/or to be created rank pari-passu in favour of all lending/financial Institutions.

   Original security documents are retained at Lead Institution level and the extent of coverage is ascertainable at that level in case of Term Loans and Debenture Trustee level in case of debentures.

   (c) Loans to HUDCO ₹'nil' thousand (₹105333 thousand) are secured by negative lien with Power of Attorney in favour of the Company for creating first floating charge on all present and future properties and assets of HUDCO including the mortgage that may be obtained by HUDCO in its favour.

8. (a) Investments in Equity Shares of ₹1888 thousand (₹1888 thousand) held by the Company against ownership of certain immovable properties have been included under 'Investment Properties - Real Estate' in Schedule 8.

   (b) As per valuation report of independent approved valuer proportionate fair value of real estate occupied by tenants is ₹117929 thousand (₹124125 thousand). Proportionate cost of such real estate is shown under Investment Properties (Schedule-8).

9. (a) Differences as stated below between the Company's holding and holding certificate from Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) are under reconciliation.

(₹ in thousand)

	2011-12		2010-11	
	SHORT	EXCESS	SHORT	EXCESS
Equity	479.00	66.00	457.00	61.00
Preference	0.03	36.00	0.03	36.00
Debentures	0.03	-	0.03	-
Total:	479.06	102.00	457.06	97.00

   (b) Investment in Debentures includes ₹48837 thousand (₹49587 thousand) against which the Company holds Allotment Letters only. The certificates are yet to be received from the concerned companies.

10. (क) ऋण सम्पत्ति की कुल राशि सीडीआर के अधीन पुनर्गठित हो रही है जो निम्नवत होगी:

(₹ हजार में)

		मियादी ऋण	ऋण-पत्र	अधिमान शेयर	योग
अ) मानक सम्पत्ति	**चालू वर्ष**	-	-	-	-
	विगत वर्ष	-	-	-	-
ब) उप मानक सम्पत्ति	**चालू वर्ष**	-	-	-	-
	विगत वर्ष	-	-	-	-
स) संदिग्ध सम्पत्ति	**चालू वर्ष**	-	-	-	-
	विगत वर्ष	-	-	-	-
द) हानि सम्पत्ति	**चालू वर्ष**	2670	300	1900	4870
	विगत वर्ष	-	-	-	-
योग	**चालू वर्ष**	2670	300	1900	4870
	विगत वर्ष	-	-	-	-

(ख) सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में निवेशों का पृथक्करण निम्नवत है ।

i) सक्रिय निवेश	₹30705970 हजार	(₹22554199 हजार)
ii) निष्क्रिय निवेश	₹639375 हजार	(₹854702 हजार)
कुल बही मूल्य	₹31345345 हजार	(₹23408901 हजार)

(ग) ऋणों और ऋण-पत्रों पर बकाया ब्याज ₹2190166 हजार (₹2230118 हजार) की वसूली में अनिश्चितता के कारण लेखांकन नहीं किया गया।

(घ) संयुक्त संस्थानों के निर्णय के परिप्रेक्ष में विभिन्न निगमित संस्थाओं में ऋण की पुनर्संरचना हुई जिसके परिणाम स्वरूप ऋण-पत्र की मूल राशि के इस खाते पर अधित्याग/बट्टे खाते का वर्ष के दौरान ₹21681 हजार (₹8252 हजार) एवं ब्याज ₹361331 हजार (₹33793 हजार) रहा।

11. ग्रच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में हुए संशोधन के पश्चात वर्ष 2010-11 में कम्पनी के कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि हुई । परिणामस्वरूप कम्पनी के दायित्व में ₹404596 हजार करोड़ की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी हुई । कर्मचारी सुविधा लेखा मानक (एएस)15 के संदर्भ में सम्पूर्ण राशि ₹404596 हजार को वर्ष 2010-11 के लाभ-हानि लेखा से चार्ज किया जाना है तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने ग्रेच्युटी के बढ़े हुए प्रावधान के संदर्भ में एक परिपत्र सं.आईआरडीए/एफ एंड ए/सीआईआर/अधि/069/04/2011 दिनांक 18.04.2011 जारी किया है । परिपत्र के अनुसार ग्रेच्युटी के रूप में अतिरिक्त देयता, जिसे कम्पनी ने लिया है, का भुगतान करने के लिए पाँच वर्षों से अधिक की अवधि, जो वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ होती है, का विकल्प कम्पनी के पास उपलब्ध है। तदनुसार वर्तमान वर्ष में ₹80919 (जो ₹404596 का पाँचवा हिस्सा है) चार्ज किया गया तथा शेष राशि ₹242758 हजार (₹323677 हजार) को अग्रेषित किया गया ।

10. (a) Total amount of Loan Assets subjected to restructuring under CDR during the year is given below:

(₹ in thousand)

		TERM LOAN	DEBENTURE	PREFERENCE SHARES	TOTAL
a) Standard Assets	**Current Year**	-	-	-	-
	Previous Year	-	-	-	-
b) Substandard Assets	**Current Year**	-	-	-	-
	Previous Year	-	-	-	-
c) Doubtful Assets	**Current Year**	-	-	-	-
	Previous Year	-	-	-	-
d) Loss Assets	**Current Year**	2670	300	1900	4870
	Previous Year	-	-	-	-
Total:	**Current Year**	2670	300	1900	4870
	Previous Year	-	-	-	-

(b) Segregation of loans and investments into performing and non-performing asset is given below:

i) Performing Investments ₹30705970 thousand (₹22554199 thousand)

ii) Non-performing Investments ₹639375 thousand (₹854702 thousand)

Total book value ₹31345345 thousand (₹23408901 thousand)

(c) Overdue interest on loans and debentures considered NPA amounting to ₹2190166 thousand (₹2230118 thousand) has not been accounted for in view of uncertainty of realization.

(d) In terms of Joint institutional decisions, restructuring of dues from various corporate houses has been done consequent to which ₹21681 thousand (₹8252 thousand) towards Principal and ₹361331 thousand (₹33793 thousand) towards interest have been waived during the year.

11. In the year 2010-11, the limit of gratuity payable to the employees of the Company was enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result gratuity liability of the Company had increased additionally by ₹404596 thousand. In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of ₹404596 thousand was required to be charged to the Profit & Loss Account of the year 2010-11. However, the Insurance Regulatory and Development Authority had issued a circular no. IRDA/F&A/CIR/ACT/069/04/2011 dated 18-04-2011 on accounting treatment of enhanced provision of gratuity. As per the circular the Company had the option to amortize the additional liability on account of gratuity over a period of five years starting from financial year 2010-11 which the Company has availed. Accordingly ₹80919 thousand (representing one fifth of ₹404596 thousand) has been charged in the current year and the balance amount carried forward is ₹242758 thousand (₹323677 thousand)

12. आईआरडीए के दिशानिर्देशों के तहत मोटर पूल व्यवस्था के अंतर्गत पूल प्रशासन भारतीय साधारण बीमा नियम के द्वारा फरवरी 2012 तक की रि-इंश्योरेन्स एकाउंटिंग प्राविजनल पूल उकाउंट के आधार पर की गई । वर्ष के दौरान बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के आदेश सं.आईआरडी/एनएल/उभार डी/एमपीएल/277/12/2011 दिनांक 23.12.2011 तथा आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमपीएल/003/01/2012 दिनांक 3 जानवारी 2012 के द्वारा वर्तमान इंडियन मोटर थर्ड पार्टी पूल (आईएमटीपीआईपी) को 31.03.2012 से समाप्त करने का निर्देश दिया तथा पूल रिजर्व एवं लेखा रिजर्व के पर स्पष्ट मामलों को विशेष रूप से इंगित किया । आईएमटीपीआईपी के बंद होने के परिणामस्वरूप एक्चुरियल अतिरिक्त दायित्व बढ़ गया । प्राधिकारी के आदेश सं.आईआरडीए/एफ एण्ड ए/ओआरडी/एमटीपीसी/070/03-2012 दिनांक 22.03.2012 के परिपेक्ष्य में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 से संबंधित ₹3296137 हजार की राशि की एक्चुरियली निर्धारित देयता को एकाउंट फार किया गया तथा वर्तमान वर्ष में पूरी तरह से रिकागनाईज किया गया । एक्चुरियली निर्धारित देयता/ अतिरिक्त देयता की अनुमानित/पुनः अनुमानित देयता वर्ष 2010-11 व 2011-12 के लिए ₹14957368 हजार को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर तीन वर्ष से अधिक, जो वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ होता है, के लिए व्यय के रूप में रिकगलाइज किया गया । इस प्रकार वर्तमान वर्ष में कुल स्वीकृत दायित्व ₹8281926 हजार (वर्तमान वर्ष का ₹4026791 हजार सहित) तथा वह राशि जो वर्ष के अंत तक रिकगनाइज न होने वाली राशि ₹9971578 हजार है ।

यदि इस प्रकार का आदेश आईआरडीए द्वारा जारी नहीं किया गया होता तो लेखा के उपार्जन आधार को आवश्यकतानुसार कम्पनी के लाभ में ₹9971578 हजार की कमी होती ।

13. (क) स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास निम्नलिखित दर से प्रावधानित है -

(1)	कार्यालय उपकरण, एयरकंडीशनर, जनरेटर	-	15.00%
(2)	कंप्यूटर और आईटी उपकरण	-	60.00%
(3)	पंखा और बिजली के सामान	-	13.91%
(4)	सामान्य फर्नीचर	-	18.10%
(5)	मोटर कार	-	25.89%
(6)	साईकल	-	20.00%
(7)	भवन का प्रयोग		
(i) कार्यालय सरिसर के रूप में		-	10.00%
(ii) आवास के रूप में		-	5.00%

(ख) तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए, अथवा इसके प्रयोग की अवधि, जो भी कम हो, समान रूप से कम्प्यूटर साफ्टवेयर परिशोधित किया गया ।

(ग) स्थायी सम्पत्ति के अधीन भारत में जमीन और मकान सम्पत्ति (अनुसूची-10) में ₹47585 हजार (₹55310 हजार) शामिल है जिसका पंजीकरण कराना लंबित है। स्टांप शुल्क और पंजीकरण खर्च रजिस्ट्री विलेख निष्पादित होने के वर्ष में लेखा में लिया जायेगा।

(घ) लीज आधारित परिसम्पत्तियां वित्तीय लीज के अधीन है जिनके लिये तुलन-पत्र की तिथि अथवा भविष्य में कोई भी लीज भुगतान देय नहीं है । मासिक किराये पर ली गई अथवा दी गई परिसम्पत्ति आवासी सहमति के आधार पर प्रचालन लीज नवीकरण/निरस्तीकरण की प्रकृति की है । लीज व्यक्तिगत एग्रीमेंट के आधार पर है जो प्रेमिसेज टीनेंसी अधिनियम के अंतर्गत आता है । (परिसर किरायेदारी अधिनियम)

12 In the case of motor pool arrangements which are in accordance with IRDA directives, accounting of reinsurance are done based on provisional pool accounts drawn by Pool Administrator General Insurance Corporation of India, upto February, 2012. During the year the Insurance Regulatory and Development Authority has in terms of Order IRDA/NL/ORD/MPL/277/12/2011 dated 23.12.2011 and IRDA/NL/ORD/MPL/003/01/ 2012 dated 03.01.2012 directed dismantling of the existing Indian Motor Third Party Insurance Pool (IMTPIP) w.e.f. 31.03.2012 and has specified inter-alia matters relating to pool reserves and account reserves. The closure of IMTPIP resulted in additional IMPTPIP liabilities upon re-estimation of actuarially determined liabilities. In terms of the Authority's Order No. IRDA/F&A/ORD/MTPP/070/03-2012 dated 22.03.2012, the actuarially determined additional liabilities amounting to ₹3296137 thousand relating to the years 2007-08, 2008-09 and 2009-10 is accounted for and recognized in full in the current year. The liabilities upon estimation/re-estimation of actuarially determined liabilities/additional liabilities relating to the years 2010-11 and 2011-12 amounting to ₹14957368 thousand (transitional liabilities) is recognized as an expense on a straight-line basis over three years beginning with the year 2011-12. However the amount of total liabilities thus recognized in the current year is ₹8281926 thousand (including current year ₹4026791 thousand) and the amount that remains unrecognized at the end of the year is ₹9971578 thousand.

Had such order not been issued by the IRDA, the profit of the Company would have been lower by ₹9971578 thousand pursuant to the requirement of accrual basis of accounting.

13 (a) Depreciation on Fixed Assets have been provided on Written Down Value method at the following rates:

(1) Office Equipments, Air-conditioner, Generators	…	15.00%
(2) Computer and I.T. Equipments	…	60.00%
(3) Fans & Electrical Equipments	…	13.91%
(4) General Furniture	…	18.10%
(5) Motor Cars	…	25.89%
(6) Cycle	…	20.00%
(7) Buildings used as – (i) Office Premises	…	10.00%
(ii) Residential Houses	…	5.00%

(b) Computer Software being intangible asset is amortized equally over a period of 3 years or its useful life whichever is lower.

(c) Land and House property in India under fixed assets (Schedule - 10) includes ₹47585 thousand (₹55310 thousand) for which deeds of conveyance are pending. Stamp duty and registration cost will be taken into account in the year of execution of conveyance deed.

(d) Leasehold assets are all under finance lease against which no lease payments are due as on the Balance Sheet date or in future. Properties occupied on monthly rental basis or given on monthly rental are in the nature of operating leases renewable / cancellable at mutual consent. There are no restrictions imposed by lease agreements. Lease terms are based on individual agreements which fall under Premises Tenancy Act.

14. विवादित मामलों को छोड़कर निपटाया गया कोई दावा तुलन-पत्र की तारीख से छः महीने से अधिक समय तक अप्रदत्त नहीं रहता ।

15. (क) निम्नलिखित शीर्षकों में दिखाए गये अतिशेष की पुष्टि नहीं हो सकी तथा उनका पुनर्मिलान किया जा रहा है ।

अभिकर्ता अतिशेष	-	नामे ₹6698 हजार (नामे ₹1168 हजार)
ऋण और अग्रिम	-	नामे ₹419 हजार (नामे ₹2575 हजार)
अंतर-कार्यालय समायोजन	-	नामे ₹84223 हजार (नामे ₹10991 हजार)
बीमा व्यवसाय कर रहे दूसरे व्यक्तियों	-	नामे ₹109211 हजार (नामे ₹102307 हजार)
या निकायों से प्राप्य/को देय राशि	-	जमा ₹65430 हजार (जमा ₹73521 हजार)
बैंक पुनर्मिलान विवरण में	-	नामे ₹7647 हजार (नामे ₹1913 हजार)
अस्पष्ट बैंक नामे एवं जमा	-	जमा ₹7429 हजार (जमा ₹7833 हजार)
विविध देनदार	-	₹650 हजार (₹1168 हजार)
विविध लेनदार	-	₹197 हजार (₹1382 हजार)

लेखा के पुनर्मिलान पर समायोजन का प्रभाव ज्ञात नहीं है ।

(ख) प्रधान कार्यालय में कम्पनी के कुछ बैंक खातों में असम्बद्ध अज्ञात पुराने नामे और जमा में अंतर पुनर्मिलान तथा समायोजन के अध्यधीन है । वर्ष के दौरान कम्पनी ने केन्द्रीयकृत कैश प्रबन्धन सोल्यूसन (सीएमएस) प्रारम्भ किया । सीएमएस बैंकर्स द्वारा कलेक्शन की रिपोर्टिंग में त्रुटियां/कमी हुई है तथा ऐसे चेक जिनका कलेक्शन हुआ है परन्तु क्लीयर नहीं हुए हैं, में भी कमियां पायी गई जो पुनर्मिलान की प्रक्रिया में हैं । सीएमएस बैंक बैलेंस सहित पुनर्मिलान प्रक्रिया के अंतर्गत कुल राशि ₹1184469 हजार है । पुनः सीएमएस बैंक एवं आय बैंकों की अचयनित इंट्री, जो ₹480712 हजार (₹17339 हजार) है, को बैंक सस्पेंस एकांउंट में ट्रान्सफर किया गया तथा अनुसूची-13 के वर्तमान देयता संड्री क्रेडिटर में दर्शाया गया ।

(ग) बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों पर देय राशि में अंतर एवं बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों से वसूल की जानेवाली बकाया राशि बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों पर देय राशि और/या संबंधित पुनर्बीमा कम्पनियों के कन्फर्मेशन के अधीन है । दीर्घ अवधि बकाया देय ₹2036211 हजार जो एमाउंट ड्यू फ्राम में पड़ा हुआ है, की वसूली न होने के कारण वर्तमान वर्ष में अपलिखित किया गया । दीर्घ अवधि से लंबित एमाउंट ड्यू टू के रूप में बकाया देय राशि ₹785214 के प्रवर्तनीयता के संबंध में कम्पनी ने लीगल सलाह ली । चूँकि विधिक सलाह के अनुसार देयता भुगतान योग्य नहीं है अतः कम्पनी ने अपने लाभ-हानि खाते में वर्तमान वर्ष में इसे पुनः लिखित किया ।

16. (क) कम्पनी ने 27.12.2006 को अपनी शाखा के समस्त प्रचालन सम्पत्ति तथा देयताओं को उनके तत्कालीन मूल्य के आधार पर स्थानान्तरित करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी के साथ समझौता किया । व्यवसाय स्थानान्तरण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जायेगा एवं बकाया देयता के पूर्ण रूप से भुगतान हो जाने के पश्चात यह प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी ।

(ख) प्रचालन बंद होने के पश्चात सम्पत्तियों के विक्रय एवं देयताओं के निस्तारण से हुई हानि/लाभ का आंकलन वांछित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद समयानुसार किया जायेगा ।

14. Barring disputed cases no settled insurance claim remained unpaid for more than six months as on the Balance Sheet date.

15. (a) Confirmation of balances shown under the following heads could not be obtained and reconciliation thereof is in progress:

- Agents' Balances	- Dr. ₹6698 thousand (Dr. ₹1168 thousand)
- Loans and Advances	- Dr. ₹419 thousand (Dr. ₹2575 thousand)
- Inter Office Adjustments	- Dr. ₹84223 thousand (Dr. ₹10991 thousand)
- Amount due from/to other persons or bodies carrying on Insurance Business	- Dr. ₹109211 thousand (Dr. ₹102307 thousand) and - Cr. ₹65430 thousand (Cr. ₹73521 thousand)
- Unexplained Bank Debit and Credit in Bank Reconciliation Statement	- Dr. ₹7647 thousand (Dr. ₹1913 thousand) and - Cr. ₹7429 thousand (Cr. ₹7833 thousand)
- Sundry Debtors	- ₹650 thousand (₹1168 thousand)
- Sundry Creditors	- ₹197 thousand (₹1382 thousand)

The impact of adjustments on reconciliation in the accounts remains unascertained.

(b) Unlinked/unidentified old debits and credits in certain Bank Accounts of the Company at Head Office are subject to reconciliation/adjustments. During the year the Company has introduced Centralized Cash Management Solution (CMS). There has been deficiency in reporting collections by the CMS bankers and also in reporting cheques collected but not cleared which is in the process of reconciliation. The aggregate amount under reconciliation included in CMS bank balances is ₹1184469 thousand. Further unidentified entries in CMS banks and other banks (net credit) amounting to ₹480712 thousand (₹17339 thousand) have been transferred to Bank Suspense account and shown under Current Liabilities - Sundry Creditors in Schedule-13.

(c) Outstanding balances in "Amount Due from Insurance/Reinsurance Companies" are subject to reconciliation with the outstanding balances in "Amount Due to Insurance/Reinsurance Companies" and also subject to confirmations from the respective insurance/reinsurance companies. Long outstanding dues of ₹2036211 thousand lying in 'Amount due from' being not recoverable has been written off in the current year. The Company has obtained legal advice regarding enforceability of liability in respect long outstanding dues of ₹785214 lying in 'Amount due to". Since as per legal advice the liability stands no longer payable, the Company has written back the same in the current year in its profit & loss account..

16. (a) The Company entered into a transfer agreement on 27.12.2006 with New India Assurance Co. Ltd. to transfer assets & liabilities of Hong Kong Branch at their carrying values including all the operations of the branch subject to approval by the Insurance Authority of Hongkong. The approval has been

17. संबंधित पार्टी प्रकटन निम्नवत है:

(क) सहायक संस्था

1. इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेन्स प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर

लेन-देन की प्रकृति			
धारित शेयरों की संख्या	-	1,00,00,000	(1,00,00,000)
शेयरों का बही मूल्य	-	₹28576 हजार	(₹28576 हजार)
प्राप्त लाभांश	-	₹14453 हजार	(₹12648 हजार)

2. केनिंडिया एश्योरेन्स कं. लि. नैराबी

लेन-देन की प्रकृति			
धारित शेयरों की संख्या		5,15,776	(4,35,186)
शेयरों का बही मूल्य	-	₹7132 हजार	(₹7132 हजार)
प्राप्त लाभांश	-	₹1993 हजार	(₹शून्य)

(ख) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक :

1. श्री एन एस आर चन्द्रप्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
2. श्री कुलदीप सिंह, निदेशक
3. श्री ए वी गिरिजा कुमार, निदेशक

लेन-देन की प्रकृति :

वेतन, भत्ता और अंशदान - ₹4143 हजार (₹5507 हजार)

18. प्रीमियम में कमी नहीं दिखाई गई है क्योंकि प्रबन्धन की राय में सम्बंधित खर्चों और अग्नि, समुद्री और विविध व्यवसाय की रख रखाव खर्च के साथ अपेक्षित दावा खर्च असमाप्त जोखिमों यथा अग्नि (+)₹60300 हजार [(+)₹651700 हजार], मरीन (+)₹303000 हजार [(+)₹277300 हजार,] एवं विविध (+)₹1165900 हजार [(+)₹1298600 हजार] के लिए संबंधित आरक्षित से अधिक नहीं है। मोटर ओडी सेगमेंट, जो (+)₹1197200 हजार [(+)₹1645300 हजार] है, में कमी नहीं है, मोटर तृतीय पक्ष में ₹709000 हजार [₹646200 हजार] की कमी है।

19. कर्मचारी हितलाभ के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) को अपनाया है।

obtained for transfer of business. The present arrangement would continue as a pure run-off operation and the run-off exercise will be over once the entire outstanding liability is fully paid.

(b) The amount of Gain/Loss on disposal of assets or settlement of liabilities attributable to the discontinuing operation will be accounted for at the appropriate time.

17. Related party disclosures are given below:

(a) Associates:

1. India International Insurance Pte. Ltd., Singapore

Nature of transactions:

No. of shares held	--	1,00,00,000	(1,00,00,000)
Book value of share	--	₹28576 thousand	(₹28576 thousand)
Dividend received	--	₹14453 thousand	(₹12648 thousand)

2. Kenindia Assurance Co. Ltd., Nairobi

Nature of transactions:

No. of shares held	--	515776	(4,35,186)
Book value of shares	--	₹7132 thousand	(₹7132 thousand)
Dividend received	--	₹ 1993 thousand	(₹'nil' thousand)

(b) Key Management Personnel:

1. Shri N S R Chandraprasad, Chairman-cum-Managing Director
2. Shri Kuldip Singh, Director
3. Shri A. V Girijakumar, Director

Nature of transactions:

Salaries, allowances & contributions ₹4143 thousand (₹5507 thousand)

18. No Premium Deficiency Reserve has been created since in the opinion of the management, the expected claim costs along with the related expenses and maintenance cost would not exceed the related Reserve for Unexpired Risks in respect of Fire (+) ₹60300 thousand [(+) ₹651700 thousand], Marine (+) ₹303000 thousand [(+) ₹277300 thousand] and Miscellaneous (+) ₹1165900 thousand [(+) ₹1298600 thousand]. While there is no deficiency in Motor Own Damage Segment which is (+) ₹1197200 thousand [(+) ₹1645300 thousand], the deficiency in Motor Third Party works out to ₹709000 thousand [₹646200 thousand].

19. The Company has adopted the Accounting Standard 15 (Revised 2005) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in respect of employee benefits.

लाभ एवं हानि लेखा में निम्नलिखित राशि दर्शायी गई :

(₹ हजार में)

वर्गीकृत हित-लाभ योजना	31.03.2012	31.03.2011
ग्रेच्युटी	763998	80919
पेंशन	882170	726400
अवकाश नकदीकरण	218903	434625
बीमारी अवकाश	64627	86452
यात्रा छुट्टी सहायता	6889	531

कार्ययोजना की वस्तुस्थिति निम्नवत है -

(₹ हजार में)

	ग्रेच्यूटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
क) देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के प्रारंभ में	5072607 (4276466)	9276800 (8760192)	2498626 (2064001)	459087 (372635)	169241 (168710)
ब्याज लागत	419024 (353329)	729453 (689774)	199812 (165204)	39022 (31674)	11709 (12251)
सेवा मूल्य	248172 (233305)	451290 (361404)	193038 (182174)	75312 (71506)	- (-)
एक्च्यूरियल (लाभ) /हानि	-68605 (448812)	914627 (755830)	121845 (328098)	-49708 (-16727)	58161 (37439)
हित लाभ भुगतान	285824 (239305)	1390000 (1290400)	295791 (240852)	- (-)	62980 (49159)
वर्ष के अंत में	5385374 (5072607)	9982170 (9276800)	2717529 (2498626)	523714 (459087)	176130 (169241)

ख) सम्पत्ति योजना में परिवर्तन

(₹ हजार में)

	ग्रेच्यूटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य	4668012 (3084528)	8550400 (8580200)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रत्याशित आय	373441 (246762)	684032 (686416)	- (-)	- (-)	- (-)
एक्च्यूरियल (लाभ) /हानि	-457930 (172593)	845568 (-22116)	- (-)	- (-)	- (-)
हित लाभ भुगतान	285824 (239305)	1390000 (1290400)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	4702294 (4668012)	9100000 (8550400)	- (-)	- (-)	- (-)

The following amounts have been recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ in thousand)

Defined Benefit Plan	31.03.2012	31.03.2011
Gratuity (excluding deferred amount)	763998	80919
Pension	882170	726400
Leave Encashment	218903	434625
Sick Leave	64627	86452
LTS	6889	531

The status of the plan is given below:

(₹ in thousand)

A) Present Value of Obligation	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
At beginning of the year	5072607 (4276466)	9276800 (8760192)	2498626 (2064001)	459087 (372635)	169241 (168710)
Interest Cost	419024 (353329)	729453 (689774)	199812 (165204)	39022 (31674)	11709 (12251)
Service Cost	248172 (233305)	451290 (361404)	193038 (182174)	75312 (71506)	- (-)
Actuarial (Gain)/Loss	-68605 (448812)	914627 (755830)	121845 (328098)	-49708 (-16727)	58161 (37439)
Benefits Paid	285824 (239305)	1390000 (1290400)	295791 (240852)	- (-)	62980 (49159)
At the end of the year	5385374 (5072607)	9982170 (9276800)	2717529 (2498626)	523714 (459087)	176130 (169241)

B) Change in Plan Assets:

(₹ in thousand)

	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
Fair Value at beginning of the year	4668012 (3084528)	8550400 (8580200)	- (-)	- (-)	- (-)
Expected Return	373441 (246762)	684032 (686416)	- (-)	- (-)	- (-)
Actuarial (Gain)/Loss	-457930 (172593)	845568 (-22116)	- (-)	- (-)	- (-)
Benefits Paid	285824 (239305)	1390000 (1290400)	- (-)	- (-)	- (-)
Fair Value at end of the year	4702294 (4668012)	9100000 (8550400)	- (-)	- (-)	- (-)

(₹ हजार में)

	ग्रेच्यूटी	अवकाश पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
ग) देयताओं के उचित मूल्य का समाधान एवं सम्पत्ति योजना का					
वर्तमान मूल्य	4702294 (4668012)	9100000 (8550400)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	5385374 (5072607)	9982170 (9276800)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य तुलन-पत्र में दर्शायी गयी शुद्ध (देयता)	-683080 (-404595)	-882170 (-726400)	- (-)	- (-)	- (-)
घ) सम्भावनायें					
छूट की दर (%)	8.50 (8.50)	8.50 (8.50)	8.50 (8.50)	8.50 (8.50)	8.50 (8.50)
सम्पत्ति योजना पर आय (%)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	- (-)	- (-)	- (-)

20. कर नियम के अन्तर्गत बड़ी राशियों को अग्रेसित करने के प्रकाश में लेखा मानक 22 के अनुसार भविष्य की आयकर योग्य आय की अनिश्चितता के बावजूद आस्थगित कर योग्य सम्पत्तियों को निस्तारित किया गया है।

21. कम्पनी ने आईआरडीए के परिपत्र सं.आईआरए/एफ एंड आई/वर्ष/015/02/2011 दिनांक 2 फरवरी 2011 के अनुसार लेखा अवधि की समाप्ति पर 1/365 प्रणाली के आधार पर असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व निर्मित किया तथा उपलब्ध लाभ की सीमा तक संभाव्यता रिजर्व को निर्मित किया । उक्त संभाव्यता रिजर्व को वर्तमान वर्ष में जनरल रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है ।

    वर्ष के दौरान कम्पनी ने आईआरडीए द्वारा अनुमत छूट का लाभ नहीं लिया तथा अधिनियम की धारा 64बी (i) (ii) (बी) के अनुसार स्वास्थ्य बीमा के लिए असमाप्त जोखिम रिजर्व निर्मित किया । यदि स्वास्थ्य बीमा के संबंध में असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व पिछले वर्ष की तरह 1/365 दिन की प्रक्रिया के आधार पर निर्मित किया गया होता तो विविध आय लेखा में तथा वर्ष के लाभ के आय की राशि पर अर्जित प्रीमियम ₹133500 हजार बढ़ जाता है तथा प्रावधान के अंतर्गत घोषित असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व उसी राशि के अनुरूप कम हो जाता है ।

22. प्रबन्धन की राय में कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है जिसके लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 28 के अनुसरण किसी समायोजन की जरूरत हो

23. भारत के सनदी लेखाकार द्वारा जारी लेखा मानक 29 के अनुसार प्रासंगिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं है। विवादित सांविधिक मामले में शामिल हैं वे मामलें जो आयकर व ब्याजकर प्राधिकारियों के यहां विवाद में हैं, जिसके लिए प्रावधान पर विचार आवश्यक नहीं है। तथापि राशि के संभव्य देयता के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

24. सेनवेट नियम के अनुसार सेवा कर जमा को लेखा ने वसूली योग्य सेवा कर लेखा को नामे करके और संबंधित खर्च लेखा को जमा कर के लेखा में लिया गया है इसमें इनपुट सेवा कर के लिए ₹2640778 हजार (₹2793434 हजार) का भुगतान है ।

(₹ in thousand)

	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
C) Reconciliation of Fair Value of obligation and Present Value of Plan Assets					
Fair Value at the year end	4702294 (4668012)	9100000 (8550400)	- (-)	- (-)	- (-)
Present Value at the year end	5385374 (5072607)	9982170 (9276800)	- (-)	- (-)	- (-)
Net (Liability) recognized in Balance Sheet	-683080 (-404595)	-882170 (-726400)	- (-)	- (-)	- (-)
D) Assumptions					
Discount Rate (%)	8.50 (8.50)	8.50 (8.50)	8.50 (8.50)	8.50 (8.50)	8.50 (8.50)
Return on Plan Asset (%)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	- (-)	- (-)	- (-)

20. In spite of having large amount of carry forward losses under tax laws, recognition of Deferred Tax Asset in terms of Accounting Standard 22 has been dispensed with owing to uncertainty over future taxable income.

21. The Company had made reserve for Unexpired Risk in the Health segment as at the end of the preceding year on 1/365 days method basis as per IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/ 015/02/ 2011 dated February 2, 2011 and created "Contingency Reserve for Unexpired Risk" to the extent of available profit. The said contingency reserve is transferred to General Reserve .in the current year.

    During the year the Company has not availed the relaxation allowed by IRDA and created Unexpired Risk Reserve in respect of health segment as per section 64V(1)(ii)(b) of the Act. Had the reserve for Unexpired Risk in respect of health segment been created on 1/365 days method basis as in the previous year, the amount of Premium Earned (Net) as declared in Miscellaneous Revenue Account as well as the amount Profit of the year would have been higher by ₹133500 thousand and Reserve for Unexpired Risk declared under the head Provisions would have been lower by the same amount.

22. In the opinion of management, there is no impairment of assets of the Company that requires any adjustment to be made in terms of Accounting Standard 28 issued by the ICAI.

23. No provision has arisen against contingent liabilities in terms of Accounting Standard (AS) 29 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Disputed statutory matters mainly include issues under litigation with respect to Income Tax and Interest Tax for which no provision is considered necessary. However, the amounts are disclosed under contingent liabilities.

24. Service Tax credit as per Cenvat Rules has been considered in the accounts by debiting Service Tax Recoverable Account and crediting respective expenses accounts for ₹2640778 thousand (₹2793434 thousand) against payment of input Service Tax.

25. वर्तमान कर में सम्मिलित हैं :

(₹ हजार में)

	31.03.2012	31.03.2011
सम्पदा कर	8000	7500
आयकर (मैट)	55000	

26. आईसी एआई द्वारा लेखा मानक (एएस) 20 के अनुसार प्रकटीकरण :

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
शेयर होल्डर का शुद्ध लाभ (₹ हजार में)	32,52,136	7,48,874
शेयर की औसत संख्या वेटेज	10,00,00,000	10,00,00,000
मूल एवं मिश्रित आय, प्राप्त प्रति शेयर ₹10/-	32.52	7.49

कंपनी के पास कोई बकाया डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयार नहीं है। प्रति शेयर पर कंपनी के मूल एवं डाइल्यूटेड आय बराबर रही।

27. आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखा अनुपात अनुलग्नक -I में दिये गये हैं।

28. आईआरडीए द्वारा निर्धारित पिछले 5 वर्षो के कार्य निष्पादन का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

29. पालिसीहोल्डर्स के द्वारा दावा व किये गये राशि का अवधिवार विवरण संलग्नक-III में दिया गया है ।

30. व्यय (पूर्व अवधि मद सहित):

(₹ हजार में)

लेखा मद	31.03.2012 तक	31.03.2011 तक
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण सुविधाएं	1943	68
यात्रा, यातायात एवं वाहन चालन व्यय	40	45
किराया, दर एवं कर	1751	97
मरम्मत	0	297
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	126	77
संप्रेशण	381	176
लेखा परीक्षक शुल्क	0	5
विज्ञापन	336	0
अन्य	4522	1410
विद्युत शुल्क	159	161
कार्यालय रख-रखाव	171	21
प्रोफेशनल एवं कांट्रक्टर को भुगतान	0	2066
बीमा पूर्व व्यय	343	387
योग	**9772**	**4810**

25. Current Tax includes:

(₹ in thousand)

	31.03.2012	31.03.2011
Wealth Tax	8000	7500
Income Tax (MAT)	55000	-

26. Disclosure as per Accounting Standard (AS) 20 issued by ICAI.

Particulars	Current Year	Previous Year
Net Profit attributable to Shareholders (₹ in thousand)	32,52,136	7,48,874
Weighted average number of Shares	10,00,00,000	10,00,00,000
Basic and diluted earnings per share of ₹10 each	32.52	7.49

The company does not have any outstanding diluted potential equity share. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the company remain the same.

27. Accounting Ratios prescribed by IRDA have been furnished in Annexure I.
28. Summary of working results for the last 5 years as prescribed by IRDA is furnished in Annexure II.
29. Age-wise analysis of the Unclaimed Amount of Policyholders is furnished in Annexure III.
30. Expenditure includes Prior Period Items:

(₹ in thousand)

Head of Account	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
Employee Remuneration and Welfare benefits	1943	68
Travel, conveyance and vehicle running expenses	40	45
Rents, Rates and Taxes	1751	97
Repairs	0	297
Printing & Stationery	126	77
Communication	381	176
Auditors fees'	0	5
Advertisement	336	0
Others	4522	1410
Electricity charges	159	161
Office up-keep & Maintenance	171	21
Payment to Professionals & Contractors	0	2066
Pre-insurance expenses	343	387
Total:	**9772**	**4810**

31. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा दण्ड कार्रवाई सम्बन्धी विवरण:

(₹ हजार में)

क्रम सं.	प्राधिकारी	अनुपालन न होना/ उलंघन	दंड आदेश	दंड भुगतान	दंड समाप्त/कम होना
1	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण		1500	1500	-
2	सेवा कर प्रभारी		-	-	-
3	आयकर प्राधिकारी		-	-	-
4	अन्य कर प्राधिकारी (नगरपालिका निगम)		122	1	121
5	जो प्रवर्तन निदेशालय/न्यायाधिकरण एफईएमए के अंतर्गत को अन्य प्राधिकारी		-	-	-
6	कम्पनी के रजिस्ट्रार/नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल/कम्पनी लॉ बोर्ड/निगमित मामलों के विभाग या कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई अन्य प्राधिकारी		-	-	-
7	दावा निष्पादन सहित किसी मामले में, किन्तु प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा दंड का आदेश		-	-	-
8	सिक्यूरिटी एवं एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया		-	-	-
9	कंम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया		-	-	-
10	कोई अन्य केन्द्रीय/राज्य/ स्थानीय सरकार/सांविधिक प्राधिकारी		-	-	-

32. विगत वर्ष के आंकड़ों को कोष्ठक में दिया है। वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति को अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों को,जहाँ आवयक समझा गया है, एक साथ प्रयोग में लाया गया है।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार	एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
		भास्कर सेन	निदेशक
		अमिताभ कोठारी	निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू)	(एम. आर. जैन)	ए. वी. गिरिजा कुमार	निदेशक
भागीदार	भागीदार	रीना माडिया	उप कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या 051221	सदस्यता संख्या 050919		

कैम्प, दिल्ली, 17 मई, 2012

31. Details of various penal actions taken by various Government Authorities :

(₹ in thousand)

Sl. No.	Authority	Non – Compliance/Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority		1500 -	1500 -	- --
2.	Service Tax Authorities		- -	- -	- -
3.	Income Tax Authorities		-	-	-
4.	Any other Tax Authorities (Municipal Corporation)		122 -	1 -	121 -
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		- -	- -	- -
6.	Register of Companies / NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956.		- -	- -	- -
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation.		- -	- -	- -
8.	Securities and Exchange Board of India		- -	- -	- -
9.	Competition Commission of India		- -	- -	- -
10.	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority.		- -	- -	- -

32. Figures in brackets are of the previous year. To conform to current year's presentation previous year's figures are regrouped or rearranged wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Bhaskar Sen	Director
		Amitav Kothari	Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(M. R. Jain) Partner Membership No. 050919	A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 17th day of May 2012

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

आईआरडीए के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफ एण्ड आई/सीआईआर/एफ एण्ड ए/012/01/2010 (परिशिष्ट III) दिनांक 28 जनवरी 2010 की परिभाषा के अनुसार

परिशिष्ट - I

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशतता फार्मूला	अनुपात/ प्रतिशतता 2011-12	अनुपात/ प्रतिशतता 2010-11
1.	**सकल प्रीमियम वृद्धि दर**	(चालू वर्ष का सकल प्रीमियम- विगत वर्ष का सकल प्रीमियम) x100/विगत वर्ष का सकल प्रीमियम	25.15	34.42
	क) अग्नि		18.63	33.31
	ख) समुद्री माल		14.84	19.08
	ग) समुद्री पोत		13.72	38.19
	घ) मोटर निजी क्षति		20.98	31.71
	च) मोटर तृतीय पक्ष		47.93	19.34
	छ) इंजीनियरिंग		22.42	31.76
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		28.14	36.45
	झ) जन देयता		13.10	25.85
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		19.81	26.83
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		23.69	55.86
	ड) उड्डयन		53.16	-24.13
	ढ) विविध अन्य		12.81	31.89
2.	**सकल प्रीमियम से शेयरधारकों के कोष का अनुपात**	जीडीपीआई/शेयरहोल्डर्स फण्ड* *शेयरधारकों का कोष (शेयर कैपिटल रिजर्व एवं सरप्लस के (डेबिट) उचित मूल्य परिवर्तित लेखा) घटायें (विविध व्यय) लाभहानि लेखा के डेबिट बैलेन्स या शेयरधारकों का लेखा	85.69	64.14
3.	**शेयरधारकों के कोष की वृद्धि दर**	चालू तुलन-पत्र की तारीख को शेयर धारकों का कोष/विगत तुलन-पत्र की तारीख को शेयर-धारकों का कोष	-6.33	1.61
4.	**शुद्ध प्रति धारण अनुपात**	शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम	88.96	86.30
	क) अग्नि		84.01	82.60
	ख) समुद्री माल		75.38	78.06
	ग) समुद्री पोत		33.55	25.18
	घ) मोटर निजी क्षति		89.89	89.71
	च) मोटर तृतीय पक्ष		99.91	96.12
	छ) इंजीनियरिंग		50.19	34.78
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		90.03	90.01
	झ) जन देयता		88.01	90.00
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		89.00	89.99
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		90.48	90.00
	ड) उड्डयन		9.99	8.12
	ढ) विविध अन्य		107.14	95.94
5.	**शुद्ध कमीशन अनुपात**	सकल कमीशन भुगतान/जीडीपीआई	5.84	6.30
	क) अग्नि		6.12	5.98
	ख) समुद्री माल		11.36	11.24
	ग) समुद्री पोत		1.16	1.19

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

KEY ANALYTICAL RATIOS FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE YEAR ENDING ON 31.03.2012
as per the definitions given in the IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010
(Annexure III) dated January 28, 2010

Annexure - I

SL. NO.	PERFORMANCE RATIO	RATIO / PERCENTAGE FORMULA	RATIO / PERCENTAGE 2011-12	RATIO / PERCENTAGE 2010-11
1.	**GROSS DIRECT PREMIUM GROWTH RATE**	**(GDPI (CY) - GDPI (PY)) 100/GDPI (PY)**	**25.15**	34.42
	a) Fire		**18.63**	33.31
	b) Marine Cargo		**14.84**	19.08
	c) Marine Hull		**13.72**	38.19
	d) Motor Own Damage		**20.98**	31.71
	e) Motor Third Party		**47.93**	19.34
	f) Engineering		**22.42**	31.76
	g) Workmen's Compensation		**28.14**	36.45
	h) Public Liability		**13.10**	25.85
	i) Personal Accident		**19.81**	26.83
	j) Health Insurance		**23.69**	55.86
	k) Aviation		**53.16**	-24.13
	l) Misc. Others		**12.81**	31.89
2.	**GROSS DIRECT PREMIUM TO SHAREHOLDERS' FUND RATIO**	**GDPI/Shareholders' Funds* *Shareholders funds viz. (share capital, reserves and surplus, credit/(debit) fair value change account) less (miscellaneous expenditure, debit balance in profit and loss account or shareholders' account)**	**85.69**	64.14
3.	**GROWTH RATE OF SHAREHOLDERS' FUND**	**(Shareholders' Funds (CY)-shareholders funds (PY)/Shareholders' funds (PY)**	**-6.33**	1.61
4.	**NET RETENTION RATIO**	**Net Premium / GDPI**	**88.96**	86.30
	a) Fire		**84.01**	82.60
	b) Marine Cargo		**75.38**	78.06
	c) Marine Hull		**33.55**	25.18
	d) Motor Own Damage		**89.89**	89.71
	e) Motor Third Party		**99.91**	96.12
	f) Engineering		**50.19**	34.78
	g) Workmen's Compensation		**90.03**	90.01
	h) Public Liability		**88.01**	90.00
	i) Personal Accident		**89.00**	89.99
	j) Health Insurance		**90.48**	90.00
	k) Aviation		**9.99**	8.12
	l) Misc. Others		**107.14**	95.94
5.	**NET COMMISSION RATIO**	**Gross Commission Paid/GDPI**	**5.84**	6.30
	a) Fire		**6.12**	5.98
	b) Marine Cargo		**11.36**	11.24
	c) Marine Hull		**1.16**	1.19

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

परिशिष्ट - I

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशतता फार्मूला	अनुपात/ प्रतिशतता 2011-12	अनुपात/ प्रतिशतता 2010-11
	घ) मोटर निजी क्षति		5.94	7.63
	च) मोटर तृतीय पक्ष		0.00	0.00
	छ) इंजीनियरिंग		5.67	6.67
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		9.29	10.60
	झ) जन देयता		11.68	11.46
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		11.59	12.79
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		7.71	8.92
	ड) उड्डयन		0.29	0.74
	ढ) विविध अन्य		12.14	2.41
6.	प्रबंधन खर्च से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात	(बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय+ प्रदत्त प्रत्यक्ष कमीशन)/जीडीपीआई	28.67	31.96
7.	संयुक्त अनुपात	(बीमा व्यवसाय से संबंधित भुगतान दावा + बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय + भुगतान प्रत्यक्ष कमीशन)/ जीडीपीआई	91.75	101.43
8.	तकनीकी आरक्षित से शुद्ध प्रीमियम अनुपात	(असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित + प्रीमियम कमी आरक्षित+ बकाया दावे के लिए आरक्षित)/शुद्ध प्रीमियम	120.13	142.70
9.	बीमालेखन अतिशेष अनुपात	(बीमा लेखन लाभ/हानि) शुद्ध प्रीमियम	-19.93	-31.86
	क) अग्नि		-14.24	5.58
	ख) समुद्री माल		12.16	5.50
	ग) समुद्री पोत		-75.55	-121.92
	घ) मोटर निजी क्षति		-0.88	-9.01
	च) मोटर तृतीय पक्ष		-46.28	-117.76
	छ) इंजीनियरिंग		-12.46	29.58
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		38.01	25.54
	झ) जन देयता		12.98	46.20
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		17.05	-5.20
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		-32.39	-37.22
	ड) उड्डयन		-318.14	16.67
	ढ) विविध अन्य		2.12	21.51
10.	प्रचालन लाभ अनुपात	(बीमालेखन लाभ/हानि)+निवेश आय/शुद्ध प्रीमियम	4.69	1.91
11.	अस्थायी सम्पत्ति से देयताएं अनुपात	(बीमाकर्ता की अस्थायी सम्पत्ति/ पालिसी धारकों की देयताएं)	24.47	21.59
12.	शुद्ध अर्जन अनुपात	कर पश्चात लाभ/शुद्ध प्रीमियम	4.68	1.39
13.	शुद्ध सम्पत्ति पर आय	कर पश्चात लाभ/शुद्ध सम्पत्ति	3.57	0.77
14.	वांछित शोधन क्षमता के परिपेक्ष्य में वास्तविक शोधन क्षमता		1.37	1.34
15.	एनपीए अनुपात			
	सकल एनपीए अनुपात		2.04	3.65
	शुद्ध एनपीए अनुपात		0.06	0.38

RATIOS FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE YEAR ENDING ON 31.03.2012 **Annexure - I**

SL. NO.	PERFORMANCE RATIO	RATIO / PERCENTAGE FORMULA	RATIO / PERCENTAGE 2011-12	RATIO / PERCENTAGE 2010-11
	d) Motor Own Damage		**5.94**	7.63
	e) Motor Third Party		**0.00**	0.00
	f) Engineering		**5.67**	6.67
	g) Workmen's Compensation		**9.29**	10.60
	h) Public Liability		**11.68**	11.46
	i) Personal Accident		**11.59**	12.79
	j) Health Insurance		**7.71**	8.92
	k) Aviation		**0.29**	0.74
	l) Misc. Others		**12.14**	2.41
6.	**EXPENSES OF MANAGEMENT TO GROSS DIRECT PREMIUM RATIO**	**(Operating expenses related to insurance business plus direct commissions paid)/GDPI**	**28.67**	31.96
7.	**COMBINED RATIO**	**(Claims paid plus Operating expenses related to insurance business plus direct commissions paid)/GDPI**	**91.76**	101.43
8.	**TECHNICAL RESERVES TO NET PREMIUM RATIO**	**(Reserves for Unexpired Risk + Reserve for premium deficiency plus Reserve for Outstanding Claims) / Net Premium**	**120.13**	142.70
9.	**UNDERWRITING BALANCE RATIO**	**(Underwriting profit / loss) / Net Premium**	**-19.93**	-31.86
	a) Fire		**-14.24**	5.58
	b) Marine Cargo		**12.16**	5.50
	c) Marine Hull		**-75.55**	-121.92
	d) Motor Own Damage		**-0.88**	-9.01
	e) Motor Third Party		**-46.28**	-117.76
	f) Engineering		**-12.46**	29.58
	g) Workmen's Compensation		**38.01**	25.54
	h) Public Liability		**12.98**	46.20
	i) Personal Accident		**17.05**	-5.20
	j) Health Insurance		**-32.39**	-37.22
	k) Aviation		**-318.14**	16.67
	l) Misc. Others		**2.12**	21.51
10.	**OPERATING PROFIT RATIO**	**(Underwriting profit/loss) + Investment Income/ Net Premium**	**4.69**	1.91
11.	**LIQUID ASSETS TO LIABILITIES RATIO**	**Liquid Assets / Policyholders' Liabilities**	**24.47**	21.59
12.	**NET EARNING RATIO**	**Profit after tax / Net Premium**	**4.68**	1.39
13.	**RETURN ON NET WORTH**	**Profit after tax / Net Worth**	**3.57**	0.77
14.	**Actual Solvency Margin to Required Solvency Margin**		**1.37**	1.34
15.	**NPA ratio**			
	Gross NPA ratio		**2.04**	3.65
	Net NPA ratio		**0.06**	0.38

परिशिष्ट - II

कार्य परिणाम :

पिछले पाँच वर्ष का कम्पनी का कार्य परिणाम निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
अ.	बीमा लेखन से आय	6952.85	5389.71	3977.65	3653.63	3187.98
ब.	असमाप्त जोखिम आरक्षित में वृद्धि/कमी	879.32	625.76	161.86	231.27	169.45
स.	बीमा लेखन पर उपगत दावा	5314.07	4623.27	3245.36	3393.67	2838.84
द.	बीमा लेखन पर शुद्ध कमीशन	361.38	255.44	231.41	218.17	203.89
य.	खर्च व अन्य व्यय	1783.84	1605.84	1307.70	1015.37	989.17
र.	शुद्ध बीमा लेखन परिणाम	-1381.10	-1720.40	-968.68	-1204.85	-1013.37
ल.	शुद्ध अन्य आय	1712.16	1795.80	1237.27	1071.32	1185.43
व.	कर पूर्व लाभ/हानि	331.06	75.40	268.59	-133.53	172.06
श.	कराधान का प्रावधान	5.85	0.51	43.73	5.15	8.75
स.	कर पश्चात लाभ/हानि	325.21	74.89	224.86	-138.68	163.31

कमीशन व्यय का विवरण (भारत में):

(₹ हजार में)

व्यसाय की श्रेणी	वर्ष 2011-12 के लिए			वर्ष 2010-11 के लिए		
	अग्नि	मरीन	विविध	अग्नि	मरीन	विविध
एजेंट	220248	151680	2500832	163297	139604	2142960
ब्रोकर	123325	90786	849386	94610	67150	556075
निगमित एजेंसी	72539	1232	347416	73200	1573	377165
रिफरल फीस	628	-	76335	2579	22	95871
अन्य	2090	244	128630	6682	823	195009
योग	418830	243942	3902599	340368	209172	3367080

Annexure - II

Working Result :

The working Results of the Company for the last five years are given below :

(₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
a.	Income from Underwriting	**6952.85**	5389.71	3977.65	3653.63	3187.98
b.	Increase/Decrease in Unexpired Risk Reserve	**879.32**	625.76	161.86	231.27	169.45
c.	Incurred Claims on Underwriting	**5314.07**	4623.27	3245.36	3393.67	2838.84
d.	Net Commission on Underwriting	**361.38**	255.44	231.41	218.17	203.89
e.	Expenses & other Outgo	**1783.84**	1605.64	1307.70	1015.37	989.17
f.	Net Underwriting Result	**-1381.10**	-1720.40	-968.68	-1204.85	-1013.37
g.	Net of other Income (Investment etc.)	**1712.16**	1795.80	1237.27	1071.32	1185.43
h.	Profit/Loss before Tax	**331.06**	75.40	268.59	-133.53	172.06
i.	Provision for Taxation	**5.85**	0.51	43.73	5.15	8.75
j.	Profit/Loss after Tax	**325.21**	74.89	224.86	-138.68	163.31

Break up of Commission Expenses (In India) :

(₹ in Thousand)

CLASS OF BUSINESS	FOR THE YEAR 2011-12			FOR THE YEAR 2010-11		
	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS
Agents	**220248**	**151680**	**2500832**	163297	139604	2142960
Brokers	**123325**	**90786**	**849386**	94610	67150	556075
Corporate Agents	**72539**	**1232**	**347416**	73200	1573	377165
Referral Fees	**628**	**-**	**76335**	2579	22	95871
Others	**2090**	**244**	**128630**	6682	823	195009
Total	**418830**	**243942**	**3902599**	340368	209172	3367080

परिशिष्ट - III

पालिसीहोल्डर्स के द्वारा दावा न की गई राशि का अनधिकार विवरण :

(₹ '000)

विवरण	अवधिवार विश्लेषण							
	1 से 6 माह	7 से 12 माह	13 से 18 माह	19 से 24 माह	25 से 30 माह	31 से 36 माह	36 माह से अधिक	कुल
(क) दावा निस्तारित किन्तु भुगतान नहीं, बीमाधारक/ पालिसीहोल्डर्स के साथ किसी विवाद के अलावा	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) परिपक्वता अवधि या आय पर बीमाधारक/ पालिसीहोल्डर्स पर बकाया राशि	72936	41322	11191	3886	4208	13454	14122	161119
(ग) किसी प्रकार के प्रीमियम/टैक्स या अन्य कोई अधिभार का अधिक संग्रहण जिसे पालिसी होल्डर्स को पालिसी की शर्तों के अधीन या नियम के अधीन या प्राधिकारी के निर्देशानुसार वापस किया जाना था परन्तु अभी तक वापस नहीं किया गया	45488	27370	13618	10519	10801	8479	25620	141895
(घ) पालिसी होल्डर्स/बीमाधारक को चैक जारी किया गया किन्तु भुनाया नहीं गया	45115	39945	17712	6772	9416	4161	17665	140786
	163539	**108637**	**42521**	**21177**	**24425**	**26094**	**57407**	**443800**

Annexure - III

Age-wise Analysis of the Unclaimed Amount of the Policyholders :

(₹ '000)

Particulars	Age-wise Analysis							
	1 to 6 Months	7 to 12 Months	13 to 18 Months	19 to 24 Months	25 to 30 Months	31 to 36 Months	Beyond 36 Months	**TOTAL**
(a) Claims settled but not paid to thePolicyholders/ Insureds due to any reasons except under litigation from Insureds / policyholders	—	—	—	—	—	—	—	—
(b) Sum due to the Insureds / Policyholders on maturity or otherwise	72936	41322	11191	3886	4208	13454	14122	161119
(c) Any excess collection of the Premium / Tax or any other charges which is refundable to the Policyholders either as terms of conditions of the Policy or as per the law or as may be directed by the authority but not refunded to so far.	45488	27370	13618	10519	10801	8479	25620	141895
(d) Cheques issued but not encashed by the Policyholders / Insureds	45115	39945	17712	6772	9416	4161	17665	140786
	163539	**108637**	**42521**	**21177**	**24425**	**26094**	**57407**	**443800**

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

NOTES